PERFECT 7

साप्ताहिक

समसामयिकी

दिसम्बर 2019 | अंक-2

भारत में यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएँ

चिंता का विषय

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019: एक अवलोकन
- राज्यपाल का विवेकाधिकार एवं उससे उपजते विवाद
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से मातृ मृत्यु दर में कमी
- ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा : एक विश्लेषण
- क्वाड : भारत के इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक व आर्थिक हित
- भूस्खलन जोखिम तथा स्थिरता सम्मेलन-2019

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (CAIPTS)

TARGET 2020

OFFLINE & ONLINE

Total 28 Tests		
13 Applied Tests (including 1 Revision Test and 1 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)	**10 Full Length GS Tests** (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)	**5 CSAT Tests** (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)

Key features of CAIPTS

- The CAIPTS will contain a total of 28 tests (Fullyapplied and based on UPSC Pattern) 28 Tests = 13 Applied Tests (including 1 Revision Test and 1 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based) + 10 Full Length GS Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based) + 5 CSAT Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)
- Applied level tests will be based on standard references which will enhance the analytical ability of the aspirants.
- 8 full length and 2 Previous Year based papers will cover the entire syllabus and match the level of UPSC-CSE prelims examination. It will further enable the aspirants for their better evaluation of learning outcome.
- In addition to this, the unique feature of DHYEYA IAS CAIPTS, is, four full length tests based on UPSC CSE prelims question papers of past 25 years. These tests will drive the aspirants' motives to go through the previous years question papers which is one of the important aspects of CSE preparation. It will also assist them to understand the changing nature of the questions asked in the examination.

635, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009 | Call: 011-49274400, 9205274741
For more details visit: www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

'Perfect 7' में सुधार एवं संवर्द्धन हेतु किसी भी प्रकर के सुझाव, टिप्पणी और विचार के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।

9990772422

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

दिसम्बर-2019 | अंक-2

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय,
ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल

लेख सहयोग
मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव,
प्रीति मिश्रा, आदेश, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- भारत में यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएँ : चिंता का विषय
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019: एक अवलोकन
- राज्यपाल का विवेकाधिकार एवं उससे उपजते विवाद
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से मातृ मृत्यु दर में कमी
- ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा : एक विश्लेषण
- क्वाड : भारत के इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक व आर्थिक हित
- भूस्खलन जोखिम तथा स्थिरता सम्मेलन-2019

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. भारत में यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएँ : चिंता का विषय

चर्चा का कारण

समूचा राष्ट्र रांची और हैदराबाद में हुए जघन्य, सामूहिक दुष्कर्म से न केवल अशांत है बल्कि कलंकित भी हुआ है। इन घटनाओं ने एक बार फिर देश के सामने नारी अस्मिता एवं उसकी सुरक्षा का प्रश्न खड़ा कर दिया है।

परिचय

महिलाओं और युवतियों पर कहीं एसिड अटैक हो रहे हैं, तो कहीं निरंतर हत्याएं-बलात्कार हो रहे और कहीं दहेज उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं पर कभी- कभार शोर भी होता है, लोग विरोध प्रकट करते हैं, मीडिया सक्रिय होती है पर अपराध कम होने की बजाय बढ़ ही रहे हैं। एक ओर भारतीय नेतृत्व में इच्छाशक्ति तो बढ़ी है लेकिन विडम्बना यह है कि आम नागरिक महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को लेकर स्वाभाव से ही पुरुष वर्चस्व के पक्षधर और सामंती मन:स्थिति के कायल हैं।

हमारे देश-समाज में स्त्रियों का यौन उत्पीड़न लगातार जारी है लेकिन यह बिडम्बना ही कही जायेगी कि सरकार, प्रशासन, न्यायालय, समाज और सामाजिक संस्थाओं के साथ मीडिया भी इस कुकृत्य में कमी लाने में सफल नहीं हो पायी है। देश के हर कोने से महिलाओं के साथ दुष्कर्म, यौन प्रताड़ना, दहेज के लिये जलाया जाना, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और स्त्रियों की खरीद-फरोख्त के समाचार सुनने को मिलते रहते हैं। साथ ही छोटे से बड़े हर स्तर पर असमानता और भेदभाव के कारण इसमें गिरावट के चिन्ह कभी नहीं देखे गए।

देश में लोगों को महिलाओं के अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और इसका पालन पूरी गंभीरता और इच्छाशक्ति से नहीं होता है। महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों के बाद भी महिलाएँ अपने असल अधिकार से कोसों दूर हैं।

भारत में महिलाओं के प्रति अपराधों की बारम्बारता

26 जून 2018 को जारी थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार निर्भया कांड के बाद देश भर में फैले आक्रोश के बीच सरकार ने इस समस्या से निपटने का संकल्प लिया था। लेकिन भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कोई कमी नहीं आई और अब वह इस मामले में विश्व में पहले पायदान पर पहुँच गया है जबकि 2011 में भारत चौथे पायदान पर था। 2011 में भारत के इस खराब प्रदर्शन के लिए मुख्यत: कन्या भ्रूण हत्या, नवजात बच्चियों की हत्या और मानव तस्करी जिम्मेदार थीं, जबकि 2018 का सर्वे बताता है कि भारत यौन हिंसा, सांस्कृतिक-धार्मिक कारण और मानव तस्करी इन तीन वजहों के चलते महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश है।

2018 में भारत में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आठ साल की आसिफा और झारखंड में मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चलाने वाली सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की खबरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बनीं।

दिसंबर 2017 को इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के प्रति घंटे औसतन 39 मामले दर्ज किए गए। साल 2007 में यह संख्या मात्रा 21 थी। सरकार ने प्रतिक्रिया में बलात्कारियों के लिए सजा कड़ी करने और बच्चों के साथ बलात्कार करने वाले को मौत की सजा देने का ऐलान किया। लेकिन इंडियास्पेंड ने मई 2018 की अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि इन सजाओं के चलते बलात्कार के केस दर्ज किए जाने में कमी आ सकती है।

भारत में दुष्कर्म के मामले एवं दोष सिद्धि की दर

वर्ष 2016 के एक आंकड़े के अनुसार भारत में दुष्कर्म के रोजाना 106 मामले सामने आते हैं। इससे पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि यहां दुष्कर्म के सभी मामलों की रपट नहीं दर्ज कराई जाती। कुछ सामाजिक पहलुओं और इंसाफ पाने के लिए जटिल न्यायिक प्रक्रिया के कारण इससे जुड़े सभी अपराध दर्ज नहीं हो पाते। उस पर प्रत्येक चार में से एक मामले में ही अपराध सिद्ध हो पाता है। यह बहुत निराशाजनक दर है।

डीएनए विश्लेषण जैसी तकनीक से दोषसिद्धि दर बढ़ाई जा सकती है। इसमें 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि दुष्कर्म से जुड़े 12,000 मामले सिर्फ इसलिए लंबित हैं, क्योंकि नमूनों की जांच के लिए पर्याप्त प्रयोगशालाएं नहीं हैं। क्या यह शर्मनाक नहीं है? एक तो अपराध सिद्ध होने की दर इतनी कमजोर है और जिन साक्ष्यों से इन अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकता है, उन्हें जुटाने में इतनी देरी हो रही है। अगर यह महिलाओं को इंसाफ दिलाने में लापरवाही की मिसाल नहीं है तो और क्या है?

2015-16 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS 4) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में 15-49 आयु वर्ग की 30 फीसदी महिलाओं को 15 साल की आयु से ही शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर NFHS 4 के अनुसार उसी आयु वर्ग की 6 फीसदी महिलाओं को उनके जीवनकाल में कम से कम एक बार यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े भी महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं में वृद्धि को स्पष्ट करते हैं। इन अपराधों में बलात्कार, घरेलू हिंसा, मारपीट, दहेज प्रताड़ना, एसिड हमला, अपहरण, मानव तस्करी, साइबर

अपराध और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि शामिल हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3.29 लाख मामले दर्ज किए गए। 2016 में इस आंकड़े में 9,711 की बढ़ोतरी हुई और इस दौरान 3.38 लाख मामले दर्ज किए गए। इसके बाद 2017 में 3.60 लाख मामले दर्ज किये गए। साल 2015 में बलात्कार के 34,651 मामले, 2016 में बलात्कार के 38,947 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि 2017 में भारत में कुल 32,559 बलात्कार हुए, जिसमें 93.1% आरोपी करीबी ही थे। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो-2017 की रिपोर्ट के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा 5562 मामले मध्यप्रदेश में दर्ज हुए। इस सूची में 3305 रेप मामलों के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा।

महिला अत्याचार के खिलाफ कड़े कानून

- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005
- कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों अर्थात हत्या, आत्महत्या हेतु प्रेरण, दहेज मृत्यु, बलात्कार, अपहरण आदि को रोकने का प्रावधान है। उल्लंघन की स्थिति में गिरफ्तारी एवं न्यायिक दंड व्यवस्था का उल्लेख इसमें किया गया है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के भी अनेक प्रयास किये गए हैं ताकि वे अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचार का मुकाबला के सकें। जैसे- पुरुष व स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से सुरक्षा और महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालयों व स्नानगृहों की व्यवस्था की अनिवार्यता इत्यादि।

नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामलों में कार्रवाई करने और उन्हें यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act – POCSO) पारित किया गया है। 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों के साथ किया गया किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के अन्तर्गत आता है। पॉक्सो एक्ट लड़के और लड़कियों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं इस कानून के तहत रजिस्टर मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है।

सख्त कानूनों क बाद भी अपराधों में कमी क्यों नहीं

न्याय में देरी: भारत में बीते एक दशक में बलात्कार के जितने भी मामले दर्ज हुए हैं उनमें केवल 12 से 20 फीसदी मामलों में सुनवाई पूरी हो पायी। बलात्कार के दर्ज मामलों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन सजा की दर नहीं बढ़ रही है।

खत्म होता सजा का भय: दुष्कर्म और फिर हत्या के मामलों में न्याय में देरी होने के कारण ही गुनहगारों में सजा का भय खत्म होता जा रहा है। कानून में मौत की सजा के प्रावधान होने के बाद भी बलात्कार की घटनाओ में कोई कमी नहीं दिख रही है।

अश्लील सामग्री: दुनिया भर के समाजशास्त्री, राजनेता, कानून विद और प्रशासनिक अधिकारी स्वीकार रहे हैं कि बढ़ते यौन अपराधों का यह एक बड़ा कारण है। टेलीकॉम कंपनियों द्वारा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे डाटा का 80 प्रतिशत उपयोग मनोरंजन व अश्लील सामग्री देखने में हो रहा है, जबकि इसे सूचनात्मक ज्ञान बढ़ाने का आधार बताया गया था। सात वर्ष पहले 'निर्भया' और अब हैदराबाद की महिला पशु चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म के कारणों में एक कारण स्मार्टफोन पर उपलब्ध अश्लील फिल्में भी मानी जा रही हैं। अश्लील फिल्में देखने के बाद दुष्कर्मियों ने दुष्कर्म करना स्वीकारा है, लिहाजा यह तथ्य सत्य के निकट है।

पुरुषवादी मानसिकताः देश भर के कम उम्र के लड़कों को आक्रामक और प्रभावशाली व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) इस बारे में टिप्पणी करता है कि किस तरह ऐसी विषाक्त मर्दानगी की भावनाएं युवाओं के जहन में बहुत छोटी उम्र से ही बैठा दी जाती हैं। उन्हें ऐसी सामाजिक व्यवस्था का आदी बनाया जाता है, जहां पुरुष ताकतवर और नियंत्रण रखने वाला होता है तथा उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि लड़कियों और महिलाओं के प्रति प्रभुत्व का व्यवहार करना ही उनकी मर्दानगी है।

प्रशासनिक उदासीनताः निर्भया कोष के आवंटन के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार आवंटित धनराशि में से 11 राज्यों ने एक रुपया भी खर्च नहीं किया। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा के अलावा दमन और दीव शामिल हैं। दिल्ली ने 390.90 करोड़ रुपए में से सिर्फ 19.41 करोड़ रुपए खर्च किए। उत्तर प्रदेश ने निर्भया फंड के तहत आवंटित 119 करोड़ रुपए में से सिर्फ 3.93 करोड़ रुपए खर्च किए। कर्नाटक ने 191.72 करोड़ रुपए में से 13.62 करोड़ रुपए, तेलंगाना ने 103 करोड़ रुपए में से केवल 4.19 करोड़ रुपए खर्च किए। आंध्र प्रदेश ने 20.85 करोड़ में से केवल 8.14 करोड़ रुपए, बिहार ने 22.58 करोड़ रुपये में से मात्र 7.02 करोड़ रुपए खर्च किए। संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं के लिये 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महिला हेल्पलाइन, वन स्टाप सेंटर स्कीम सहित विभिन्न योजनाओं के लिये धन आवंटित किया गया था। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दादरा नगर हवेली और गोवा जैसे राज्यों को महिला हेल्पलाइन के लिए दिए गए पैसे जस के तस पड़े हैं। वन स्टाप स्कीम के तहत बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल ने एक पैसा खर्च नहीं किया।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए प्रभावी कदम

महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तीन ई (Es) पर अधिकाधिक जोर दिए जाने की आवश्कता है: 1. लड़कों को लैंगिक बराबरी के बारे में शिक्षा (Educating Boys on Gender Equality), 2. लड़कियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना (Empowering Girls Both Economically and Socially) और 3. उन कानूनों का पालन किया जाना जो मौजूद हैं पर इस्तेमाल में नहीं लाए जाते (Enforcing the Laws That Exist and are not Implemented)।

महिलाओं से होने वाली हिंसा से निपटने का समग्र दृष्टिकोण अपराधियों के व्यवहार में बदलाव लाने के गंभीर प्रयासों के बगैर कभी पूरा नहीं हो सकता। भारत से इस बुराई को मिटाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को व्यापक सूचना शिक्षा-संचार के जरिए रोकने पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार के अभियान मौजूदा कानूनी प्रावधानों जैसे- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354A, 354B, 354C और 354D का अनुपूरक हो सकते हैं और उन्हें पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। ये सभी कानून यौन प्रताड़ना और पीछा करने जैसे दुर्व्यवहार के अन्य स्वरूपों से सम्बंधित हैं। हालांकि ये कानून तभी प्रभावी हो सकते हैं, जब महिलाएं आगे आएं और दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज कराएं, जो कभी कभार ही होता है। इस तरह, आमतौर पर बदनामी के डर से काफी बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज ही

नहीं हो पाते, विशेषकर तब जब पीड़िता को अपने पति, परिवार के सदस्य या किसी अन्य परिचित के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी हो।

2013 में, मुम्बई पुलिस ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके मुम्बई को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के अभियान के तहत एक विज्ञापन अभियान की शुरूआत की। इसके तहत महिलाओं को आगे आने और महाराष्ट्र पुलिस की हेल्पलाइन 103 पर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसी साल ओ एंड एम ने एक अन्य अभियान शुरू किया, जिसमें पुलिस ने पुरुषों को चेतावनी दी कि यदि वे महिलाओं के साथ किसी किस्म की हिंसा करेंगे, तो उन्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। यदि इस तरह के अभियानों को देश भर में बढ़ावा दिया जाये, तो ये अपराध के बाद पीड़िता को सदमें से उबारने, कानून प्रवर्तन एजंसियों की मदद करने और अपराध की रोकथाम में मददगार हो सकता है।

भारत में महिलाओं पर हमलावरों की मानसिकता का अध्ययन करने, समझने और उसमें बदलाव लाने का प्रयास बहुत कम होते हैं। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा से निपटने का समग्र दृष्टिकोण अपराधियों के व्यवहार में बदलाव लाने के गंभीर प्रयासों के बगैर कभी पूरा नहीं हो सकता।

आगे की राह

यद्यपि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून तो बना रखे हैं फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए अन्य सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए कि मोबाइल कंपनियां सभी मोबाइल फोन्स में अब पैनिक बटन अनिवार्य करें ताकि महिलाएं इस बटन को दबाकर तुरन्त मदद मांग सकें, साथ ही ये ध्यान रखा जाए कि सही समय पर उन तक मदद पहुंचे। किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में स्थानीय पुलिस तुरन्त महिला की मदद के लिए पहुंचे। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में ये पहले ही शुरू हो चुका है, आज इसे सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाना चाहिए।
- सरकार प्रत्येक चिह्नित शहर में ऐसे स्थानों की पहचान करे जहां अपराध ज्यादा होते हैं। इन स्थानों पर सीसीटीवी की निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए। प्रत्येक शहरों में स्वचालित नम्बर प्लेट रीडिंग (एएनपीआर) और ड्रोन आधारित निगरानी भी करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा गश्त बढ़ाई जानी चाहिए। हर पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क की स्थापना की जाए, इस पर एक प्रशिक्षित काउंसलर की सुविधा भी हो। फिलहाल जो आशा ज्योति केन्द्र या भरोसा केन्द्र चल रहे हैं उनमें विस्तार किया जाए। बसों में कैमरों और सभी सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए। महिलाओं के लिए शौचालयों की स्थापना। महिला सुरक्षा और लैंगिक संवेदनशीलता पर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएं।
- प्रत्येक ऑफिस में एक यौन उत्पीड़न शिकायत समिति बनाना नियोक्ता का कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक दिशा-निर्देश के अनुसार यह भी जरूरी है कि समिति का नेतृत्व एक महिला करे और सदस्यों के तौर पर उसमें पचास फीसदी महिलाएं ही शामिल हों। साथ ही, समिति के सदस्यों में से एक महिला कल्याण समूह से भी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्थायी कर्मचारी हैं या नहीं।
- वास्तव में महिला सुरक्षा के लिए खुद महिला को सक्षम होना होगा। हिम्मत, वीरता और साहस को उसे अपने महत्वपूर्ण गुण बनाना होगा।
- बलात्कार की घटनाओं में कुछ हद तक कमी धीरे-धीरे लाई जा सकती है यदि हम महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ पुरुष मानवीयकरण के लक्ष्य को भी सामने रखें। घर में पिता-पत्नी और बेटी का, और बेटा-मां और बहन का सम्मान करें। बाहर किसी भी स्त्री को कोई भी पुरुष इंसान की तरह मान कर सम्मान करें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में ट्रांसजेंडर (उभयलिंगी) समुदाय को शिक्षा, नौकरी के साथ-साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव से बचाने और उन्हें अधिकारों से युक्त करने से जुड़ा विधेयक राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पास हो चुका था। इस अधिनियम का मकसद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा करना और हासिये पर खड़े इस वर्ग के विरुद्ध भेदभाव और दुर्व्यवहार खत्म करना है ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सामाजिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

परिचय

किन्नरों का वर्णन महाभारत और तमाम धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। राजा-महाराजा के जमाने में भी ये नाच-गाकर अपनी जीविका चलाते थे। साथ ही समलैंगिकता के प्रमाण खजुराहो जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में भी दर्शाये गये हैं। इनके रीति-रिवाज इनका जीवन आम जन-जीवन से अलग दिखाई पड़ता है। समाज के कई रीति-रिवाजों में इनकी उपस्थिति जरूरी मानी जाती है। बावजूद इसके ये कभी भी मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाये। यहाँ तक कि सामान्य नागरिक के रूप में जीवन के लिए ये बुनियादी जरूरतों से भी वंचित रह जाते हैं। जबकि आमतौर पर ये माना जाता है कि नागरिकों की हर खुशी में इनका शामिल होना जरूरी है। लेकिन इन सबके बावजूद उनके साथ वो व्यवहार नहीं होता जो एक आम नागरिक से होना चाहिए। इनके जीवन से लेकर इनकी मृत्यु तक तमाम तरह की अफवाहें लगातार समाज में फैली हुई हैं और इस समाज से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो बार-बार खबरों में बने रहते हैं लेकिन सच तो यह है कि समाज में हर वर्ग के लोगों को पूरे सम्मान और अधिकार के साथ जीने का हक है लेकिन लम्बे वक्त से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को उपेक्षा और भेदभाव का शिकार होना पड़ा। कानून की शक्ल लेने के बाद ये अधिनियम ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मील का पत्थर साबित

हो सकता है। यह अधिनियम किन्नर समुदाय को शिक्षा, अधिकार और सम्मान के साथ जीने में मदद देने के साथ ही उन्हे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में कारगर साबित हो सकता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 'ट्रांसजेंडर' एक अंब्रेला टर्म है जिसमें वे सभी लोग शामिल हैं जिनकी लिंग की अनुभूति जन्म के समय उन्हें नियत किए गए लिंग से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए पुरुष के तौर पर जन्म लेने वाला व्यक्ति दूसरे लिंग यानी महिला से आइडेंटिफाई कर सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो लोग 'पुरुष' या 'महिला' के तौर पर नहीं, 'अन्य' के तौर पर खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी संख्या 4,87,803 है (कुल जनसंख्या का 0.04% भाग)। 'अन्य' की श्रेणी में ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं और यह श्रेणी उन सभी लोगों पर लागू होती है जो खुद को पुरुष या महिला के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं करते।

वहीं 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति या व्यवहार उसके बायोलॉजिकल सेक्स के साथ मेल नहीं खाता वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें ट्रांसमेन (परा-पुरुष) और ट्रांस-विमेन (परा-स्त्री), इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेंडर क्वीर आते हैं। इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति, जैसे किन्नर, हिंजड़ा, भी शामिल हैं। इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले व्यक्तियों की परिभाषा में ऐसे लोग शामिल हैं जो जन्म के समय अपनी मुख्य यौन विशेषताओं, बाहरी जननांगों, क्रोमोसोम्स या हारमोन्स में पुरुष या महिला शरीर के आदर्श मानकों से भिन्नता का प्रदर्शन करते हैं।

ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए अब तक का सफर

संविधान के प्रावधानों के अनुसार ट्रांसजेंडर को एक व्यक्ति के तौर पर बराबरी के अवसर मिलने चाहिए लेकिन वे समाज में वंचित समुदाय के रूप में जीवन यापन करते हैं। कागजी तौर पर विपरीत लिंगी व्यक्ति को समाज का अभिन्न हिस्सा तो माना गया है व उसे सभी कानूनी अधिकार भी हासिल हैं लेकिन असल में स्थिति इसके उलट है।

वर्ष 1994 में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान का अधिकार मिला लेकिन पहचान पत्र पर उनके लिंग पहचान पर बात अटक गई।

2013 में सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों की जाँच करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक लांछन और भेदभाव का सामना करना पड़ता है जोकि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और सरकारी दस्तावेजों तक पहुँच को प्रभावित करता है। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात को मान्यता दी कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में स्वयं को आइडेंटिफाई करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता प्रदान करें, सामाजिक लांछन और भेदभाव जैसी समस्याओं का हल करें और उनके सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएँ तैयार करें साथ ही ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी श्रेणी में रखने का निर्देश भी दिया गया।

गौरतलब है कि विधायी प्रयासों के तहत पहली बार राज्यसभा सांसद तिरुची सिवा ने सदन में गैर सरकारी विधेयक पेश किया और यह विधेयक राजसभा में अप्रैल 2015 में पास हो गया। अगस्त 2016 में लोकसभा में सरकार ने इस विधेयक को अपने अधिकार में ले लिया और अपना एक ड्राफ्ट पेश किया जहाँ इसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। स्थायी समिति के सुझाए 27 बदलावों को सरकार ने मान लिया और विधेयक दिसंबर 2018 में लोकसभा में पास हो गया लेकिन 16वीं लोकसभा के खत्म होने के बाद, इसे फिर से नई लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019 नाम से पारित किया गया।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **भेदभाव पर प्रतिबंध:** अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में सेवा प्रदान करने से इनकार करना या अनुचित व्यवहार करना शामिल है: (i) शिक्षा, (ii) रोजगार, (iii) स्वास्थ्य सेवा, (iv) सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध उत्पादों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुँच और उसका उपभोग, (v) कहीं आने-जाने का अधिकार (vi) किसी प्रॉपर्टी में निवास करने, उसे किराये पर लेने, स्वामित्व हासिल करने या अन्यथा उसे कब्जे में लेने का अधिकार, (vii) सार्वजनिक या निजी पद को ग्रहण करने का अवसर, और (viii) किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान तक पहुँच जिसकी देखभाल या निगरानी किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा की जाती है।
- **निवास का अधिकार:** प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने परिवार में रहने और उसमें शामिल होने का अधिकार है। अगर किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति का निकट परिवार उसकी देखभाल करने में अक्षम है तो उस व्यक्ति को न्यायालय के आदेश के बाद पुनर्वास केंद्र में भेजा जा सकता है।
- **रोजगार:** कोई सरकारी या निजी संस्था रोजगार से जुड़े मामलों, जैसे भर्ती, पदोन्नति इत्यादि, में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकती। अगर संस्था में 100 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह एक्ट के तहत मिलने वाली शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।
- **शिक्षा:** सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान भेदभाव किए बिना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा, खेल एवं मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करेंगे।
- **स्वास्थ्य सेवा:** सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी जिसमें अलग एचआईवी सर्विलेंस सेंटर, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी इत्यादि शामिल है। सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को संबोधित करने के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी और उन्हें समग्र चिकित्सा बीमा योजनाएँ प्रदान करेगी।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आइडेंटिटी से जुड़ा सर्टिफिकेट:** एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिला मेजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है कि ट्रांसजेंडर के रूप में उसकी आइडेंटिटी से जुड़ा सर्टिफिकेट जारी किया जाए। संशोधित सर्टिफिकेट तभी हासिल किया जा सकता है, अगर उस व्यक्ति ने पुरुष या महिला के तौर पर अपना लिंग परिवर्तन करने के लिए सर्जरी कराई है।
- **सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपाय:** अधिनियम कहता है कि संबंधित सरकार समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पूर्ण समावेश और भागीदारी को सुनिश्चित

करने के लिए कदम उठाएगी। वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बचाव (रेस्क्यू) एवं पुनर्वास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के लिए कदम उठाएगी, ट्रांसजेंडर संवेदी योजनाओं का सृजन करेगी और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देगी।

- **अपराध और दंड:** अधिनियम निम्नलिखित को अपराध के रूप में मान्य करता है: (i) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से भीख मंगवाना, बलपूर्वक या बंधुआ मजदूरी करवाना (इसमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सरकारी सेवा शामिल नहीं है), (ii) उन्हें सार्वजनिक स्थान का प्रयोग करने से रोकना, (iii) उन्हें परिवार, गांव इत्यादि में निवास करने से रोकना, और (iv) उनका शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न करना। इन अपराधों के लिए सजा छह महीने और दो वर्ष के बीच की है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
- **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद (एनसीटी):** एनसीटी के निम्नलिखित सदस्य होंगे : (i) केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री (अध्यक्ष), (ii) सामाजिक न्याय राज्य मंत्री (सह अध्यक्ष), (iii) सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव, और (iv) स्वास्थ्य, गृह मामलों, आवास, मानव संसाधन विकास से संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि। अन्य सदस्यों में नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकारों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के पाँच सदस्य और गैर सरकारी संगठनों के पाँच विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।
- यह परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियाँ, विधान और योजनाएँ बनाने एवं उनका निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह प्रदान करेगी। यह ट्रांसजेंडर लोगों की शिकायतों का निवारण भी करेगी।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

ट्रांसजेंडर की पहचान को मान्यता देना: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि अपने लिंग की स्वयं पहचान करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार का ही एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में स्वयं की पहचान करने के अधिकार को बहाल रखा था। इससे गरिमा और सम्मान के साथ उनके जीने के अधिकार की रक्षा होगी।

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करें और उनके लिए सामाजिक कल्याण योजनाएँ तैयार करें। इस संबंध में यह दलील दी जा सकती है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए निर्धारित लाभों को हासिल करने हेतु आवेदकों की पात्रता के सत्यापन के मानदंड वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। अगर लिंग पहचान का निर्धारण स्वयं करना ही लाभ प्राप्त करने का एकमात्र मानदंड होगा तो अन्य द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।

अधिनियम में भेदभाव से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की रक्षा करने और उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान है। इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देने के लिए अधिनियम स्व अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान और स्क्रीनिंग प्रक्रिया, दोनों का प्रावधान करता है। इससे निम्नलिखित समस्या उत्पन्न हो सकती है-

1. स्वत: अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान' का अर्थ और प्रभाव अस्पष्ट है- अधिनियम कहता है कि पहचान के लिए जिला स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट के आधार पर किसी व्यक्ति को 'ट्रांसजेंडर' के तौर पर मान्यता दी जाएगी। यह सर्टिफिकेट 'ट्रांसजेंडर' की पहचान का प्रमाण होगा और इसके माध्यम से अधिनियम के तहत अधिकार प्रदान किए जाएंगे। हालांकि अधिनियम यह भी कहता है कि 'ट्रांसजेंडर' के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति को 'स्वयं अनुभव की जाने वाली' लिंग पहचान का अधिकार होगा। चूंकि अधिनियम के तहत पहचान से जुड़ा सर्टिफिकेट हासिल करना एक अनिवार्यता है, यह स्पष्ट नहीं है कि 'स्वयं अनुभव की जाने वाली' लिंग पहचान जैसे शब्द किस बात पर जोर देते हैं और इसे कैसे लागू किया जाएगा।
2. यदि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पहचान से जुड़ा सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार किया जाता है, तो इस स्थिति में अधिनियम में जिला स्क्रीनिंग कमिटी के इस निर्णय के खिलाफ अपील करने या इसकी समीक्षा करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा में निर्धारित मानदंड अस्पष्ट हैं: अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने के लिए कोई व्यक्ति न तो पूरी तरह से महिला हो और न ही पुरुष, या महिला और पुरुष दोनों का संयोजन हो, या न तो महिला हो और न ही पुरुष। लेकिन अधिनियम यह स्पष्ट नहीं करता कि क्या 'पुरुष' और 'महिला' जैसे शब्द उस बायोलॉजिकल सेक्स की तरफ संकेत करते हैं जिसमें मानव शरीर की रचना और गुण सूत्र यानी क्रोमोजोम्स शामिल हैं। या फिर 'पुरुष' और 'महिला' किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक लिंग अनुभूति का भी संकेत देते हैं जिसमें यह भी शामिल है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार की अनुभूति, पहचान और अभिव्यक्ति को चुनता है।

ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य के लिए विश्व प्रोफेशनल एसोसिएशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जैसी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ संस्थाओं का कहना है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसकी लिंग अनुभूति जन्म के समय नियत किए गए लिंग से मेल नहीं खाती। उल्लेखनीय है कि ऐसी संस्थाएं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा में किसी बायोलॉजिकल मानदंड को प्रस्तुत नहीं करतीं।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय की एक्सपर्ट कमिटी और 2014 के प्राइवेट मेंबर बिल ने केवल मनोवैज्ञानिक मानदंड के आधार पर 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति' की परिभाषा तय की है। यह अधिनियम इन परिभाषाओं से भिन्न परिभाषा देता है।

अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा में 'ट्रांस-मेन', 'ट्रांस-विमेन' और 'इंटरसेक्स भिन्नता' एवं 'लिंग विलक्षणता' जैसे शब्दों को शामिल किया गया है। लेकिन इन शब्दों को स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए यह अस्पष्ट है कि इन शब्दों के दायरे में कौन व्यक्ति आएंगे।

मौजूदा कानूनों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति और उनकी स्थिति: वर्तमान में विभिन्न आपराधिक और दीवानी कानूनों में लिंग की दो श्रेणियों, यानी पुरुष और महिला को मान्यता प्राप्त है। इन कानूनों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, 2005 और हिंदू उत्तराधिकार एक्ट, 1956 शामिल हैं जिनमें लिंग विशिष्ट प्रावधान हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 तीसरे लिंग, यानी 'ट्रांसजेंडर' को मान्यता देता है। हालांकि

अधिनियम यह स्पष्ट नहीं करता कि ये कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर किस प्रकार लागू होंगे।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न कानूनों के लिंग पहचान पर आधारित कार्यान्वयन के कारण समान अपराधों के लिए दंड अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रस्तुत अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के लिए निर्धारित दंड (दो वर्ष तक) के मुकाबले आईपीसी के तहत महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए दिया जाने वाला दंड (उम्रकैद तक) बहुत अधिक है।

आगे की राह

वास्तविकता में किन्नर समुदाय का समाज में कोई वजूद नहीं है कुछ ही लोग ऐसे है जिन्होंने आगे आकर चुनावों में प्रतिभाग किया या सरकारी नौकरियों और खेलों में प्रतिभाग किया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद उभयलिंगी समुदाय की स्थिति में अमूल चूल परिवर्तन हो सकेगें। हालांकि सिर्फ कानून बना देने से ही अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन नही हो जायेगा। इसके लिए सरकारों को निम्नलिखित उपायों पर भी शीघ्र ही विचार करना होगा-

- कानून का सही क्रियान्वयन हो सके इसके लिए केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी प्रयास करने चाहिए। कई ऐसे राज्य जैसे तमिलनाडु, बंगाल और केरल ने उभयलिंगी समुदायों के लिए योजनाएँ तैयार की हैं। इन योजनाओं को सभी राज्य सरकारों को अपनाना चाहिए।
- उभयलिंगी समुदाय के लिए शौचालय एक बड़ी समस्या है वे हमेशा असमंजस्य में रहते हैं कि वे पुरुष शौचालय का प्रयोग करें या महिला शौचालय का। इसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थलों में उभयलिंगी समुदाय के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- चूंकि यह समुदाय हमेशा से वंचना का शिकार रहा है इसलिए सरकार इस समुदाय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के समान दर्जा दे सकती है।
- रोजगार एवं पुनर्वास योजनाओं, उत्तराधिकार कानूनों, व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिन्दू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, आदि में मौजूदा लिंग विशिष्ट प्रावधानों को इस विधेयक के अनुरूप परिवर्तित किया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

3. राज्यपाल का विवेकाधिकार एवं उससे उपजते विवाद

चर्चा का कारण

हाल ही में 23 नवंबर को सुबह 5.47 बजे भारत सरकार के राजपत्र में महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाए जाने की अधिसूचना छपी। अधिसूचना छपने के करीब दो घंटे बाद ही बीजेपी के देवेंद्र फड़णवीस और एनसीपी के अजित पवार ने मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली। इस अभूतपूर्व घटनाक्रम में जिस बात ने विशेषज्ञों का ध्यान खींचा, वो है राष्ट्रपति शासन हटाए जाने की प्रक्रिया और राज्यपाल के विवेकाधिकार की शक्तियां। इस लेख में राज्यपाल की शक्तियों एवं उससे उपजे विवादों की चर्चा करेंगे।

परिचय

देश के संविधान में कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण पद हैं जो सीधे तौर पर सरकार तो नहीं चलाते लेकिन संवैधानिक तौर पर उनकी भूमिका किसी भी पद या जिम्मेदारी से बड़ी होती है। इनमें से एक पद है राज्यपाल का। 1960 के दशक में जब राज्यों में गठबंधन की राजनीति का उदय नहीं हुआ था तब तक राज्यपाल को मात्र राज्य के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर ही जाना जाता था और कई बार इस पद को मात्र शोभा का पद कहा जाता था। लेकिन बदलते राजनैतिक माहौल में राज्यपाल की भूमिका भी मजबूत होती चली गई। खासकर राजनैतिक अस्थिरता के समय राज्यपाल की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती गई क्योंकि ऐसी परिस्थिति में ही राज्यपाल के विवेक की परीक्षा होती है। हालाँकि कई बार राज्यपालों की ओर से लिए गए फैसले चर्चा और विवादों का कारण भी बने। कई बार मामले कोर्ट में भी गए। कई बार राज्यपालों के फैसलों ने संवैधानिक प्रावधानों की नई-नई व्याख्याएँ सामने रखीं। मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो महाराष्ट्र में जो राजनैतिक हालात उभरे थे, उसके बाद से ही राज्यपाल की भूमिका पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गयी।

महाराष्ट्र में पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव के बाद सरकार का गठन नहीं हो पाने के मद्देनजर 12 नवंबर को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आमतौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की राष्ट्रपति से सिफारिश के बाद राष्ट्रपति शासन हटाया जाता है। लेकिन मौजूदा मामले में केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बगैर राष्ट्रपति शासन को हटाने के लिए भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम-12 का उपयोग किया है।

नियम-12 क्या है

यह भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम 1961 (Government of India Transaction of Business rules 1961) के तहत आता है। इस नियम के तहत देश के प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार है कि अगर उन्हें जरूरी लगे तो वे इन नियमों की अनदेखी कर सकते हैं। नियम-12 के तहत लिए गए फैसले पर मंत्रिमंडल बाद में मंजूरी दे सकता है। इसी नियम की मदद से मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाया गया। महाराष्ट्र से पहले केंद्र सरकार द्वारा नियम-12 के इस्तेमाल का ताजा उदाहरण जम्मू-कश्मीर में देखा गया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित करने के लिए 31 अक्तूबर 2019 को नियम-12 का प्रयोग किया गया। बाद में 20 नवंबर को मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि नियम-12 का इस्तेमाल आमतौर पर 'असाधारण तात्कालिकता या अप्रत्याशित आपात स्थिति' वाली परिस्थितियों में होता है।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में शासन की कार्यकारी प्रमुख के रूप में अपने मंत्रिमंडल से सलाह-मशविरे के बगैर आपातकालीन अधिकार हासिल करने के लिए इसी प्रावधान का सहारा लिया था।

आमतौर पर 'घटना विशेष से जुड़ी असाधारण तात्कालिकता या अप्रत्याशित आपात स्थिति' में लागू किए जाने वाले इस प्रावधान के उपयोग पर विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। ऐसा बताया

गया है कि नियम-12 का इस्तेमाल एक 'साध्य अनियमितता' है, यानि जिसे राष्ट्रपति के फैसले को मंत्रिमंडल के समक्ष रखकर दूर किया जा सकता है।

गौरतलब है कि 44वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करते समय मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह लेना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन नियम-12 को तब भी लागू किया जा सकता है, जब राष्ट्रपति को इसके लायक तात्कालिकता दिखती हो, और बाद में वह इसे मंत्रिमंडल से अनुमोदित करा सकता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी अचारी राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के इस कदम को एक अपवाद बताते हैं जिसे आमतौर पर नहीं अपनाया जाता है। परंतु वह इस प्रक्रिया में कुछ भी कानून-विरुद्ध नहीं पाते हैं। ये नियम सरकार के परामर्श पर बनाए गए हैं और विशेष तौर पर मंत्रिमंडल के कामकाज के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा नियम-12 का उपयोग बिल्कुल वैध है और इसकी मंत्रिमंडल द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।

राष्ट्रपति शासन की बारम्बारता

देश के विभिन्न राज्यों में केंद्र की मर्जी से लगभग 120 से अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। किंतु जब इसका उपयोग करने वाला दल विपक्ष में रहा, तो वह इसे गलत बताता रहा। वर्तमान में लगभग 70 प्रतिशत से अधिक राज्यपाल सक्रिय राजनेता हैं। वस्तुतः राज्यपाल के चयन के लिए अब यह मानदंड नहीं रह गया कि वह एक प्रतिष्ठित, सत्यनिष्ठ और निष्पक्ष व्यक्ति हो, बल्कि उनके संबंध केंद्र सरकार से कितने घनिष्ठ हैं नियुक्ति का आधार बनता जा रहा है। वह विपक्ष शासित मुख्यमंत्री के लिए परेशानियाँ खड़ी कर देता है और राज्यपाल पद का उपयोग सक्रिय राजनीति में आने के लिए करता है। इस बात के अनेक उदाहरण हैं। 2015 में अरूणाचल प्रदेश में, 2016 में उत्तराखंड व 2018 में कर्नाटक में यह स्थिति को देखने को मिली। प्रत्येक राज्यपाल नियमों की अपने हिसाब से व्याख्या करता है। अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है और केंद्र के अनुसार कदम उठाता है।

कुछ महत्वपूर्ण वाद एवं निर्णय

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार: 1988 में एस. आर. बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार गठबंधन की सरकार थी जिसमें कई दल शामिल थे। तत्कालीन राज्यपाल पी. वेंकटसुबैया ने 1989 में बोम्मई सरकार (Bommai Govt.) को बर्खास्त कर दिया। इसके लिए आधार यह दिया गया कि बोम्मई सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है क्योंकि कई विधानसभा सदस्यों ने अपने दल बदल लिए हैं।

बोम्मई का कहना था कि उनके पास बहुमत है या नहीं इसकी परीक्षा विधानसभा के अन्दर की जानी चाहिए लेकिन राज्यपाल ने सरकार का अनुरोध ठुकरा दिया। उन्होंने केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी। 21 अप्रैल 1989 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत बोम्मई सरकार बर्खास्त कर कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध बोम्मई ने कर्नाटक उच्च न्यायाल में याचिका दायर की जहाँ उसे निरस्त कर दिया गया। तब वे सर्वोच्च न्यायालय चले गए। सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में फैसला करने में लगभग पाँच वर्ष लग गए। अंत में जाकर मार्च 11, 1994 में सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने अंतिम निर्णय दिया जो त्रिशंकु विधानसभाओं के मामले में एक सर्वकालिक निर्णय बन गया। इस आदेश के द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने पर कुछ बंदिशें लगा दी गईं।

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार मामले में 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के संदर्भ में जो फैसला दिया था, उसका आज भी हवाला दिया जाता है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को बर्खास्त संबंधी अनुच्छेद की व्याख्या की थी। इसमें उसने कहा था कि अनुच्छेद 356 के तहत यदि केन्द्र सरकार राज्य में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करती है तो सरकार बर्खास्त करने के कारणों की सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा कर सकता है।

बोम्मई केस (Bommai Case) भारत के राजनैतिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बहुमत होने या न होने का फैसला सदन में होना चाहिए, किसी दूसरी जगह नहीं।

रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार: वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच सदस्यीय बेंच ने रामेश्वर प्रसाद वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल बहुमत के दावे को नकार कर सरकार बनाने से इस आधार पर इंकार नहीं कर सकता कि उसकी व्यक्तिगत राय या अनुमान के अनुसार बहुमत अवैध या अनैतिक साधनों से जोड़ तोड़कर जुटाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तथा कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे चुनाव पूर्व उन दलों में गठबंधन हो या न हो।

नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (Deputy Speaker): सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में फैसला दिया था कि राज्यपाल के विवेकाधिकार से संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित है साथ ही इसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई के लिए तर्क होना चाहिए और यह सद्भावना के साथ की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को इससे कोई लेना-देना नहीं है कि किसी बहुमत मिलेगा। राज्यपाल आशंका के आधार पर कदम नहीं उठा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्यपाल की जिम्मेदारी लोकतंत्र को सही से चलाने में है ना कि लोकतंत्र पर धब्बा लगाने में।

सरकार बनाने के सम्बन्ध में राज्यपाल का दृष्टिकोण

संविधान में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पहले ही अपना बहुमत साबित करे। इस तरह राज्यपाल सरकार गठन के लिए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कुछ विकल्पों का पालन करते हैं। हालांकि संविधान में इन विकल्पों का उल्लेख नहीं है बल्कि इसका अनुपालन एक परंपरा के तौर पर किया जाता है-

- उस व्यक्ति को सरकार बनाने का न्यौता दिया जाए जिसके पास बहुमत हो।
- यदि एक पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो चुनाव पूर्व किये गए गठबंधन के नेता को न्यौता दिया जाए।
- अगर सबसे बड़ा दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो चुनाव के बाद हुए गठबंधन के नेता को सरकार बनाने को कहा जाए।
- यदि चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हुआ है तो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी पार्टी के नेता को सरकार बनाने को कहा जाए।
- अगर इनमें से भी कोई स्थिति नहीं है तो राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने को कह सकता है जो उनके नजर में विधानसभा में बहुमत साबित करने के लायक हो। जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति विधायक ही हो, पर मुख्यमंत्री चुने जाने के 6 महीने के भीतर

उसे राज्य के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है।

- अगर इनमें से कोई भी स्थिति नहीं बनती दिख रही हो तो राज्यपाल के सामने दुबारा चुनाव कराने की सिफारिश या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

एक बार यदि मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो राज्यपाल की ओर से बतायी गई समयसीमा में विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित करना होता है। अनुच्छेद 164 (2) में यह साफ कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के जानकारों ने इसका यह भी अभिप्राय निकाला है कि अगर मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति अपना उत्तरदायित्व साबित करने में नाकाम साबित हो जाए या सदन का विश्वास खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बावजूद कोई मुख्यमंत्री त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है।

अनुच्छेद 174 के अनुसार, राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य सरकार न तो विधानसभा का सत्र बुला सकती है और न ही स्थगित कर सकती है। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में राज्य के विधानसभा को भंग भी कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 174 (2) के तहत उसे ये शक्तियाँ दी गई हैं। यही नहीं, राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने विवेक का भी इस्तेमाल अपने फैसले लेने में कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत खो चुके मुख्यमंत्री की सलाह पर विधान सभा को भंग करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल ऐसा तब भी कर सकता है जब उसे लगे कि मुख्यमंत्री अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए ऐसी सिफारिश कर रहा है।

स्वविवेकीय शक्तियाँ

- कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है और ऐसे मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है।
- विदित हो कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन संविधान में इन शक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है और इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- संविधान के अनुच्छेद 163, 200, 201 आदि के तहत राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं तथा न्यायालय इन शक्तियों पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकता। हालांकि राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग तर्कसंगत कर सकते हैं स्वच्छंद नहीं।
- 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के लिये मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई, लेकिन राज्यपाल के लिये इस तरह का कोई उपबंध नहीं है।

राज्यपालों की भूमिका पर समितियों व आयोगों की अनुशंसाएँ

केंद्र-राज्यों के संबंधों पर अब तक तीन आयोग और दो समितियाँ गठित की जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्यपाल का पद विवाद से बाहर नहीं आ पाया है। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग, 1969 में राजमन्नार समिति, 1970 में भगवान सहाय समिति और 1988 में सरकारिया आयोग तथा 2011 में पुंछी आयोग ने राज्यपालों की भूमिका को लेकर कई प्रकार की सिफारिशें दी थीं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:

- राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से हो इसके लिये संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन किया जाए।
- राज्यपाल द्वारा अपने स्वविवेक के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का पर्याप्त स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।
- इस संवैधानिक प्रावधान को तत्काल निरस्त कर देना चाहिये कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगी।
- विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाना चाहिये और अधिवेशन में बहुमत से चुने गए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिये।
- राज्यपाल के पद पर नियुक्त किये जाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से होना चाहिये।
- राज्यपाल के पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति ने राजनीति, विशेषकर उस राज्य की राजनीति में अधिक भाग न लिया हो।
- जिस राज्य में विपक्षी दल की सरकार हो वहाँ केंद्र में शासक दल के किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये।

सरकारिया आयोग

1980 में गठित किये गए सरकारिया आयोग ने 1988 में 1600 पेज की अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर बिंदुवार 247 सिफारिशें की गई थीं। सरकारिया आयोग की केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में जो अनुशंसाएं हैं, उसके भाग-1 और अध्याय-4 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, राज्यपाल न तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और न उसका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय है।

आगे की राह

राज्यपाल की भूमिका केंद्र का प्रतिनिधित्व करना, राज्य की जनता की सेवा करना और केंद्र सरकार के समक्ष उनके हितों की लड़ाई लड़ना है। उसे संविधान के अधीन जो विवेकाधिकार प्राप्त है, उसका उपयोग व्यापक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर करना होगा, न कि दलगत लाभों को। इस संबंध में निष्पक्षता, ईमानदारी, संवैधानिक मूल्यों और परम्पराओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्यपाल के पद को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। समय आ गया है कि हम इस बात पर मंथन करें कि संविधानेत्तर शक्तियों को महत्व देने वाले व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाये या नहीं। यदि लोकतांत्रिक मूल्यों को पुन: पटरी पर लाना है, तो उच्च संवैधानिक पदों को राजनीति से अलग रखकर एक स्वस्थ और गौरवमयी परंपरा स्थापित की जाए। हमें तटस्थ गैर राजनीतिक राज्यपाल नियुक्त करने होंगे। उसके कार्यकाल की एक निश्चित सीमा भी तय करनी होगी, जिसके दौरान उसे अनावश्यक अथवा राजनीतिक कारणों से स्थानांतरण अथवा पद से न हटाया जाये। राष्ट्रपति की भांति इसकी भी नियुक्ति में एक ऐसी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, जिससे यह किसी दल का कठपुतली बनकर न रह जाये।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।

■

4. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से मातृ मृत्यु दर में कमी

चर्चा का कारण

हाल ही में सैपंल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के विशेष बुलेटिन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015-17 में मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में केरल सबसे अच्छा जबकि असम सबसे खराब राज्य रहा है।

मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) क्या है

एक लाख जीवित जन्म पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाती है। गर्भावस्था प्रसव दौरान या प्रसव पश्चात 42 दिन के भीतर गर्भावस्था के कारणों से होने वाली 15 से 49 वर्ष की महिला की मृत्यु को मातृ मृत्यु कहते हैं। भारत में पहली रिपोर्ट मातृ मृत्यु दर पर अक्टूबर 2006 में जारी की गई थी। इसमें साल 1997 से साल 2003 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें प्रचलन, कारण और खतरे को रेखांकित किया गया था।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में मातृ मृत्यु अनुपात 2014-16 के दौरान 130 से घटकर 2015-17 में 122 तक आ गया है।
- 2004 के बाद से देखें तो इसमें लगभग आधे की गिरावट आई है। 2004-05 में जहां मातृ मृत्यु दर 254 थी, वहीं 215-17 में 122 तक पहुंच गई।
- वर्ष 2013 के बाद देखें तो मातृ मृत्यु दर में 26.9% तक की कमी देखी गई है।
- रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में बच्चों को जन्म देने वाली प्रत्येक पाँच माँ से एक को खतरा रहता है।
- राज्यों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा एमएमआर असम में दर्ज किया गया है। यहाँ 2015-17 में एमएमआर 229 प्रति एक लाख दर्ज किया गया है।
- इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश (216), मध्य प्रदेश (188), राजस्थान (186), ओडिशा (168), बिहार (165) और फिर छत्तीसगढ़ (144) है।
- प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो मातृ मृत्यु दर उत्तर प्रदेश (20%) में सर्वाधिक है।
- इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश (17.5%), बिहार (16.9%), राजस्थान (16.8%) तथा असम (15.2%) हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम एमएमआर केरल में (42) और इसके बाद महाराष्ट्र (55), तमिलनाडु (63), आन्ध्रप्रदेश (74), झारखण्ड (76) और तेलंगाना (76) है।
- प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो मातृ मृत्यु दर के मामले में भी केरल (1.9) सबसे कम है। इसके बाद महाराष्ट्र (3.3) दूसरे नंबर पर है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुसार वैश्विक लक्ष्य 2030 तक एमएमआर को 70 से कम लाना है। इसके लिए सभी देश अपने-अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं।
- भारत में मातृ मृत्यु दर की स्थिति को आसानी से समझने और क्षेत्रीय स्तर पर किए गए बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए, सरकार ने राज्यों को तीन समूहों में विभाजित किया है। इसमें पहला समूह- ईएजी (Empowered Action Groups), दूसरा समूह- दक्षिणी राज्य और तीसरा समूह- अन्य राज्य हैं।
- ईएजी राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम हैं, जबकि दक्षिणी राज्यों की श्रेणी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु आते हैं और अन्य राज्यों की श्रेणी में शेष सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गए बुलेटिन के अनुसार भारत में ईएजी राज्यों और असम में मातृ मृत्यु दर में 246 से 188 तक की गिरावट रही तथा साथ ही दक्षिणी राज्यों में यह गिरावट 93 से 77 और अन्य राज्यों में 115 से 93 तक की गिरावट देखी गई है।

मातृ मृत्यु के कारण

गरीबी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, स्वास्थ्य के विषय में कम जानकारी, दूरदराज के एजेंसी क्षेत्रों में अस्पतालों तक पहुंच की कमी, अवैज्ञानिक सांस्कृतिक प्रथाओं और विश्वासों से मातृ मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। लगभग 75% मौतें बच्चे के जन्म के दौरान ज्यादा रक्तस्राव और प्रसवोत्तर संक्रमण के कारण होती हैं। गर्भावस्था के दौरान बढ़ा हुआ रक्तचाप और असुरक्षित तरीकों से गर्भपात भी कारण हैं।

कई अध्ययनों में पाया गया है कि भारत में लगभग 59 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी की शिकार हैं। एनीमिया को मातृ मृत्यु की प्रमुख वजह मानी जाती है। एनीमिया में महिलाओं को खून की कमी होती है जिस वजह से प्रसव के समय महिलाओं के ज्यादा खून बह जाना काफी खतरनाक होता है। क्योंकि शरीर में 60 प्रतिशत से कम हीमोग्लोबिन होने से इसे एक खतरे का संकेत भी माना जाता है। किंतु कई बार पहले से एनीमिया से जूझ रही महिलाओं का जब प्रसव के समय खून ज्यादा बह जाता है तो बच्चे को जन्म देते समय ज्यादातर मामलों में महिला की मृत्यु हो जाती है।

मातृ मृत्यु दर में गिरावट के कारण

सरकार ने सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल शुरू की हैं। इनमें से कुछ पहलें- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), पोषण अभियान एवं मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना हैं। इन योजनाओं को निम्न शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है-

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई): जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। इसे गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृत्व एवं नवजात मृत्यु दर घटाने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल, वर्ष 2005 को की गई थी। यह योजना कम निष्पादन वाले राज्यों (एलपीएस) पर विशेष बल के साथ सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में चल रही है। जेएसवाई 100% केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह योजना गर्भावस्था के दौरान प्रसूति पूर्व देखभाल, प्रसव के दौरान संस्थागत देखभाल तथा प्रसूति उपरांत देखभाल के साथ-साथ नकद सहायता भी प्रदान करती है।

इस योजना के तहत दस कम निष्पादन वाले राज्यों मुख्यतः आठ ईएजी राज्य, असम तथा जम्मू कश्मीर और शेष उत्तर-पूर्वी राज्यों में सरकार और गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच एक प्रभावी कड़ी के रूप में अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा की पहचान की गयी है। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (Anganwadi Worker) और

टीबीए (Traditional Birth Attendants) या आशा जैसे कार्यकर्ता इस उद्देश्य में संलग्न हैं।

इस योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी के पास एक एमसीएच कार्ड के साथ एक जेएसवाई कार्ड होना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी और एएनएम की संपूर्ण देखरेख में पहचान की गई संबंधित अधिकृत कार्यकर्ता आशा/एडब्ल्यूडब्ल्यू अनिवार्य रूप से विस्तृत जन्म योजना तैयार करेगें। यह प्रभावी रूप से प्रसव पूर्व जांच और प्रसवोत्तर देखभाल की निगरानी में मदद करेगा।

नकद आर्थिक सहायता के लिए पात्रता: गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र- यह सब एचपीएस राज्यों में आवश्यक है। हालांकि, जहां बीपीएल कार्ड अभी तक जारी नहीं किए गए हैं या अपडेट नहीं किए गए हैं, वहां राज्य/संघ शासित प्रदेश, ग्राम प्रधान या वार्ड सदस्य को अधिकृत करते हुए गरीब और गर्भवती माता के परिवार की जरूरतमंद स्थिति के प्रमाणपत्र के लिए एक सरल मानदंड तैयार करेंगे।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलायी गयी है। पहले इस योजना को मातृत्व सहयोग योजना कहा जाता था। इस योजना को 2010 में इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना (IGMSY) के रूप में शुरू किया गया था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इसका नाम बदलकर मातृ सहज योजना किया और बाद में 1 जनवरी, 2017 में इसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के नाम से पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना देश के विभिन्न राज्यों में भी लागू है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना होता है ताकि वह खुद के साथ-साथ अपने नवजात की भी देखभाल कर सकें।

इस योजना को 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाया जाता है। इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला व माताओं को 6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि सीधे उनके खाते में जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मानें तो पहले महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली योजनाएँ बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाती थीं क्योंकि इसके लिए जो जागरूकता चाहिए था वह नहीं होती थी। हालांकि 2017 के बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत इसे लोकप्रिय बनाने की कोशिश की गई है। इसके बारे में आशा और तमाम समाज सेवी संगठनों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाता है। वर्ष 2019 के सितंबर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से यह दावा किया गया है कि इस योजना के तहत कुल 4000 करोड़ से अधिक की राशि लाभार्थियों को वितरित कर दी गई है।

सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मानी गई हैं। योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हां, एक बात ध्यान करने वाली यह है कि सरकारी कर्मचारी, किसी अन्य कानून से लाभ पा रही प्राइवेट कर्मचारी या फिर पहले सभी किस्तें पा चुकी महिला को इसके लाभ से वंचित रहना होगा। सरकारी कर्मचारी की सेवाशर्तों में वेतन सहित मातृत्व अवकाश जैसे लाभ पहले से ही जुड़े होते हैं जबकि निजी संस्थान में काम करने वाली महिला अगर किसी अन्य कानून के तहत मातृत्व लाभ की सुविधा प्राप्त कर रही है तो वह भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है। साथ ही साथ किसी अन्य योजना का लाभ ले रही या फिर इसी योजना के तहत लाभ ले चुकीं महिलाओं को भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से वंचित रहना पड़ सकता है। हालांकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और आशा इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जून 2016 में शुरू किया। प्रत्येक महीने की नौ तारीख को लगने वाले इस विशेष जांच व इलाज कैंप में सुरक्षित मातृत्व और इससे जुड़े तथ्यों से गर्भवती महिलाओं को अवगत कराते हुए महिला चिकित्सकों द्वारा उसकी जांच कराते हुए मुफ्त में इलाज किया जायेगा।

- गर्भवती महिला के लिए खून की जांच, पेशाब की जांच, रक्तचाप, शुगर इत्यादि जांचों सहित आवश्यक औषधियों की नि:शुल्क सेवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान के आयोजन से गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान विशेषरूप से जटिल खतरों वाली संभावित गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबल मिलेगा।
- इस अभियान में आने वाली महिलाओं को अस्पताल प्रबंधन द्वारा एमसीपी कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे दिखा कर वह प्रत्येक महीने की नौ तारीख को अपना इलाज करा सकेंगी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ शिशु और स्वस्थ जीवन प्रदान करना है।
- इसका एक उद्देश्य यह भी है कि गर्भवस्था के दौरान और बच्चे को जन्म देते समय माता की मृत्यु दर और शिशु की मृत्यु दर को कम किया जा सके।
- गर्भवस्था के दौरान कोई महिला किन-किन स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकती है, इसके लिए लोगो में जागरूकता पैदा करना, भी इसका प्रमुख उद्देश्य है।
- इस योजना के उद्देश्यों में बच्चे के जन्म को एक सुरक्षित प्रक्रिया बनाना भी सम्मिलित किया गया है।

पोषण अभियान: पोषण अभियान (POSHAN : Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition) को मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य, गर्भवती महिलाओं, माताओं व बच्चों के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त इसका लक्ष्य बच्चों, महिलाओं में खून की कमी (एनीमिया) को दूर करना भी है।

- 0-6 वर्ष के बच्चों में ठिगनेपन से बचाव एवं इसमें कुल 6 प्रतिशत, प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना।
- 0 से 6 वर्ष के बच्चों का अल्प पोषण से बचाव एवं इसमें कुल 6 प्रतिशत, प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना ।
- 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया के प्रसार में कुल 9 प्रतिशत, प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना।
- 15 से 49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार में कुल 9 प्रतिशत, प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना।
- कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कुल 6 प्रतिशत, प्रति वर्ष 2%की दर से कमी लाना।

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना: विशेष रूप से निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को, विस्तारित किये गए 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश नियम को लागू करने के संबंध में प्रोत्साहित करने हेतु

श्रम मंत्रालय उन नियोक्ताओं को 7 हफ्तों का पारिश्रमिक वापस करने के लिये प्रोत्साहन योजना पर कार्य कर रहा है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एक ऐसी प्रोत्साहन योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत 15,000/- रुपए तक की वेतन सीमा वाली महिला कर्मचारियों को अपने यहाँ नौकरी पर रखने वाले और 26 हफ्तों का सवेतन मातृत्व अवकाश देने वाले नियोक्ताओं को 7 हफ्तों का पारिश्रमिक वापस कर दिया जाएगा।

इसके लिये कुछ शर्तें भी तय की गई हैं और यह अनुमान लगाया गया है कि प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना पर अमल करने से भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को लगभग 400 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ वहन करना पड़ेगा।

अन्य प्रयास

भारत में हाल के दिनों में मातृ मृत्यु की संख्या में उल्लेखनीय कमी एक सकारात्मक परिणाम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी पिछले 30 वर्षों में इन मौतों में 77 प्रतिशत की कमी लाने के लिए भारत की प्रशंसा की है। 1990 में देशभर में प्रति 1 लाख जन्म पर एमएमआर की औसत संख्या 556 थी। इसके कई कारण हैं - केंद्र सरकार माँ और बच्चे की देखभाल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है और उनमें काफी सुधार कर रही है। 2005 में अस्पताल में जन्म 18 प्रतिशत था। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने 2016 तक इसे बढ़ाकर 52 प्रतिशत करने के लिए कड़ी मेहनत की है। दूसरी ओर, केंद्रीय योजना 'मातृ-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम' सफल रहा है। इस योजना के तहत, अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा परिवहन भी प्रदान किया जाता है। सिजेरियन सेक्शन से ज्यादा जितना संभव हो उतना सामान्य प्रसव को प्राथमिकता दी जाती है।

चुनौतियाँ

यद्यपि सरकार ने मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सराहनीय प्रयास किये हैं बावजूद इसके अभी भी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिन्हें निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- मातृ मृत्यु दर का आकलन करने से पता चलता है कि राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच काफी भिन्नता है, अर्थात् यहाँ क्षेत्रीय भिन्नता है।
- गरीबी, अशिक्षा और बाल विवाह देश में मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए चुनौती बने हुए हैं। इन कारकों के कारण, भारत में प्रसव के दौरान मरने वाली माताओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है।
- सुरक्षा के कार्यक्रमों को लागू करने के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य से अभी भी बहुत दूर है। विश्व स्तर पर, मातृ मृत्यु दर 1990 की तुलना में आधे आंकड़ों से नीचे पहुँच गई है।
- भारत की स्थिति में उतनी तेजी से सुधार नहीं आया है जितनी उम्मीद की जा रही थी। यह दुखद है कि भारत और नाइजीरिया में मातृ मृत्यु की संख्या 2015 में दुनिया में तीसरी सबसे अधिक थी। 2017 के दौरान, जबकि दुनिया भर में प्रसव के दौरान मृत्यु दर 810 थी, यह भारत से 15 से 20 प्रतिशत थी।

आगे की राह

यदि महिलाएँ शिक्षित होंगी तो मातृ मृत्यु की संख्या में काफी कमी आ सकती है। भारत में महिला साक्षरता दर बढ़ी है। वर्तमान में यह लगभग 68 प्रतिशत है जबकि 18 वर्ष से पहले शादी करने वालों के अनुपात में काफी गिरावट आई है। महिलाओं को 18 वर्ष से अधिक उम्र में ही विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, गर्भधारण का सबसे अनुकूल समय 20 से 30 वर्ष की उम्र के बीच होता है।

यद्यपि 1990 से 2016 के बीच मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिये भारत ने वैश्विक औसत से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है लेकिन एमएमआर के नजरिये से ब्राजील (44), चीन (27) और जापान (5) जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ खड़ा होने में हमें अभी लंबा सफर तय करना होगा। हमारी योजनाएँ बेहतर काम कर रही हैं इन्हें और बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। मातृ मृत्यु के अभिशाप को खत्म करना और मातृत्व हक का सम्मान करना हमारी व्यवस्था का उत्तरदायित्व है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

5. ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा : एक विश्लेषण

संदर्भ

किसी भी देश और समाज की उन्नति तथा विकास उस देश के नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को केवल शाब्दिक ज्ञान देना नहीं होता बल्कि उसका मार्गदर्शन और चरित्र निर्माण के साथ-साथ उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाना भी होता है। शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक मूल्यों के विकास में मदद करती है। शिक्षित नागरिक ही देश और समाज की बेहतरी और विकास के बारे में सोच सकता है और एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था के निर्माण और विकास में मदद कर सकता है।

परिचय

देश में तेज रफ्तार से हो रहे शहरीकरण के बावजूद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दशकों पहले का कथन आज भी सत्य प्रतीत होता है कि 'भारत गांवों में बसता है'। आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त स्रोतों से संकलित विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2017 में भारत की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा 66.46 प्रतिशत बताया गया था और इस साल जब हम गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं तो हमें एक बार फिर याद दिलाया जा रहा है कि देश की प्रगति और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

अगर साक्षरता की बात करें तो शिक्षा का स्तर न केवल समाज के विकास के स्तर को प्रदर्शित करता है, बल्कि इससे समाज के विकास और आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना विकास में समग्र संतुलन सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों का मुख्य लक्ष्य बन जाता है।

2011 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर 68 प्रतिशत

के आसपास थी जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 84 प्रतिशत थी। इतना ही नहीं, केवल 59 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के साक्षर होने का अनुमान लगाया गया था जबकि 2011 में शहरी इलाकों में 80 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं।

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जनवरी से जून 2014 तक कराए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के वें दौर में 'सामाजिक उपभोग : शिक्षा' संबंधी सर्वेक्षण के कुछ दिलचस्प निष्कर्ष सामने आए हैं। इससे ग्रामीण और शहरी भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी-स्तर की कुछ वास्तविकताओं में विरोधाभास उजागर हुआ है जोकि नीति निर्माताओं के लिए बड़े महत्व का है।

वर्तमान परिदृश्य

राष्ट्र की 'आत्मा' माना जाने वाले ग्रामीण भारत में देश की कुल आबादी का 70 प्रतिशत निवास करता है। असल में पूरे यूरोप की जनसंख्या से अधिक लोग भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। बढ़ते शहरीकरण के बावजूद, अनुमान है कि 2050 तक देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करेगी। जनसंख्या की वजह से यहाँ उपलब्ध शानदार अवसरों का फायदा उठाकर राष्ट्र का विकास करने में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है।

ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र का दायरा काफी व्यापक है जिसके अंतर्गत 18 करोड़ विद्यार्थी आते हैं जो देश में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 71 प्रतिशत हैं। भारत में स्कूलों की कुल संख्या में से 84 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ऐतिहासिक विश्लेषण से पता चलता है कि इस क्षेत्र में सराहनीय प्रगति हुई है जिससे यहाँ के शैक्षिक परिदृश्य में आमूल परिवर्तन आ गया है। एक जमाना था जब शिक्षा को विलासिता माना जाता था और कुछ ही लोग शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। लेकिन आज देश के दूरदराज इलाकों में भी स्कूली वर्दी पहने बच्चे दिखाई देना बेहद आम बात है। पहली पीढ़ी के शिक्षा हासिल करने वालों की संख्या में शानदार बढ़ोतरी के बाद आज के बच्चे अपने माता-पिता की शैक्षिक उपलब्धियों से भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट से पता चलता है कि 1990 और 2017 के बीच स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में दुगुनी बढ़ोतरी हुई है और यह 3 वर्ष से बढ़कर 6.4 हो गयी है।

भारत सरकार हर किसी को शिक्षा तक पहुँच की सुविधा उपलब्ध कराने में सफल रही है। सर्व शिक्षा अभियान 2000 में शुरू किया गया, मध्याह्न भोजन योजना 2001 में लागू हुई और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में पारित हुआ। स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ाने और समानता पर आधारित शिक्षा के अवसर प्रदान करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। असल में 2007 से ग्रामीण और शहरी दोनों ही तरह के इलाकों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के दाखिले का आँकड़ा 95 प्रतिशत को पार कर चुका है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के मसौदे के मुताबिक, "शिक्षक वाकई में हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, लिहाजा वे हमारे राष्ट्र का भविष्य भी तय करते हैं। शिक्षकों के माध्यम से ही हमारे बच्चों को नैतिक मूल्य, ज्ञान, संवेदना, रचनात्मकता, जीवन कौशल और सामाजिक जिम्मेदारियां आदि चीजें मिलती हैं। प्राचीनकाल से ही शिक्षकों की हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षक हमारी शिक्षा प्रणाली का मुख्य केंद्र हैं और वे एक प्रगतिशील, शिक्षित और समृद्ध समाज बनाने की दिशा में अनिवार्य माध्यम हैं।" बच्चों में ज्ञान विकसित करने, प्रेरणा का दीप जलाने और रचनात्मक सोच तैयार करने में शिक्षक की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सरकारी प्रयास

देश में शिक्षा प्रणाली के ढाँचे को बदलने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं। शिक्षा के बुनियादी ढाँचे में सुधार लाने के लिए 'राइज'-अवसंरचना एवं शैक्षणिक प्रणालियों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा में सुधार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने स्वयं, दीक्षा और शगुन जैसे विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किए हैं। डिजिटल पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों में कायापलट हो सकती हैं क्योंकि इनसे देश में शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। देश के दूरदराज इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को तेजी से, उद्देश्यपूर्ण और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने और अध्यापकों को अध्यापन के साथ-साथ प्रशिक्षण प्रदान करने में डिजिटल पहलों की विशेष भूमिका हो सकती है।

सर्वागीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल ही में समग्र शिक्षा नामक महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की है। इसमें केंद्र द्वारा पहले से चल रही तीन योजनाओं- सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा योजना का विलय किया गया है। समग्र शिक्षा योजना को स्कूल-पूर्व कक्षाओं से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के विकास के लिए समन्वित योजना के तौर पर शुरू किया गया है। समग्र शिक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्रों समेत सभी इलाकों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में राज्यों को सहयोग दिया जाता है। साथ ही, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर भी फोकस किया जा रहा है।

कंफ्यूशियस ने कहा था, "मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं। मैं देखता हूं और याद रखता हूं। मैं करता हूं और समझ जाता हूं।" कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयोग द्वारा सीखना सबसे अच्छा तरीका होता है। छात्रों में अनुसंधान-आधारित शिक्षा के लिए रुचि विकसित करने हेतु प्रयोग महत्वपूर्ण है। साथ ही, हमें रोजगार-आधारित, अनुसंधानमुखी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस करने की आवश्यकता है। आज नवाचार शिक्षा का एक अहम तत्व बन गया है। उम्मीद है कि 'अटल टिंकरिंग लैब' और हाल ही में घोषित 'ध्रुव' कार्यक्रम इस दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे।

अटल टिंकरिंग लैब कार्यक्रम

अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) कार्यक्रम का संचालन नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन (एआईएम) द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम का मकसद देशभर के छात्र-छात्राओं में जिज्ञासा और तकनीकी मानसिकता पैदा करना है, ताकि देशभर के स्कूलों में शोध और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल का उद्देश्य भारत में 10 लाख बच्चों को 'नवअन्वेषक' बनाना है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए 8,878 स्कूलों को चुना गया है। इनमें से 3,020 स्कूलों ने शर्तों के पालन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली है और इनके लिए फंड भी दिए जा चुके हैं। लैब की स्थापना के लिए चुने गए स्कूल शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों से है। कुल 117 जवाहर नवोदय विद्यालयों को भी अटल टिंकरिंग लैब के लिए चुना गया है।

विद्यालयी शिक्षा संबंधित नीतियाँ

आज देश में करीब 15 लाख विद्यालय हैं जिनमें से लगभग 75 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन सभी विद्यालयों में 8,84,254 अध्यापक कार्यरत हैं जिसमें से 64,65,920 (73.12 प्रतिशत) अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनकी गुणवत्ता व उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर आयोग व कमेटियां बैठाई। बहुत से कार्यक्रम, नीतियां और योजनाएं बनाई, जिनका विवरण इस लेख में किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968, 1986) के अनुसार शिक्षकों के स्तर और शिक्षण-प्रशिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए। शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाए जाएँ और उनकी सेवा शर्तों को आकर्षक बनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1983-85)

के अनुसार शिक्षकों की प्रतिष्ठा, कार्यदशा सुधारने एवं कल्याण हेतु शैक्षिक प्रशासकों और शिक्षकों को संग्रहित राष्ट्रीय वेतनमान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों की भर्ती को संस्था-आधारित करते हुए स्थानांतरण की वर्तमान प्रणाली से बाहर निकलने की जरूरत है। शिक्षक संगठनों की सहमति से शिक्षकों के लिए आचार-संहिता तैयार की जा सकती है। शिक्षण व्यवस्था की उच्चतर प्रतिष्ठा तथा मान्यता प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए।

यशपाल समिति की रिपोर्ट (1993) "शिक्षा बिना बोझ के" में लिखा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी के कारण स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम स्कूल की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। इन कार्यक्रमों में इस बात पर बल देना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थियों में स्वयं-अधिगम और स्वतंत्र-चिंतन की योग्यता का विकास हो सके।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005-08) के अनुसार अध्यापक स्कूली प्रणाली के सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। एक व्यवसाय के रूप में स्कूली शिक्षकों की प्रतिष्ठा बहाल किए जाने और योग्य तथा प्रतिबद्ध अध्यापकों को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। शिक्षा के इतर सरकारी काम जैसे कि चुनाव संबंधी क्रियाकलाप इस तरह किए जाने चाहिए कि वे शिक्षण प्रक्रिया में कोई बाधा न बनें। स्कूली अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी प्रणालियां होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि योग्य अध्यापकों की सेवाएँ प्राप्त की जाएँ और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि वे बेहतर ढ़ंग से काम कर सकें।

उपलब्धियाँ

- सभी विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सुविधाएं प्रदान की गई हैं। छात्रवृत्तियां, पाठ्य-पुस्तकें, ड्रेस, मध्यान्ह भोजन एवं अन्य सामग्री निःशुल्क दी जा रही हैं। छात्रों की रूचि अनुसार शिक्षण एवं अन्य गतिविधियों में भागीदारी की सुविधा दी जा रही है ताकि आर्थिक कारणों से पढ़ाई में बाधा न आए। शिक्षण व अन्य गतिविधियों में भागीदारी की सुविधा दी जा रही है। मूल्यांकन के लिए ग्रेडिंग पद्धति लागू है। शिक्षा में अब नए-नए तरीकों का प्रयोग बढ़ रहा है। इन सभी प्रयोगों से विभिन्न-स्तरों में पढ़ रहे स्कूलों के विद्यार्थियों के परीक्षाफल के प्रतिशत में काफी सुधार हुआ।
- सन् 1951 में हमारे देश में केवल पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक 2,30,700 स्कूल थे जो 2019 में बढ़कर 15 लाख हो गए। इन सत्तर वर्षों में सात गुना वृद्धि हुई। ज्यादातर विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए।
- सन् 2016-17 में बच्चों के सकल नामांकन अनुपात प्राइमरी में 95 प्रतिशत, मिडिल में 90.7 प्रतिशत, सेकेंडरी में 79.3 प्रतिशत और हायर सेकेंडरी में 51.5 प्रतिशत है, जोकि पहले वर्षों की तुलना में कई गुना ज्यादा है।
- इन विद्यालयों में आज 25 करोड़ बच्चे प्राइमरी, मिडिल व सेकेंडरी-स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जोकि 1951 की तुलना में दस गुना ज्यादा है। सन् 1951 में लगभग 2.40 करोड़ बच्चे ही पढ़ते थे।
- सन् 1951 में प्राइमरी-स्तर पर 83.85 प्रतिशत, मिडिल-स्तर पर 51.6 प्रतिशत व सेकेंडरी-स्तर पर 73.33 प्रतिशत बच्चे शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ जाते थे जो घट कर प्राइमरी-स्तर पर 4.13 प्रतिशत, मिडिल-स्तर पर 4.03 प्रतिशत और सेकेंडरी-स्तर पर 17.06 प्रतिशत हो गया है।

आधारभूत ढाँचे में सुधार जरूरी

एक दशक से भी अधिक समय तक देश में स्कूली शिक्षा के लिए चली नीति को सरकार ने अब समग्रता में देखने का निश्चय किया है। पिछले वर्ष के बजट में सरकार ने पूरी स्कूली शिक्षा को समग्र शिक्षा नीति के तहत लाने का फैसला किया। बीते एक दशक में स्कूली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्कूलों तक लाने का रहा। लेकिन अब सरकार का जोर उन्हें स्कूल में बनाए रखने से लेकर उनकी शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को ऊपर ले जाने पर है। फिर चाहे वो शहरी स्कूल हों या ग्रामीण स्कूली शिक्षा। सरकार का लक्ष्य न सिर्फ बच्चों को स्कूलों में लाने का है बल्कि उन्हें शिक्षित करने वाले अध्यापकों की गुणवत्ता पर भी नजर रखना है। स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने स्कूलों में सुविधाएँ बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है जिसमें प्रत्येक स्कूल में लाइब्रेरी और खेल से संबंधित मूलभूत ढाँचा तैयार किया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के प्रसार में मूल समस्या बच्चों को स्कूलों तक लाने की रही है। इसकी एक बड़ी वजह इन इलाकों में स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढाँचे का अभाव रहा है। खासतौर पर लड़कियों के लिए इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का न होना उनकी स्कूल में अनुपस्थिति की मूल वजह रहा ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा का कवरेज भी बेहद सीमित रहा है। स्कूलों की संख्या की साल 2008-09 की गणना के मुताबिक देश के 633 जिलों में ग्रामीण शिक्षा के संसाधन उपलब्ध थे। इन जिलों में ग्रामीण स्कूलों की संख्या 11,22,334 थी। इस संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। लेकिन अभी तक इसका कोई आधिकारिक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण इलाकों में स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढाँचे के निर्माण और उन तक बच्चों की पहुँच को लेकर यही एक समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त कई ऐसी समस्याएँ हैं जो बच्चों की स्कूलों तक पहुँच मुश्किल बनाती हैं।

परिवहन की समस्याः ग्रामीण इलाकों में बच्चों के स्कूल तक पहुँचने की एक बड़ी वजह परिवहन जैसी बुनियादी सुविधा की समस्या रही है। कई इलाकों में एक प्राथमिक स्कूल आसपास के चार-पाँच गाँवों के बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराता है। ऐसे में अधिकांश बच्चों को दो से तीन किलोमीटर का सफर तय करके स्कूलों तक पहुँचना पड़ता है।

कमजोर स्कूली अवसरंचनाः ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा मुहैया कराने में एक बड़ी वजह स्कूलों के आधारभूत ढाँचे का कमजोर होना है। शिक्षकों और खासतौर पर प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव इसकी एक बड़ी वजह है। इसकी वजह से शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात काफी अधिक रहता है। इसके चलते शिक्षा की गुणवत्ता काफी कमजोर रहती है।

स्कूलों में खेलों के ढाँचे में सुधारः ग्रामीण स्कूलों में खेलों की सुविधाओं पर 'प्रथम' की रिपोर्ट इसकी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर स्कूलों में खेल के मैदान की बात की जाए तो भारत के लगभग दो तिहाई से अधिक स्कूल परिसर में मौजूद हैं। यहाँ 88 प्रतिशत के साथ सिक्किम, 87 प्रतिशत के साथ महाराष्ट्र, 86 प्रतिशत के साथ त्रिपुरा, 84 प्रतिशत के साथ हरियाणा, 83 प्रतिशत के साथ हिमाचल प्रदेश, 82 प्रतिशत के साथ गुजरात और 84 प्रतिशत के साथ कर्नाटक शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शामिल हैं।

गुणवत्ता पर प्रभावः ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के भौतिक ढाँचे, सुविधाओं और उन तक बच्चों की पहुँच की दिक्कत स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। 'असर' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण स्कूलों में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले 50 फीसदी बच्चे दूसरी कक्षा की पुस्तक पढ़ने में विफल रहे हैं। साथ ही वह गणित के बुनियादी सवालों का हल नहीं निकाल पाते।

चुनौतियाँ

- वर्तमान में शिक्षकों से गैर-शैक्षिक कार्य जैसे कि दोपहर का भोजन तैयार कराना, चुनाव का कार्य देना, बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना, जनगणना की जिम्मेदारी देना, प्रशासनिक कार्य कराना इत्यादि कराए जाते हैं, जोकि शैक्षिक कार्य में बाधा डालते हैं। शिक्षकों से केवल शैक्षिक कार्य ही कराए जाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में शिक्षकों को शैक्षिक कार्य करने दिए जाने की सिफारिश की गई। अध्यापक शिक्षा के सभी कोर्सों में उनके पाठ्यक्रम में इन मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए।
- आज हमारे विद्यालयों में 10 लाख अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। ये ज्यादातर ग्रामीण विद्यालयों के हैं। इन विद्यालयों में कई जगह अध्यापक और बच्चों का अनुपात 60:1 है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अध्यापकों की कमी है वहाँ पर हिंदी के अध्यापक गणित पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अनिवार्य सुविधाओं की भी कमी है। इसके अतिरिक्त एक लाख बीस हजार ऐसे विद्यालय हैं जहाँ केवल एक ही अध्यापक कार्य कर रहा है। ये ज्यादातर प्राथमिक-स्तर के हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। इस सभी राज्यों में सरकार द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति की जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा सके।
- प्रयोगात्मक और प्रदर्शनात्मक विद्यालय नहीं हैं। प्रयोगशालाएं भी नहीं हैं, विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। साथ ही, बालकों में जागरूकता का अभाव है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 लागू होते हुए भी सभी गरीब बच्चों को शिक्षा का हक नहीं मिल पा रहा है। इसलिए शिक्षा का अधिकार कानून को ठीक रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए और इसमें पायी गयी कमियों को दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त, इसको अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि भावी शिक्षकों को शुरू से इस अधिनियम के बारे में जानकारी हो सके।

निष्कर्ष

शिक्षण पेशे में बुनियादी बदलाव की जरूरत है, ताकि शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया का स्तर बेहतर बनाया जा सके। शिक्षकों की क्षमता और शिक्षण का स्तर सुधारने की सख्त जरूरत है। इससे जुड़े कुछ सुझाव नीचे दिए जा रहे हैं-

ग्रामीण इलाकों और शिक्षण के पेशे में बेहद मेधावी छात्र-छात्राओं की पहुँच हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए देशभर में योग्यता-आधारित छात्रवृत्ति शुरू करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास योग्यता-आधारित छात्रवृत्ति हो, जो उनके स्थानीय क्षेत्र में रोजगार की गारंटी भी दे। छात्रों के 4 साल के इंटीग्रेटेड बी. एड. कोर्स को पूरा करने के लिए यह छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में शिक्षण का काम करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। विशेष रूप से दूरदराज के वैसे ग्रामीण इलाकों में यह व्यवस्था की जानी चाहिए, जहाँ बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं।

शिक्षण में उत्साह और दिलचस्पी का पता लगाने के लिए कक्षाओं में डेमो या इंटरव्यू को स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का जरूरी हिस्सा बनाया जाना चाहिए। सभी स्थायी शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चार साल का इंटीग्रेटेड बी. एड. कोर्स होना चाहिए। हालांकि, स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को विभिन्न विषयों मसलन पारंपरिक स्थानीय कलाओं, व्यावसायिक कोर्स की खातिर (विशेष प्रशिक्षक) के रूप में स्थानीय विशिष्ट लोगों की भर्ती की अनुमति देनी होगी। इससे छात्र-छात्राओं को फायदा होगा और स्थानीय भाषा के संरक्षण और संवर्धन में भी मदद मिलेगी। अगले दो दशक में शिक्षकों और विषयवार शिक्षकों की अनुमानित जरूरत के मूल्यांकन के लिए व्यापक-स्तर पर काम करने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

6. क्वाड : भारत के इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक व आर्थिक हित

चर्चा का कारण

हाल ही मे आसियान देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने थाइलैंड की राजधानी बैंकाक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे संग द्विपक्षीय बैठक की थी। इस बैठक मे उन्होने कहा कि हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए भारत और जापान मिलकर काम करेंगे। उनके अनुसार क्वाड का निर्माण करने वाले चार लोकतांत्रिक देश जिनकी सोच एक जैसी मानी जाती है, ये साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं, और एक भू-राजनैतिक इलाके का निर्माण कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

अमेरिका-भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान इन चार देशों के गठजोड़ को क्वाड (QUAD) कहा जाता है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र जिसे अब हिन्द प्रशांत क्षेत्र कर दिया गया है, में बनने वाला चतुर्भुज है जिसमें ये सभी चार देश शामिल हैं। इस संगठन को धरातल पर लाने हेतु पहली शुरूआत नवंबर 2017 में मनीला में आयोजित आसियान सम्मेलन के दौरान हुई थी।

ज्ञात हो कि आसियान की बैठक के समानान्तर एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें इस चतुर्भुज की रूपरेखा पर विचार किया गया था। यदि हम क्वाड के विकास क्रम की चर्चा करें तो इसकी प्रथम शुरूआत वर्ष 2007 में हुई थी। वर्ष 2007 में इस प्रस्ताव को शिंजो अबे द्वारा रखा गया। उनकी इच्छा थी कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में एक संगठन का निर्माण किया जाए। इसके पश्चात् वर्ष 2012 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय अमेरिका में एक नीति का निर्माण किया गया था जिसका नाम था 'Pivoit to asia' जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक नई सामरिक और रणनीतिक गठबंधन को तैयार करना था और सबसे पहले इसकी घोषणा अमेरिका के तत्कालीन रक्षा मंत्री द्वारा सिंगापुर में की गई थी। रक्षा मंत्री के अनुसार अमेरिकी युद्ध पोत के सम्पूर्ण बेड़े का अब तक अटलांटिक और प्रशांत क्षेत्र में बराबर-बराबर तैनाती का बँटवारा रहता था अर्थात् 50-50 प्रतिशत। 'Pivoit to asia' नीति के पश्चात् अब ये अनुपात बदल कर 60 प्रतिशत प्रशांत क्षेत्र में तथा 40% अटलांटिक क्षेत्र में हो गया। इस बात से जाहिर है कि अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र को लेकर कितना गंभीर है। इसके पश्चात् तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने एक टीम का निर्माण किया जिसने यह निष्कर्ष दिया कि आने वाले समय में अमेरिकी हितों के लिए एशिया पैसिफिक सबसे बड़ा सामरिक क्षेत्र साबित होगा।

इस बात के मद्देनजर वर्ष 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत की यात्रा पर आए जहाँ भारत व अमेरिका ने एक ज्वाइंट विजन पर डिक्लेरेशन को स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर भी

किए थे। ये ज्वाइंट विजन भारत की एक्ट एशिया पॉलिसी तथा अमेरिका की एशिया पाइवोट (ASIA Pivoit) पॉलिसी के लक्ष्यों को एक साथ लाने पर आधारित थी और यही आकर वर्ष 2017 में क्वाड (QUAD) के निर्माण के लिए आधार बना।

वर्तमान स्थिति

मौजूदा समय में इंडो-पैसिफिक पर चारों देशों का अपना नजरिया है जिसे साझा नजरिए के साथ मिलाकर आगे बढ़ना हर देश के लिए मुश्किल हो जाता है। इससे ये जरूरत पैदा हो गई है कि 4 देशों के तालमेल के मकसद पर फिर से बहस की जाए। वास्तव में कामचलाऊ छोटे-छोटे यूनियन में बंटना, चारों देशों के बीच मेल-मिलाप की कमी जैसे मसलों ने इस ग्रुप के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं कि क्या ये कुछ ठोस नतीजे दे पाएगा या बस ऐसे ही अलग-अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों का फोरम बनकर रह जाएगा। दूसरा मुद्दा ये है कि क्या 4 देशों का ये तालमेल इलाके में एक शक्तिशाली सुरक्षा ढाँचा बनाने में सक्षम है? और अगर ये संभव है तो उसका आकार कैसा होगा? इस तरह के सवाल खड़े होने के पीछे कारण हैं। पहला, जहाँ एक तरफ देश 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसेफिक' के लिए वचनबद्ध हैं वहीं दूसरी ओर आपसी सामंजस्य ढीला-ढाला है, इतना कि मंत्री स्तर पर इसकी औपचारिकता भी पूरी नहीं हो पायी है।

हालांकि, चारों देशों के बीच समुद्र में सुरक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यासों का मजबूत सहयोग है लेकिन एक इकाई के तौर पर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर कुछ ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। अनौपचारिक वादों, चीन को लेकर कुछ सदस्य देशों की बढ़ती चिंता और ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के क्षेत्रीय संकल्पों को लेकर अस्पष्टता ने अभी तक कुछ ठोस नतीजा लेकर सामने नहीं आया है।

भारत ने समुद्र में आने-जाने की आजादी के सिद्धांत पर जोर देकर, समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान कर और चारों देशों के साझा विचार के साथ तालमेल बैठाकर अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। ये स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि भारत का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से सहयोग बढ़ रहा है। इस इलाके में और ज्यादा औपचारिक सुरक्षा ढांचे का पक्षधर न होते हुए भी वो ये नहीं चाहता कि उसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी खास गुट के साथ हो जिसका असर उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़े और यही वो दुविधा है जिसके कारण चार देशों के समूह और हिंद प्रशांत पर भारत का नजरिया साफ नहीं हो पाया है।

हिंद-प्रशांत और चार देशों के समूह को अलग-अलग करके देखने का भारत का कूटनीतिक नजरिया न सिर्फ पूरी स्थिति को अस्पष्ट करता है बल्कि एक ऐसे सुरक्षा ढाँचे की जरूरत को बल देता है जो भू-राजनीतिक विखंडन के बजाय एक सिलसिलेवार रणनीति की वकालत करता है।

क्या है हिंद-प्रशांत क्षेत्र

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हिंद Iindo) यानी हिंद महासागर (Indian Ocean) और प्रशांत (Pacific) यानी प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है, उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Area) कहते हैं। विशाल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सीधे जलग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले देशों को 'इंडो-पैसिफिक देश' कहा जा सकता है। इस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट, इंडियन ओशन तथा वेस्टर्न एवं सेंट्रल पैसिफिक ओशन मिलकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र बनाते हैं। इसके अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर आता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिये इसे अपनी भव्य रणनीति का एक हिस्सा मानता है, जिसे चीन द्वारा चुनौती दी जा रही है। ट्रंप द्वारा उपयोग किये जाने वाले 'एशिया-प्रशांत रणनीति' Indo-Pacific Strategy) का अर्थ है कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य प्रमुख एशियाई देशों, विशेष रूप से जापान और ऑस्ट्रेलिया, 'शीत युद्ध' के बढ़ते प्रभाव के नए ढाँचे में चीन को रोकने में शामिल होंगे। वर्तमान में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश शामिल हैं, जो विश्व के सतह क्षेत्र का 44 प्रतिशत, विश्व की कुल आबादी का 65 प्रतिशत, विश्व की कुल GDP का 62 प्रतिशत तथा विश्व के माल व्यापार का 46 प्रतिशत योगदान देते हैं।

क्वाड के उद्देश्य

किसी भी गठबंधन के बनने के दो मुख्य कारण होते हैं, पहला व्यक्त या दृश्य कारण दूसरा गौंण कारण। इसी प्रकार क्वाड के भी मुख्यत: दो उद्देश्य हैं। क्वाड के बनने के दृश्य कारणों में से एक है- एशिया प्रशांत क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी या समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना। दूसरा कारण इनहैंसमैंट ऑफ कनेक्टविटी अर्थात् एशिया के पैसिफिक क्षेत्र के सभी देशों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए। इस लिहाज से इन सभी देशों ने कहा कि हम एक फ्री एण्ड ओपन इंडो-प्रैसिफिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगें।

इसके अलावा क्वाड के यदि गौंण या छिपे हुए उद्देश्यों की चर्चा की जाए तो दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति को नियंत्रित करने के लिए तथा चीन की बहुमहत्वाकांक्षी परियोजना OBOR जिसका अभी चीन ने नाम बदल कर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) कर दिया है, के मद्देनजर भी क्वाड को धरातल पर लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जबकि QUAD योजना को लेकर जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा का कहना है कि, यह योजना चीन के BRI के विरोध में न होकर एक विकल्प है। यदि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान भारत अपने साझा हितों पर नियंत्रित रूप से चर्चा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम चीन के BRI के जबाव में कोई विकल्प तैयार कर रहे हैं।

अत: यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि QUAD के निर्माण को लेकर सभी शामिल देशों के अपने -अपने हित हैं और इनके ये सभी हित किसी न किसी वजह से चीन से टकरा रहे हैं। यदि भारत के हितों की चर्चा की जाए तो चीन द्वारा भारत की एनएसजी सदस्यता का विरोध, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा, प्रतिबंध लगाए जाने का चीन द्वारा विरोध करना इसके साथ ही चीन तथा पाकिस्तान के सैन्य संबंधों की प्रगाढ़ता, हिन्द महासागर में चीनी सेना की उपस्थिति (स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल) में विस्तार आदि कारण भी भारत QUAD के निर्माण के लिए प्रमुख कारण हैं।

यदि अमेरिकी हितों को देखा जाए तो चीन एशियाई क्षेत्र में किसी भी अमेरिकी गठबंधन को खत्म करने की रणनीति बना रहा है। साथ ही अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन एक वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरे। वहीं जापान का मानना है कि उत्तर कोरिया द्वारा जापान पर मिसाइल दागने के पीछे चीन का हाथ है। साथ ही दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा बार-बार जापान की संप्रभुता को भी चुनौती दी जाती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अपने बुनियादी ढाँचे और राजनीतिक गतिविधियों में चीन की बढ़ती रुचि से परेशान है। अर्थात् चीन का विस्तारवादी रवैया क्वाड के निर्माण में एक अहम कारण है। वहीं चीन का मानना है कि यह गठबंधन नाटो का एशियाई संस्करण है जिसे उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव एवं महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है।

भारतीय दृष्टिकोण का विश्लेषण

2017 से जब से चार देशों के समूह का पुनरुत्थान हुआ है तब से भारत के उसके साथ सक्रिय संबंध हैं, साथ ही उसने चार देशों के समूह के उद्देश्य और हिंद-प्रशांत के नजरिए को भी अलग करने पर जोर दिया है। भारत ने

अपनी कार्रवाई और बयानों के जरिए चार देशों के समूह और हिंद प्रशांत के बीच वैचारिक और संरचनात्मक नीति के अंतर को उजागर किया है। चीन के वुहान और रूस के सोची में हुई दो अहम अनौपचारिक शिखर बैठकों के बाद इन चार देशों के समूह के लिए भारत की गर्मजोशी में कमी देखी गई। भारत चार देशों के समूह को हिंद-प्रशांत में सक्रिय बहुत से संगठनों में से एक संगठन के तौर पर देखता है न कि एक ऐसा संगठन जो इलाके में बहुत अहम है। भारत ने नौपरिवहन की आजादी और समुद्री कानूनों के सम्मान पर जो जोर दिया है उससे न सिर्फ उसका एक अलग मुकाम बना है बल्कि चार देशों के समूह के केंद्रीय विचार से भी ये मेल खाता है। भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति महज चार देशों के समूह का नेतृत्व नहीं मानती बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता कायम रखते हुए रूस के साथ भी अपने विकल्प खुले रखना चाहती है। साथ ही ऐसी किसी हरकत से परहेज करना चाहता है जिससे चीन के साथ इसके संबंध बिगड़े नहीं।

हिंद-प्रशांत में भारत स्वायत्तता और सामंजस्य के बीच एक तालमेल बनाना चाहता है। हालाँकि, ये चार देशों के समूह (चौकड़ी) को हिंद-प्रशांत से अलग देखता है, पर इसके साथ ये खतरा भी है कि क्षेत्रीय विखंडता के लिए एक सिलसिलेवार रणनीति बनाने का मौका हाथ से निकल जाए। भारत के उद्देश्य का एक सकारात्मक तर्क ये भी है कि हिंद-प्रशांत को एक सिलसिलेवार रणनीति के तौर पर देखा जाए न कि क्षेत्रीय आधार पर कुछ बंटे हुए लक्ष्यों, साझेदारियों और गठबंधनों के तौर पर। चार देशों का ये समूह, भारत को एक मौका देता है कि वो इलाके के मध्य में होने के नाते दोनों छोर पर रणनीतिक आधार पर अपनी सुरक्षा जरूरतों को खाड़ी से लेकर मलक्का स्ट्रेट (जलडमरू मध्य) तक पुख्ता करे।

2018 के शांग्रिला डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद-प्रशांत के मुद्दे पर भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि, भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र को एक रणनीति या सीमित सदस्यों के क्लब के रूप में नहीं देखता और न ही ऐसे गुट के तौर पर जो वर्चस्व चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी साफ कर दिया कि भारत की हिंद-प्रशांत नीति चीन को एक किनारे लगाने के लिए भी नहीं है, हिंद-प्रशांत को लेकर भारत की एक सकारात्मक सोच है, जिसमें आसियान को केंद्र में रख कर दक्षिण पूर्व एशिया को क्षेत्र का अहम् इलाका माना गया है। भारत की परिभाषा के तहत हिंद-प्रशांत 'एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी क्षेत्र है जो हम सब को प्रगति और खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ते हुए हर किसी को खुले दिल से स्वीकार करता है।' इसमें वो सभी देश शामिल हैं जो इस क्षेत्र के भीतर आते हैं और बाहर के भी जिनका यहाँ साझेदारी है।' भारत ने जानबूझकर 'समावेशी' शब्द जोड़कर हिंद-प्रशांत की परिभाषा को वैचारिक दृष्टि से एक नया आयाम देने की कोशिश की है।

भारत की परिभाषा में जिस तरह से 'सबको' शब्द शामिल किया गया है, वो सीधे तौर पर चार देशों के समूह के चीन विरोधी लक्ष्य को कमजोर करता है। ऐसा करने के पीछे की नीयत कहीं न कहीं, भारत को इस क्षेत्र में नौपरिवहन में सहूलियत दिलवाने के साथ ही बड़ी शक्तियों के साथ किसी तरह की दुश्मनी न मोल लेनी पड़े उसे ध्यान में रखते हुए किया गया है।

इस क्वॉड यानि चौकड़ी को दोबारा खड़ा ही स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के कथन पर हुआ है न कि क्षेत्रव्यापी समावेश के लिए। इस पूरे कथन के निशाने पर चीन है क्योंकि उसका भारी सैन्यीकरण, दक्षिण चीन सागर में दावों और हिंद महासागर में नौसेना की रणनीतिक चौकियों को क्षेत्र को अस्थिर करने की मुख्य वजह माना जा रहा है। हालाँकि, क्वॉड चीन के साथ का संतुलन बनाने की कोशिश में लगा है, लेकिन भारत ने हिंद-प्रशांत में चीन के संदर्भ में अभी अपनी नीति को स्पष्ट नहीं किया है। फिलहाल वो चौकड़ी का हिस्सा है जो क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख पर लगाम लगाने के लिए नियमबद्ध व्यवस्था का हिमायती है और साथ ही एक ऐसे समावेशी क्षेत्र की भी बात कर रहा है जो किसी देश के खिलाफ नहीं है। फिर भी समावेश की सीमाओं को भारत ने परिभाषित नहीं किया है।

इससे ये साबित होता है कि हिंद-प्रशांत पर भारत की सोच चीन पर लगाम लगाना नहीं बल्कि चौकड़ी की तरफ उसका झुकाव साझा सिद्धांतों की तरफ प्रतिबद्धता है। दूसरा अहम मुद्दा हिंद प्रशांत की धारणा को लेकर भारत की सोच में एक स्वाभाविक विरोधाभास है। हिंद प्रशांत को लेकर भारत की सोच और पूरे क्षेत्र को एक साथ लेकर चलने की उसकी विचारधारा इस क्वॉड यानि चौकड़ी के मिनी लैट्रलिज्म यानि ऐसी व्यवस्था जहाँ कूटनीति के जरिए बातचीत की जाए के खिलाफ जाती है। फिर ये सवाल भी उठता है कि समावेश पर भारत के दबाव से कहीं चौकड़ी के मिनी लैट्रलिज्म पर विपरीत असर तो नहीं पड़ेगा। स्पष्टता की इस कमी की वजह से ही चार देशों की ये चौकड़ी कोई सार्थक काम नहीं कर पा रही है।

हालांकि भारत यह जानता है कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय क्षेत्र है और हिंद महासागर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सागरीय क्षेत्र है। इस लिहाज से इस क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नीली अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र विद्यमान है। इस क्षेत्र में भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार देने में मदद मिलेगी, और हम विश्व में सबसे बड़ी नीली अर्थव्यवस्था धारित करने वाले देश हो जाएंगे। इसके साथ ही यह पूर्वी एशियाई देशों के साथ रिश्तों को और मजबूती प्रदान करेगा। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में 'स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स' के जरिए घेराबंदी कर रहा है। अतः क्वाड के चतुष्कोणीय गठबंधन के फलस्वरूप भारत यदि चारों देशों के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी करता है तो इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व को कम किया जा सकता है जो भारतीय दृष्टिकोण के लिए अहम है।

आगे की राह

क्वाड सामरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस योजना से भारत को सागरीय क्षेत्र से संबंधित अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इससे भारत विश्व में सर्वाधिक नीली अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र बन सकता है। निःसंदेह चीन का उद्भव एक वास्तविकता है जिससे भारत को निपटना होगा लेकिन कूटनीति एक ऐसी कला है जो सही संतुलन पर निर्भर करती है और भारत को वह संतुलन बनाकर चलना होगा। भले ही क्वाड में छिपे हुए उद्देश्य हो सकते हैं जिनमें चाहे वह चीन के विस्तारवादी रूख में अंकुश लगाना हो या चीन के बीआरआई का विकल्प, पर भारत को क्वाड के इस छिपे हुए अर्थ के अतिरिक्त अन्य लाभों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करना होगा ताकि भारत को इस क्षेत्र में कूटनीतिक बढ़त हासिल हो सके तथा उसपर किसी देश विरोधी होने का धब्बा भी न लगे।

भारत सरकार को भारत-प्रशांत को एक ऐसे मंच के तौर पर देखना चाहिए जो भारत प्रशांत के दो समुद्री छोरों को जोड़ता है। भारत को

इस इलाके में अपनी मौजूदगी मजबूत करते हुए हिचकिचाहट छोड़ते हुए सुरक्षादाता की भूमिका अपनानी चाहिए। उसे होर्मुज स्ट्रेट तक जाने में जो हिचकिचाहट है, उसे छोड़ कर मलक्का स्ट्रेट के पार जाने से गुरेज नहीं करना चाहिए। हालांकि, इस क्वॉड के जरिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन ये कितना असरदार साबित होता है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत अपने इरादों में कितना स्पष्ट है। उसे अपना रुख साफ करना होगा कि हिंद-प्रशांत में चौकड़ी के सदस्य हों या फिर चीन दोनों के साथ उसके संबंध क्या होंगे? इस सिलसिले में कुछ सवालों के जवाब बेहद अहम हैं। क्या भारत को चार देशों के समूह और इंडो पैसिफिक को अलग अलग देखना चाहिए या सहजीवी के तौर पर। इस तरह के सवालों से भारत के बेहतर ढंग से निपटना होगा तथा वसुधैव कुटुम्बकं वाली अपनी महान धारणा पर कायम रहना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

7. भूस्खलन जोखिम तथा स्थिरता सम्मेलन-2019

चर्चा का कारण

हाल ही में राजधानी दिल्ली में भूस्खलन जोखिम कटौती तथा स्थिरता पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Landslides Risk Reduction and Resilience, 2019) का आयोजन किया गया। देश में इस तरह का आयोजन पहली बार किया गया है। सम्मेलन में भूस्खलन जैसी आपदाओं से निपटने के लिये आवश्यक प्रौद्योगिकी तथा नुकसान को कम करने में त्वरित प्रतिक्रिया के लिये आधारभूत संरचना विकसित करने पर बल दिया गया।

भूस्खलन क्या है

ठोस चट्टान अथवा शैल यदि अचानक ढलान पर फिसल जायें तो उसको भू-स्खलन कहते हैं। भू-स्खलन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो छोटे-बड़े पैमाने पर विश्व के सभी देशों में प्रायः होती रहती है, परंतु बड़े पैमाने पर भू-स्खलन की संख्या कम है जो विशेष परिस्थितियों में होते हैं। भू-स्खलन चंद सेकंडों में हो सकता है तथा इसमें कुछ दिन और महीने भी लग सकते हैं।

बहुत-से भू-स्खलन नदियों के जलमार्गों के रास्ते में रोधक बनकर बड़े जलाशयों को जन्म देते हैं, जो अस्थाई होती हैं। कुछ समय के बाद ऐसे बाँधों के ऊपर से पानी बहने लगता है और बाँधों को बहा ले जाता है तथा इन अस्थाई जलाशयों अथवा झीलों को समाप्त कर देता है। भू-स्खलन अन्य भौतिक आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी की भांति विनाशकारी नहीं होते, फिर भी यदि किसी बस्ती अथवा नगर या कस्बे के पास भू-स्खलन हो जाये तो भारी जान-माल का नुकसान हो सकता है। भू-स्खलन की तीव्रता चट्टानों की संरचना तथा सघनता पर निर्भर करती है। शैल-बहाव, कीचड़-बहाव, चट्टानी टुकड़ों का गिरना, मलवा का खिसकना भू-स्खलन के कुछ उदाहरण हैं।

भूस्खलन के प्रकार

यूँ तो किसी भी ढलान पर चट्टानों के खिसकने को भूस्खलन कहते हैं, फिर भी भू-आकृति विज्ञान के विशेषज्ञ भू-स्खलन को निम्न वर्गों में विभाजित करते हैं-

- **चट्टानों का या चट्टानों के टुकड़ों का गिरना (Rock Fall):** चट्टानों का गिरना एक तीव्रगति का भूस्खलन है, जिसमें चट्टान अथवा चट्टानी टुकड़े तीव्र गति से ढलान के साथ नीचे की ओर गिरते या लुढकते हैं। इस प्रकार के भूस्खलन में अलग-अलग चट्टानी टुकड़े नीचे की ओर गिरते हैं। ढलान के आधार पर मलवा अथवा टाइल्स इकट्ठा हो जाता है।
- **मलवा स्लाइड (Debris Slides):** इस प्रकार के भू-स्खलन में तुलनात्मक रूप से सूखी चट्टानों के टुकड़े एवं मिट्टी नीचे की ओर खिसकते हैं।
- **कीचड़/मड प्रवाहित होना (Mud-Flow):** इस प्रकार के भू-स्खलन में चट्टानों के टुकड़े, मलवा, मिट्टी एवं पानी इत्यादि मिश्रित होते हैं जो नीचे की ओर खिसकते हैं। इस प्रकार के भू-स्खलन की गति ढलान की तीव्रता एवं कीचड़ की तरलता पर निर्भर करता है। कीचड़ प्रवाह से बहुत-सी बस्तियाँ नष्ट हो सकती हैं।

  इस प्रकार के भू-स्खलन में यदि जल की मात्रा मलवे में अधिक हो तो बहाव की गति होती है जिससे भारी जान व माल को नुकसान हो जाता है।
- **खड़े ढलान से चट्टानों का खिसकना (Rockfall from Steep Cliff):** खड़े-ढलान से गिरने वाली चट्टानों अथवा चट्टानी टुकड़ों के लुढ़कने को रॉक-फॉल कहते हैं।
- **राक-स्लाइड (Rockslide):** यदि किसी पहाड़ी ढलान पर कोई चट्टान अपने आधार से अलग होकर नीचे की ओर खिसकने लगे तो उसको रॉक-स्लाइड कहते हैं।
- **चट्टानी धँसाव (Slump):** इस प्रकार के भू-स्खलन में मलवा एक वक्र रेखा की भांति नीचे की ओर खिसकता है और मलवा नीचे ढलान के आधार पर जाकर एकत्रित हो जाता है।
- **मृदा का रेंगना (Soil Creep):** यह एक बहुत मद गति वाला भूस्खलन है। इसमें मृदा के कण ढलान पर नीचे की ओर खिसकते रहते हैं। दिन में तापमान की वृद्धि तथा रात में तापमान में कमी होने के कारण चट्टानों के कण अलग होते रहते हैं।
- **ब्लॉक-स्लाइड (Block-Slide):** इस प्रकार के भू-स्खलन में पूरा ब्लॉक ही नीचे की ओर खिसकता है।
- **धरती-खिसकना अथवा अर्थ-क्रीप (Earth Creep):** धरातल का ढलान पर नीचे खिसकने का मुख्य कारण मलवे में जल-मात्रा का अधिक होना है। इसमें भूमिगत जल की भी विशेष भूमिका होती है। यदि ऐसे स्थान पर ढलान को काटकर सड़क का निर्माण किया जाये तो धरती नीचे की ओर खिसकने लगती है।
- **धँसाव (Subsidence):** इस प्रकार के भू-स्खलन में धरती नीचे की ओर धँसने लगती है। भूपटल से अधिक जल का निकालना, तेल निकालने तथा खनन के कारण इस प्रकार का धँसाव संभव होता है। इस प्रकार का भू-स्खलन प्रायः कार्स्ट प्रदेशों में देखा जा सकता है।

वैश्विक स्थिति

दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों में हाल के वर्षों में भूस्खलन बढ़ते जा रहे हैं और वैज्ञानिक इसकी वजह वर्षा की प्रवृत्ति में अत्यधिक बदलाव, भूकंप के जोखिम और अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों को मानते हैं। अधिकारियों का कहना है कि भूस्खलन की वजह से बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और बेघर हुए हैं। भूस्खलन की ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

दक्षिण एशिया में भूस्खलन एक आम बात हो गई है, खास कर मॉनसून के दौरान हिंदू-कुश-हिमालय के इलाके में। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ये वृद्धि खास कर भारत के उत्तरी हिस्सों, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिल रही है।

2017 में दुनिया भर में हुए भूस्खलनों में 60 प्रतिशत भूस्खलन दक्षिण एशिया में हुए हैं जहां इस प्राकृतिक आपदा के कारण लगभग 580 लोग मारे गए। 2011 में भी तकरीबन इस तरह की स्थिति रही।

हाल ही में चीन में मात्र एक दिन में भू-स्खलन से माओशिन काऊंटी के शिनमो गांव में लगभग 100 लोग भू-स्खलन व पहाड़ टूटने से दबकर मर गए। इससे पहले बांग्लादेश के चटगांव क्षेत्र में भू-स्खलनों से मौतों का दर्दनाक सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। वैसे भी नए 'डरहम फेटल लैंडस्लाइड डेटाबेस' के आधार पर विश्व स्तर पर यह कहा गया है कि भूस्खलन से होने वाली मौतों की संख्या पहले के अनुमानों की अपेक्षा पांच से दस गुना अधिक है। साल 2004 और 2010 के बीच जहाँ पहले विश्व में भूस्खलन से 3,000 से 5,000 मौतें हुईं थीं, वहीं अब लगभग 32,300 मौतों का आंकड़ा दिया जा रहा है।

ग्लोबल फैटल लैंडस्लाइड डाटाबेस (Global Fatal Landslide Database : GFLD) के अनुसार, एशिया महाद्वीप को सर्वाधिक प्रभावित माना गया है जहाँ 75% (भारत में 20%) भूस्खलन की घटनाएँ घटीं।

भारत की स्थिति

भारत में मानव-प्रेरित भूस्खलनों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। विचारणीय है कि 2004-2016 के अंतराल 28% निर्माण-प्रेरित भूस्खलन की परिघटनाएं घटित हुई थीं, इसके बाद चीन (9%), पाकिस्तान (6%), फिलिपीन्स (5%), नेपाल (5%) और मलेशिया (5%) का स्थान है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने पिछले साल अगस्त के महीने में भारी बारिश के कारण पश्चिमी घाट में हुए भूस्खलनों के मानचित्र बनाए हैं और उनकी व्यापक सूची भी तैयार की है। इस अध्ययन में पिछले साल भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित तीन राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के 23 जिलों के कुल 98 हजार 356 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का मानचित्रण किया गया है। इस पूरे क्षेत्र के 22.69 वर्ग किलोमीटर संचयी क्षेत्र में कुल 6,970 भूस्खलन दर्ज किए गए।

केरल में सबसे अधिक 5,191 भूस्खलन, कर्नाटक में 993 और तमिलनाडु में 606 भूस्खलन हुए थे। करीब 83.2 प्रतिशत भूस्खलनों का मुख्य कारण भारी बारिश थी। भारी बारिश के अलावा, इन भूस्खलनों के लिए भौगोलिक ढलानों को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। अध्ययन में अत्यधिक ऊंची ढलान वाले क्षेत्रों में करीब 38 प्रतिशत, उच्च ढलानों पर लगभग 36 प्रतिशत और मध्यम ढलानों पर लगभग 18 प्रतिशत भूस्खलन दर्ज किए गए हैं।

तीनों राज्यों में हुई दैनिक वर्षा के वितरण का विश्लेषण अमेरिका के नेशनल ओशिनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर (सीपीसी) के आंकड़ों पर आधारित है। वैज्ञानिकों का कहना है- हिमालय के बाद भारत का पश्चिमी घाट भूस्खलन के प्रति दूसरा सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है। यहां खड़ी ढलानें हैं, जो मिट्टी से ढकी हुई हैं। इसलिए बरसात के दौरान भूस्खलन का खतरा यहां सबसे अधिक होता है।

जीएसआई के अनुसार देश का 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूकंप की आशंका से ग्रस्त है, जिसमें से 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्सा पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके दार्जिलिंग के अलावा सिक्किम, असम, अरुणाचल और मिजोरम जैसे राज्यों में है। इसके अलावा 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य हैं।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के अनुसार, भारत के कुल स्थलीय क्षेत्र का लगभग 12.6% भूस्खलन-प्रवण संकटग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

सिक्किम की सुभेद्यता: यह 4,895 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लैंडस्लाइड के प्रति संवेदनशील है, जिसमें से 3,638 वर्ग किमी क्षेत्र मानव जनसंख्या, सड़कों और अन्य अवसंरचनाओं से घिरा हुआ है।

तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र जैसे पश्चिमी घाट और कोंकण की पहाड़ियों में बसे राज्यों का लगभग 90 हजार वर्ग किलोमीटर इलाका भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी का 10 हजार वर्ग किलोमीटर इलाका भूस्खलन वाले क्षेत्र में स्थित है।

भूस्खलन आपदा बचाव के उपाय

पिछले कुछ समय से दुनिया भर में भूस्खलन के कारण होने वाले नुकसान के संबंध में चर्चा की जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, संभवत: इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि यह आपदा समुदायों, पशुधन, पर्यावरण तथा जान-माल को व्यापक क्षति पहुँचाती है।

भूस्खलन अंतर्जात तथा बर्हिजात बलों के कारण आते हैं। ये प्राय: अकस्मात् घटित होते हैं जिस कारण इनके बारे में भविष्यवाणी करना कठिन कार्य होता है फिर भी कुछ प्रभावशाली उपाय जो इस आपदा के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सके निम्नलिखित हैं-

- **भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के मानचित्र तैयार करना (Mapping of the Landslide Prone Areas):** भूस्खलन आपदा के प्रकोप को कम करने के लिये, ऐसे क्षेत्रों के मानचित्र तैयार करना अनिवार्य है, जहाँ यह आपदा प्राय: आती है। ऐसे क्षेत्रों में जंगलों को काटने तथा भवन निर्माण एवं पशु-चरन (Grazing) पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए।
- **मजबूत-दीवार निर्माण करना (Retaining Walls):** जिस ओर भूस्खलन का मलबा लुढ़क रहा हो उस ओर मजबूत-दीवार का निर्माण करना चाहिए। ध्यान रहे ऐसी मजबूत दीवार के निर्माण के कारण प्राकृतिक जल अपवाह में रुकावट उत्पन्न न हो।
- **इंजीनियरिंग संरचनाएँ (Engineering Structures):** विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग उपाय करके भी भूस्खलन आपदा के प्रकोप को कम किया जा सकता है। जैसे लोहे के तारों के जाल को भूस्खलन के स्थान पर लगाना।

- **जल अपवाह नियंत्रण (Surface Drainage Control):** यदि जलवाह ठीक प्रकार से हो तो चट्टानों में जल-रिसाव कम होगा जिसके कारण भू-स्खलन की संभावना कम होगी।
- **वृक्षारोपण (Planting of Trees):** वृक्षारोपण, भूस्खलन रोकने का एक प्रभावशाली तरीका है। वृक्षों की जड़ों से चट्टानों में मजबूती आती है तथा मिट्टी अपरदन भी कम होता है।
- **भूमि का वैज्ञानिक उपयोग (Scientific Use of Land):** पर्वतीय भागों तथा नदियों के पर्वतीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक विधियों से भूमि उपयोग करना चाहिए। भू-स्खलन के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है तथा इस बारे में ग्रामीण स्तर पर संगोष्ठी भी करने की आवश्यकता है।

सरकारी प्रयास

स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर भूस्खलन के मानचित्रण में सुदूर संवेदन आंकड़ों को उपयोगी पाया गया है। इन आंकड़ों को भू विज्ञान, भौमकीय संरचना, भूमि उपयोग/भूमि आवरण, अपवाह, भूस्खलन खतरे आदि के मानचित्र तैयार करने में भी प्रयोग किया जाता है। भौगोलिक सूचना तंत्र द्वारा इन मानचित्रों में ढलान, ढलान के रुख, ढलान रूपाकृति, चट्टानों का आकार परिवर्तन, ढलान संस्तारण, कोन सह संबंध जैसे विषयक मानचित्रों को शामिल कर भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों को दर्शाया जा सकता है।

अंतरिक्ष विभाग द्वारा उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन तथा यात्री-मार्गों एवं शिलांग-सिलचर-आइजोल में खतरनाक क्षेत्रों के मानचित्र तैयार किए हैं। आपदा सेवा केन्द्र संबंधी क्रियाकलापों के अंतर्गत सभी प्रमुख भूस्खलनों द्वारा पहुंची क्षति के आकलन हेतु निगरानी किया जा रहा है।

हाल ही में, पूर्वोत्तर हिमालय के सिक्किम-दार्जलिंग क्षेत्र में एक वास्तविक समय (Real Time) आधारित भूस्खलन चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से 24 घंटे पहले ही अग्रिम चेतावनी जारी की जा सकेगी। इस प्रणाली में 200 से अधिक सेंसर हैं जो भूगर्भीय और हाइड्रोलॉजिकल मापदंडों जैसे- वर्षा, दबाव (मृदा में स्थित जल का दाब) और भूकम्पीय गतिविधियों का मापन कर सकते हैं।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) भूस्खलन डेटा संग्रह और भूस्खलन अध्ययन करने के लिए भारत सरकार की एक "नोडल एजेंसी" है तथा इसके द्वारा सभी प्रकार के भूस्खलनों और ढाल स्थिरता सम्बन्धी शोध कार्य किया जाता है। यह खान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है।

नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग (NLSM), GSI द्वारा 2018 के अंत तक लगभग 1.71 लाख वर्ग किसी क्षेत्र को कवर करने वाले भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रों (Landslide Susceptibility Maps) के निर्माण को सम्पन्न करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस परियोजना द्वारा भारत के सभी भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों का समेकित भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र और भूस्खलन इन्वेंटरी मानचित्र प्रदान किया जाएगा, जिसका उपयोग आपदा प्रबन्धन समूहों के वास्तुकारों तथा भावी योजनाकारों द्वारा किया जा सकता है।

नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट (NLRMP), NDMA (National Disaster Management Authority) द्वारा एक नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट (NLRMP) चलाया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत मिजोरम में एक भूस्खलन स्थल का चयन किया गया है।

भूस्खलन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (International Programme on Landslides- IPL), का उद्देश्य भूस्खलन जोखिम शमन पर विशेष रूप से विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी अनुसन्धान और क्षमता निर्माण करना है। समाज और पर्यावरण के लाभ के लिए सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण किया जायेगा। आइपीएल की गतिविधियों द्वारा आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (ISDR) में योगदान दिया जाएगा।

अन्य प्रयास

- देश को प्रभावित करने वाली भूस्खलन घटनाओं से सम्बन्धित सूची तैयार करना और उसे निरंतर अद्यतन करना।
- सीमा सड़क संगठन, राज्य सरकारों और स्थानीय समुदायों के परामर्श से क्षेत्रों की पहचान और प्राथमिक निर्धारण के बाद सूक्ष्म और वृहत स्तर पर भूस्खलन खतरे की क्षेत्रीय मैपिंग करना।
- भूस्खलन शोध, अध्ययन और प्रबन्धन के लिए एक स्वायत्त राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना करना।
- ढलानों के स्थिरीकरण के लिए गति अवरोध (Pacesetter) की स्थापना करना।
- भूस्खलन सम्बन्धी शिक्षा एवं पेशेवरों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
- भूस्खलन अध्ययन पर नई संहिता और दिशा-निर्देशों का विकास करना और मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन करना।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

देश में आपदाओं का मुकाबला करने, उनमें कमी लाने तथा पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिए वंचित संस्थात्मक तंत्र तैयार करने के लिए आपदा प्रबंधन विधेयक की 28 नवम्बर, 2005 को राज्य सभा तथा 12 दिसम्बर, 2005 को लोकसभा से स्वीकृति मिली। 23 दिसम्बर, 2005 से यह कानून प्रवर्तित हो गया। इस अधिनियम में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार सम्बंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा विभागवार योजनाएं तैयार करने का भी प्रावधान है। इसमें आपातकालीन कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के गठन की भी व्यवस्था है। अधिनियम में राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही निधि तथा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि और राज्य तथा जिला स्तरों पर इसी तरह की निधियों के गठन का भी प्रावधान शामिल है। इसमें पंचायती राज संस्थानों और नगरपालिकाओं जैसे शहरी स्थानीय निकायों सहित स्थानीय निकायों की विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गई है।

निष्कर्ष

भूस्खलन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक सराहनीय कार्य है लेकिन इसका ध्यान रखना होगा कि यह सिर्फ सम्मेलन तक ही सीमित हो कर न रह जाये बल्कि इसके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना होगा। यह एक विश्वव्यापी व त्वरित घटना है इसलिए इसका समाधान भी विश्वव्यापी होना चाहिए।

विदित हो कि विकसित देशों के पास उच्च तकनीक है जिसका प्रयोग इस तरह की आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने व इससे निपटने में किया जा सकता है। इसलिए विकसित देश विकासशील व अल्पविकसीत देशों को भी तकनीकी रूप से सुदृढ़ कर इस तरह की आपदाओं से निपटने में मदद कर सकते हैं। अतः ऐसे मामलों पर पूरे विश्व को मिलजुलकर काम करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- आपदा और आपदा प्रबंधन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. भारत में यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएँ : चिंता का विषय

प्र. दुष्कर्म्म की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए उपयुक्त सुझाव दें साथ ही कानूनी पक्षों का विश्लेषण करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- समूचा राष्ट्र रांची और हैदराबाद में हुए जघन्य, सामूहिक दुष्कर्म से न केवल अशांत है बल्कि कलंकित भी हुआ है। इन घटनाओं ने एक बार फिर देश के सामने नारी अस्मिता एवं उसकी सुरक्षा का प्रश्न खड़ा कर दिया है।

भारत में दुष्कर्म के मामले एवं दोष सिद्धि की दर

- वर्ष 2016 के एक आंकड़े के अनुसार भारत में दुष्कर्म के रोजाना 106 मामले सामने आते हैं। इससे पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि यहां दुष्कर्म के सभी मामलों की रपट नहीं दर्ज कराई जाती। कुछ सामाजिक पहलुओं और इंसाफ पाने के लिए जटिल न्यायिक प्रक्रिया के कारण इससे जुड़े सभी अपराध दर्ज नहीं हो पाते।

महिला अत्याचार के खिलाफ कड़े कानून

- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005
- कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

सख्त कानूनों क बाद भी अपराधों में कमी क्यों नहीं

- न्याय में देरी, खत्म होता सजा का भय, अश्लील सामग्री, पुरुषवादी मानसिकता, प्रशासनिक उदासीनता इत्यादि।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए प्रभावी कदम

- महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तीन ई (Es) पर अधिकाधिक जोर दिए जाने की आवश्कता हैः 1. लड़कों को लैंगिक बराबरी के बारे में शिक्षा (Educating Boys on Gender Equality), 2. लड़कियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना (Empowering Girls Both Economically and Socially) और 3. उन कानूनों का पालन किया जाना जो मौजूद हैं पर इस्तेमाल में नहीं लाए जाते (Enforcing the Laws That Exist and are not Implemented)।

आगे की राह

- महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए कि मोबाइल कंपनियां सभी मोबाइल फोन्स में अब पैनिक बटन अनिवार्य करें ताकि महिलाएं इस बटन को दबाकर तुरन्त मदद मांग सकें। ■

2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 : एक अवलोकन

प्र. ऐसे कौन से कारक हैं जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय उपेक्षा व भेदभाव का शिकार हुआ? ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में ट्रांसजेंडर (उभयलिंगी) समुदाय को शिक्षा, नौकरी के साथ-साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव से बचाने और उन्हें अधिकारों से युक्त करने से जुड़ा विधेयक राज्यसभा ने भी पास कर दिया है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में सेवा प्रदान करने से इनकार करना या अनुचित व्यवहार करना शामिल हैः (i) शिक्षा, (ii) रोजगार, (iii) स्वास्थ्य सेवा, (iv) सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध उत्पादों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुँच और उसका उपभोग, (v) कहीं आने-जाने का अधिकार इत्यादि।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

- **ट्रांसजेंडर की पहचान को मान्यता देनाः** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि अपने लिंग की स्वयं पहचान करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार का ही एक हिस्सा है।

आगे की राह

- कानून का सही क्रियान्वयन हो सके इसके लिए केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी प्रयास करने चाहिए। ■

3. राज्यपाल का विवेकाधिकार एवं उससे उपजते विवाद

प्र. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की चर्चा करते हुए इसके पद संबंधी विवादों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में 23 नवंबर को सुबह 5.47 बजे भारत सरकार के राजपत्र में महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाए जाने की अधिसूचना छपी।

कुछ महत्वपूर्ण वाद एवं निर्णय

- **एस. आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार:** सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बहुमत होने या न होने का फैसला सदन में होना चाहिए, किसी दूसरी जगह नहीं।
- **रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार:** वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच सदस्यीय बेंच ने रामेश्वर प्रसाद वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल बहुमत के दावे को नकार कर सरकार बनाने से इस आधार पर इंकार नहीं कर सकता कि उसकी व्यक्तिगत राय या अनुमान के अनुसार बहुमत अवैध या अनैतिक साधनों से जोड़ तोड़कर जुटाया गया है।

सरकार बनाने के सम्बन्ध में राज्यपाल का दृष्टिकोण

- उस व्यक्ति को सरकार बनाने का न्यौता दिया जाए जिसके पास बहुमत हो। यदि एक पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो चुनाव पूर्व किये गए गठबंधन के नेता को न्यौता दिया जाए। अगर सबसे बड़ा दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो चुनाव के बाद हुए गठबंधन के नेता को सरकार बनाने को कहा जाए।
- संविधान के अनुच्छेद 163, 200, 201 आदि के तहत राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं तथा न्यायालय इन शक्तियों पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकता। हालांकि राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग तर्कसंगत कर सकते हैं स्वच्छंद नहीं।

आगे की राह

- राज्यपाल की भूमिका केंद्र का प्रतिनिधित्व करना, राज्य की जनता की सेवा करना और केंद्र सरकार के समक्ष उनके हितों की लड़ाई लड़ना है। उसे संविधान के अधीन जो विवेकाधिकार प्राप्त है, उसका उपयोग व्यापक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर करना होगा। ■

4. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से मातृ मृत्यु दर में कमी

प्र. हाल ही में सैपंल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, बावजूद इसके अभी भी चुनौतियाँ विद्यमान हैं? चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में सैपंल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के विशेष बुलेटिन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015-17 में मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है।

मातृ मृत्यु दर में गिरावट के कारण

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, पोषण अभियान इत्यादि।

चुनौतियाँ

- मातृ मृत्यु दर का आकलन करने से पता चलता है कि राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच काफी भिन्नता है, अर्थात् यहाँ क्षेत्रीय भिन्नता है।
- गरीबी, अशिक्षा और बाल विवाह देश में मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए चुनौती बने हुए हैं। इन कारकों के कारण, भारत में प्रसव के दौरान मरने वाली माताओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है।

आगे की राह

- यदि महिलाएँ शिक्षित होंगी तो मातृ मृत्यु की संख्या में काफी कमी आ सकती है। भारत में महिला साक्षरता दर बढ़ी है। वर्तमान में यह लगभग 68 प्रतिशत है जबकि 18 वर्ष से पहले शादी करने वालों के अनुपात में काफी गिरावट आई है। महिलाओं को 18 वर्ष से अधिक उम्र में ही विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ■

5. ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा : एक विश्लेषण

प्र. ग्रामीण भारत में शिक्षा के बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की व्याख्या करें।

उत्तर:

सन्दर्भ

- किसी भी देश और समाज की उन्नति तथा विकास उस देश के नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर है।

परिचय

- विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2017 में भारत की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा 66.46 प्रतिशत बताया गया था और इस साल जब हम गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं तो हमें एक बार फिर याद दिलाया जा रहा है कि देश की प्रगति और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

सरकारी प्रयास

- डिजिटल पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों में कायापलट हो सकती हैं क्योंकि इनसे देश में शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। देश के दूरदराज इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को तेजी से, उद्देश्यपूर्ण और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने और अध्यापकों को अध्यापन के साथ-साथ प्रशिक्षण प्रदान करने में डिजिटल पहलों की विशेष भूमिका हो सकती है।

विद्यालयी शिक्षा संबंधित नीतियाँ

- आज देश में करीब 15 लाख विद्यालय हैं जिनमें से लगभग 75 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन सभी विद्यालयों में 8,84,254 अध्यापक कार्यरत हैं जिसमें से 64,65,920 (73.12 प्रतिशत) अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं।

आधारभूत ढाँचे में सुधार जरूरी

- परिवहन की समस्या, कमजोर स्कूली अवसरंचना, स्कूलों में खेलों के ढाँचे में सुधार, गुणवत्ता पर प्रभाव इत्यादि।

निष्कर्ष

- शिक्षण पेशे में बुनियादी बदलाव की जरूरत है, ताकि शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया का स्तर बेहतर बनाया जा सके। शिक्षकों की क्षमता और शिक्षण का स्तर सुधारने की सख्त जरूरत है। ■

6. क्वाड : भारत के इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक व आर्थिक हित

प्र. क्वाड (Quad) क्या है? क्वाड पर भारतीय दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए यह बतायें कि यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत अर्थव्यवस्था एवं शांति स्थापित करने में कितना कारगर है?

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए भारत और जापान मिलकर काम करेंगे।

पृष्ठभूमि

- अमेरिका-भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान इन चार देशों के गठजोड़ को क्वाड (QUAD) कहा जाता है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र जिसे अब हिन्द प्रशांत क्षेत्र कर दिया गया है, में बनने वाला चतुर्भुज है जिसमें ये सभी चार देश शामिल हैं।

वर्तमान स्थिति

- भारत ने समुद्र में आने-जाने की आजादी के सिद्धांत पर जोर देकर, समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान कर और चारों देशों के साझा विचार के साथ तालमेल बैठाकर अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। ये स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि भारत का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से सहयोग बढ़ रहा है।

क्वाड के उद्देश्य

- किसी भी गठबंधन के बनने के दो मुख्य कारण होते हैं, पहला व्यक्त या दृश्य कारण दूसरा गौंण कारण। इसी प्रकार क्वाड के भी मुख्यत: दो उद्देश्य हैं। क्वाड के बनने के दृश्य कारणों में से एक है- एशिया प्रशांत क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी या समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना। दूसरा कारण इनहैंसमैंट ऑफ कनेक्टविटी अर्थात् एशिया के पैसिफिक क्षेत्र के सभी देशों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए। इस लिहाज से इन सभी देशों ने कहा कि हम एक फ्री एण्ड ओपन इंडो-प्रैसिफिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगें।

भारतीय दृष्टिकोण का विश्लेषण

- भारत ने अपनी कार्रवाई और बयानों के जरिए चार देशों के समूह और हिंद प्रशांत के बीच वैचारिक और संरचनात्मक नीति के अंतर को उजागर किया है। चीन के वुहान और रूस के सोची में हुई दो अहम अनौपचारिक शिखर बैठकों के बाद इन चार देशों के समूह के लिए भारत की गर्मजोशी में कमी देखी गई। भारत चार देशों के समूह को हिंद-प्रशांत में सक्रिय बहुत से संगठनों में से एक संगठन के तौर पर देखता है न कि एक ऐसा संगठन जो इलाके में बहुत अहम है।

आगे की राह

- क्वाड सामरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस योजना से भारत को सागरीय क्षेत्र से संबंधित अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इससे भारत विश्व में सर्वाधिक नीली अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र बन सकता है। ■

7. भूस्खलन जोखिम तथा स्थिरता सम्मेलन–2019

प्र. भूस्खलन क्या है? भूस्खलन से बचाव के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में राजधानी दिल्ली में भूस्खलन जोखिम कटौती तथा स्थिरता पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Landslides Risk Reduction and Resilience, 2019) का आयोजन किया गया।

भूस्खलन के प्रकार

- चट्टानों का या चट्टानों के टुकड़ों का गिरना, मलवा स्लाइड, कीचड़/मड प्रवाहित होना, खड़े ढलान से चट्टानों का खिसकना इत्यादि।

भारत की स्थिति

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने पिछले साल अगस्त के महीने में भारी बारिश के कारण पश्चिमी घाट में हुए भूस्खलनों के मानचित्र बनाए हैं और उनकी व्यापक सूची भी तैयार की है। इस अध्ययन में पिछले साल भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित तीन राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के 23 जिलों के कुल 98 हजार 356 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का मानचित्रण किया गया है। इस पूरे क्षेत्र के 22.69 वर्ग किलोमीटर संचयी क्षेत्र में कुल 6,970 भूस्खलन दर्ज किए गए।

भूस्खलन आपदा बचाव के उपाय

- भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के मानचित्र तैयार करना, मजबूत-दीवार निर्माण करना, इंजीनियरिंग संरचनाएँ, जल अपवाह नियंत्रण, वृक्षारोपण, भूमि का वैज्ञानिक उपयोग इत्यादि।
- अंतरिक्ष विभाग द्वारा उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन तथा यात्री-मार्गों एवं शिलांग-सिलचर-आइजोल में खतरनाक क्षेत्रों के मानचित्र तैयार किए हैं। आपदा सेवा केन्द्र संबंधी क्रियाकलापों के अंतर्गत सभी प्रमुख भूस्खलनों द्वारा पहुंची क्षति के आकलन हेतु निगरानी किया जा रहा है।

आगे की राह

- भूस्खलन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक सराहनीय कार्य है लेकिन इसका ध्यान रखना होगा कि यह सिर्फ सम्मेलन तक ही सीमित हो कर न रह जाये बल्कि इसके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना होगा। यह एक विश्वव्यापी व त्वरित घटना है इसलिए इसका समाधान भी विश्वव्यापी होना चाहिए।
- विदित हो कि विकसित देशों के पास उच्च तकनीक है जिसका प्रयोग इस तरह की आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने व इससे निपटने में किया जा सकता है। इसलिए विकसित देश विकासशील व अल्पविकसीत देशों को भी तकनीकी रूप से सुदृढ़ कर इस तरह की आपदाओं से निपटने में मदद कर सकते हैं। अत: ऐसे मामलों पर पूरे विश्व को मिलजुलकर काम करने की आवश्यकता है। ■

स्मार्ट ब्रेन बूस्टर्स

कार्टोसैट-3

सुर्खियों में क्यों

1.1 अंतरिक्ष में 'भारत की आँख' के नाम से मशहूर कार्टोसैट सीरीज के उपग्रह कार्टोसैट-3 को इसरो ने सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसके साथ अमेरिका के 13 छोटे उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक भेज दिया गया है।

1.2 यह उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLVC-47 के जरिए लॉन्च किया गया। इस श्रृंखला का पहला उपग्रह वर्ष 2005 में प्रक्षेपित किया गया था।

कार्टोसैट-3 की विशेषताएं

2.1 कार्टोसैट सीरीज का यह 9वां सैटेलाइट है। इस उपग्रह को पृथ्वी के ऊपर 509 किलोमीटर की ऊँचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा (Sun Synchronous Orbit) में स्थापित किया गया। 1 हजार 600 किलो का यह सैटेलाइट पाँच साल तक कक्षा में रहेगा।

2.2 यह थर्ड जेनरेशन एडवांस्ड हाई रेजॉलूशन वाले अर्थ इमेजिंग सैटेलाइटों में पहला है। एजेंसी 1988 से ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। इन सैटेलाइट्स के जरिए इसरो को पृथ्वी की हाई रिजॉलूशन तस्वीरें मिलती हैं। इनका इस्तेमाल 3-डी मैपिंग, आपदा प्रबंधन, खेती, जल प्रबंधन और सीमा सुरक्षा के लिए किया जाता है।

2.3 कार्टोसैट ऐसा सैटेलाइट है जिससे पृथ्वी की साफ तस्वीर ली जा सकती है। पिक्चर इतनी साफ होगी कि किसी व्यक्ति के हाथ में बंधी घड़ी का समय भी स्पष्ट दिख सकता है। कार्टोसैट-3 का मुख्य काम अंतरिक्ष से भारत की जमीन पर नजर रखना है।

2.4 कार्टोसैट-3 को दुश्मन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के लिहाज से विकसित किया गया है। यह अंतरिक्ष से भी हाई रेंज पिक्चर भेज सकता है।

2.5 अब तक जियोआई-1 किसी सैटेलाइट से सबसे ज्यादा रेजॉलूशन वाली तस्वीरें भेजने में सक्षम था। डिजिटल ग्लोब का जियोआई-1 एक अमेरिकी सैटेलाइट है जिसका रेजॉलूशन 42 सेंटीमीटर था। इसी कंपनी का वर्ल्डव्यू-2 46 सेंटीमीटर रेजॉलूशन दे सकता था।

सेना के लिए खास

3.1 सुरक्षाबलों के लिए भी कार्टोसैट के अहम फायदे होंगे। इससे सुरक्षाबलों की स्पेस-सर्विलांस की क्षमता बढ़ेगी। पैनक्रोमैटिक मोड में यह 16 किमी दूरी की विशेष रेंज (क्षेत्र) कवर कर सकता है। इससे पहले लॉन्च किए गए किसी भी सर्विलांस सैटेलाइट में ऐसी क्षमता नहीं रही है।

3.2 इस सैटेलाइट से सेना के काम में काफी आसानी होगी क्योंकि इससे प्राप्त तस्वीरों को सेना जूम कर किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगा सकती है। सही मायनों में ये सेना की तीसरी आँख साबित होगी। इसकी मदद से आतंकियों की पोजीशन और उनके ठिकानों की सही जानकारी सेना को मिल सकती है।

3.3 इसमें एक खास विशेषता यह भी है कि इससे मल्टी-स्पेक्ट्रम (इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की खास रेंज में आने वाली लाइट) और हाइपर स्पेक्ट्रम (पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आने वाली लाइट) को कैप्चर कर सकता है।

3.4 आतंकियों के निशाने पर रहने वाले तटीय इलाके अब कार्टोसैट-3 की सहायता से आर्मी की नजर में रहेंगे।

कुदरती आपदा से बचाव में मददगार

4.1 इसकी मदद से इन्फ्रॉस्ट्रक्चर प्लानिंग, कोस्टल जमीन का इस्तेमाल और नियमन, सड़कों के नेटवर्क को मॉनिटर करने, भौगोलिक स्थितियों में आते बदलाव की पहचान करने से जैसे काम किए जा सकेंगे।

वैश्विक उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, 2019

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने उत्सर्जन अन्तराल रिपोर्ट, 2019 जारी की है। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता जाहिर की गई है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

2.1 पेरिस जलवायु के तहत यदि बिना शर्त वाली सभी मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर लिया जाता है तो भी इस सदी के अंत तक तापमान 3.2°C तक बढ़ने का अनुमान है, जोकि पहले ही 1.1°C बढ़ गया है। इससे जलवायु पर व्यापक एवं घातक परिणाम होंगे।

2.2 रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में वर्ष 2020-30 के दौरान प्रतिवर्ष 7.6% की कमी करनी होगी अन्यथा पेरिस समझौते के तहत नियत 1.5°C के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

2.3 इसी बढ़े तापमान का ही परिणाम है कि कुल वैश्विक GHG उत्सर्जन 55.3 $GtCO_2e$) हो गया है।

2.4 हालाँकि वैश्विक तापमान को 1.5°C तक सीमित किया जा सकता है। 1.5°C पर जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, लकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ग्लोबल वार्मिग के उच्च स्तर की तुलना में कम विनाशकारी प्रभाव है।

2.5 जी 20 देशों का कुल उत्सर्जन में 78% हिस्सा है जबकि चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा भारत मिलकर 55 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं।

2.6 यदि कार्बन उत्सर्जन वर्तमान गति से ही चलता रहा तो 2025 तक प्रत्येक वर्ष 15.5% कटौती की आवश्यकता होगी, जिससे 1.5°C लक्ष्य लगभग असंभव हो जाएगा।

2.7 यद्यपि लगभग 65 देशों ने वर्ष 2050 तक अपने GHG के उत्सर्जन में कुल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिये कुछ ही देशों ने अपनी रणनीति बनाई है।

2.8 दो देशों यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने जलवायु के संबंध में कानून पारित किया है जबकि जर्मनी, इटली वर्तमान में कानून पारित करने की प्रक्रिया में हैं। अन्य जी 20 सदस्यों का कोई नेट-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य कानून नहीं है।

2.9 हमें जलवायु परिवर्तन के खतरनाक स्तरों को रोकने के लिए हम जो कहते हैं, उसके बीच 'प्रतिबद्धता' के अंतर को बंद करने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्थाओं को अब डीकार्बोनाइजेशन मार्ग पर शिफ्ट होना चाहिए

2.10 यदि वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2°C पर रोकना हो तो इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि 2030 तक CO_2 उत्सर्जन 40 गीगाटन से अधिक न हो।

2.11 वैश्विक तापन को सदी के अंत तक 1.5°C तक सीमित करने के लिए उत्सर्जन में और भी अधिक कटौती करनी होगी ताकि 2030 तक उत्सर्जन 34 गीगाटन के समतुल्य CO_2 से अधिक न हो।

पेरिस समझौता

3.1 2015 में पेरिस में हुई COP21 बैठक में कार्बन उत्सर्जन में कटौती कर वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2°C के अंदर सीमित रखने और 1.5°C के आदर्श लक्ष्य को लेकर एक व्यापक सहमति बनी थी।

3.2 पेरिस समझौते के लागू होने के लिए 2020 को आधार वर्ष माना गया है। भारत ने 2 अक्टूबर, 2016 को समझौते पर हस्ताक्षर किये।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

4.1 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण के बारे में विश्व में अग्रणी प्राधिकार है जो वैश्विक पर्यावरण एजेण्डा तय करता है।

4.2 यूएनईपी के काम में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरणीय परिस्थितियों और रूझानों का आकलन करना, पर्यावरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीतियाँ तैयार करना शामिल है।

4.3 इसकी स्थापना जून 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी (केन्या) में स्थित है।

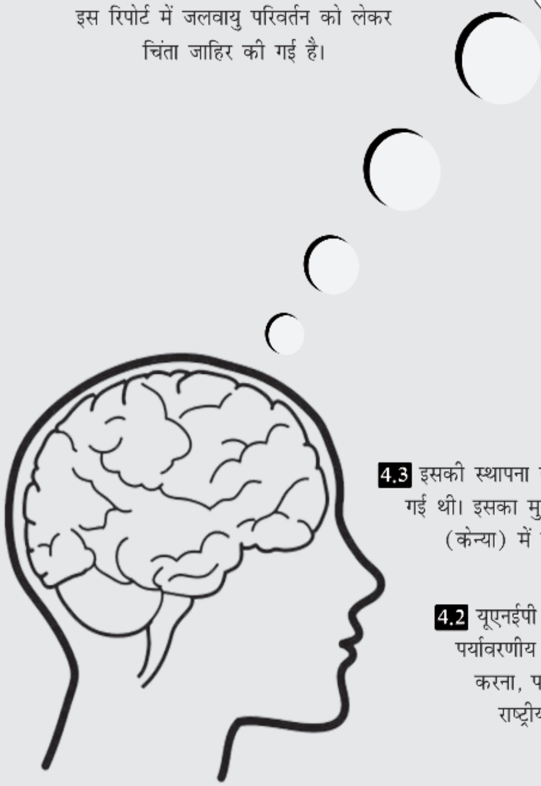

वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट, 2020

सुर्खियों में क्यों

1.1 संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन (International Organization for Migration) द्वारा वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट, 2020 (Global Migration Report, 2020) जारी की गयी। यह रिपोर्ट प्रत्येक दो वर्ष में जारी की जाती है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

2.1 रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर में प्रवासियों की संख्या साल 2019 के अंत तक बढ़कर 27 करोड़ हो जाने का अनुमान है।

2.2 यह आँकड़ा पूरी दुनिया की जनसंख्या (Population) का एक छोटा हिस्सा मात्र है। 2018 के मुकबले मात्र 0.1% की वृद्धि देखी गई है, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का मात्र 3.5% है।

2.3 दुनिया की 96.5% जनसंख्या अब भी उसी देश में रह रही है, जहाँ वह पैदा हुई थी।

2.4 संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के अनुसार कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की लगभग आधी से भी ज्यादा संख्या करीब 14 करोड़ 10 लाख प्रवासी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। इनमें से करीब 16 करोड़ 40 लाख यानी दो-तिहाई प्रवासी रोजगार की तलाश में हैं।

2.5 रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब भी ज्यादातर प्रवासियों हेतु सबसे अच्छी जगह अमेरिका बनी हुई है। अमेरिका में फिलहाल लगभग 5.1 करोड़ प्रवासी लोग रहते हैं।

2.6 रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अधिक 1.75 करोड़ प्रवासी विदेशों में कार्यरत हैं। इसके बाद मैक्सिको का स्थान आता है, जहाँ के 1.18 करोड़ लोग और चीन के 1.07 करोड़ प्रवासी अन्य देशों में कार्यरत हैं।

2.7 रिपोर्ट के अनुसार धन प्रेषण के मामले में इस सूची में 67.4 अरब डॉलर के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। वहीं, 35.7 अरब डॉलर के साथ मेक्सिको तीसरे स्थान पर है।

2.8 वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 के मुताबिक प्रवासियों के माध्यम से धन प्रेषण करने वाले देशों में अमेरिका (68 बिलियन डॉलर) पहले स्थान पर है। इसके बाद यूएई (44.4 बिलियन डॉलर) और सऊदी अरब 36.1 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है।

धन प्रेषण के संबंध में भारत

3.1 विदेशों में रह रहे देशवासियों द्वारा भेजी गयी रकम प्राप्त करने वाले देशों में भारत पहले स्थान पर बना हुआ है। भारतीय प्रवासियों ने साल 2018 में करीब 78.6 अरब डॉलर की राशि देश में भेजी जिसे औसतन हर प्रवासी भारतीय से 3.15 लाख रुपये मिलते हैं।

3.2 वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 के मुताबिक 2015 में भारत को 68.91 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस मिला था, जिसके मुकाबले 2018 में भारत को मिले रेमिटेंस में 14% की बढ़ोतरी हुई।

विस्थापन और संघर्ष में संबंध

4.1 रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (DRC), म्यांमार, दक्षिण सूडान, सीरिया और यमन में चल रहे संघर्ष और हिंसा के कारण पिछले दो वर्षों में बड़े पैमाने पर आंतरिक विस्थापन हुआ है।

4.2 सीरिया में आंतरिक विस्थापितों की सबसे अधिक जनसंख्या 61 लाख है, उसके बाद कोलम्बिया 58 लाख और डीआरसी 31 लाख है।

4.3 लगभग 9 वर्षों के संघर्ष के बाद सीरिया अब भी सबसे ज्यादा शरणार्थियों वाला देश है जिनमें कुछ आंतरिक शरणार्थी हैं और कुछ अन्य देशों में चले गए हैं।

4.4 विश्व भर में कुल 2 करोड़ 60 लाख शरणार्थियों में से 60 लाख से अधिक सीरिया से और लगभग 25 लाख अफगानिस्तान से आते हैं।

4.5 जलवायु और मौसमी आपदाओं से प्रभावित विस्थापन मे फिलीपींस मे आये तूफान मांगखुत (Mangkhut) के कारण 2018 के अंत में 38 लाख लोग विस्थापित हुए, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी विस्थापन संख्या है।

4.6 अफ्रीका, एशिया और यूरोप में, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अपने जन्मस्थानों में ही रहते हैं, लेकिन लैटिन अमेरिका और कैरेबियन और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश प्रवासी बाहर निकल जाते हैं।

4.7 मध्य पूर्व के आँकड़ों से पता चला है कि अस्थाई श्रमिक प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या खाड़ी देशों में रहती है जोकि दुनिया भर की सबसे ज्यादा है। उसमें भी लगभग 90 प्रतिशत संख्या संयुक्त अरब अमीरात में रहती है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना

सुर्खियों में क्यों

1.1 यूपी और मध्य प्रदेश की बहुप्रतिक्षित केन-बेतवा लिंक परियोजना के एक बार फिर से लटकने के आसार बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष तय हुई 20 फीसदी पानी देने की शर्त पूरी करने में असमर्थता व्यक्त कर दी है।

पृष्ठभूमि

2.1 नदियों को जोड़ने की योजना ब्रिटिश काल में ही शुरू हुई थी। उस वक्त सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये इस योजना को लाया गया था।

2.2 इस परियोजना को धरातल पर लाने के लिये इससे जुड़े राज्यों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 2005 में ही समझौता हुआ था लेकिन विभिन्न अड़चनों के कारण इसे अब तक नहीं शुरू किया जा सका है।

2.3 इनमें पन्ना टाइगर रिजर्व, पर्यावरण मंजूरी, पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान से जुड़े मुद्दे, राज्यों के बीच विवाद, फसलों के वर्तमान पैटर्न पर पड़ने वाला प्रभाव आदि शामिल हैं।

परियोजना के प्रमुख बिंदु

3.1 केन नदी मध्य प्रदेश स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और 427 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना में मिल जाती है। वहीं बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और 576 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है।

3.2 यह परियोजना तीन दशक से भी अधिक पुरानी है। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत केन नदी पर मध्य प्रदेश के दोधन में बांध बनाया जाना है।

3.3 इस समझौते के क्रियान्वयन के बाद प्रदेश में बांदा समेत बुन्देलखण्ड के बड़े हिस्से को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इस योजना के अनुसार 30 नहरों के साथ ही 3000 जलाशयों और 34,000 मेगावाट क्षमता वाली विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण कराया जाना है।

3.4 इसके अतिरिक्त इसके पूरा होने पर 87 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना इस वृहद नदी जोड़ो योजना की ही पहली कड़ी है।

3.5 इस प्रोजेक्ट को पूरा होने पर मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जिले के 3.96 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा और झाँसी जिले के 2.65 लाख हेक्टेयर हिस्से पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।

3.6 ये सभी जिले बुन्देलखण्ड क्षेत्र के हैं जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके अन्तर्गत केन नदी का अतिरिक्त पानी 230 किलोमीटर लम्बी नहर के माध्यम से बेतवा नदी में डाला जाना है।

विरोध क्यों

4.1 बाँध को पर्यावरणविद उचित नहीं मानते हैं। इसे प्रकृति के नियमों के विपरीत या विनाशकारी मानते हुए वे कहते हैं कि सरकार विकास व कृषि के नाम पर बुंदेलखंड की जैव विविधता को नष्ट करने का प्रयास कर रही है।

4.2 सरकार पानी पर से जनता के बुनियादी अधिकार को खत्म करना चाहती है। केन और बेतवा के पानी के निजीकरण की पहली सीढ़ी है। इस परियोजना पर जितना पैसा लगाया जा रहा है यदि उसे गाँव का पानी गाँव में रोकने पर खर्च किया जाए तो बुंदेलखंड के हर गाँव में खुशहाली छा जायेगी।

4.3 पन्ना रिजर्व टाइगर देश का महत्वपूर्ण बाघ रिहायशी पार्क है। इस परियोजना में वन्य जीवों के आवास का 10,500 हेक्टेयर क्षेत्र का नुकसान होगा। यह डूब क्षेत्र में आ जाएगा। यहाँ ऐसी परियोजना के निर्माण का औचित्य नहीं है।

आगे की राह

5.1 देश के 18 प्रतिशत भू-भाग में हर साल बाढ़ आती है और 13 प्रतिशत भू-भाग में सूखा पड़ता है। स्थायी समाधान नदियों को लिंक करके प्राप्त किया जा सकता है।

बोडोलैंड विवाद

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में केंद्र सरकार ने असम आधारित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) और उसके सभी समूहों, गुटों और संगठनों पर लगे प्रतिबंध को पांच और सालों के लिए बढ़ा दिया है।

1.2 गौरतलब है कि एनडीएफबी पर हत्याओं, जबरन वसूली और भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने सहित कई हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

प्रमुख बिंदु

2.1 अधिसूचना के अनुसार गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 की 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, केंद्र सरकार नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड को उसके सभी समूहों, गुटों और अग्रिम संगठनों के साथ 'गैरकानूनी संगठन' घोषित करती है।

2.2 केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इस संगठन द्वारा की गई घटनाओं की संख्या का भी उल्लेख किया है।

2.3 आंकड़ो के मुताबिक जनवरी 2015 के बाद से अबतक लगभग 69 हिंसक घटनाए हुई हैं, जिसमें 19 लोगों की हत्या हुई है। इस दौरान लगभग 55 चरमपंथी मारे गए हैं, 450 चरमपंथियों को गिरफ्तार किया गया है और 444 हथियार उनसे बरामद किया गया है।

2.4 गृह मंत्रालय के मुताबिक एनडीएफबी ने नरसंहार और जातीय हिंसा पैदा की जिसके परिणामस्वरूप हत्याएं हुईं, गैर-बोडो की संपत्ति को नष्ट किया गया, असम में बोडो बहुल क्षेत्रों में निवास करने वाले गैर-बोडो के बीच असुरक्षा का माहौल पैदा किया गया, देश की सीमा पर शिविर और ठिकाने स्थापित किया गया ताकि अलगाववादी गतिविधियों को हवा दी जा सके।

एनडीएफबी क्या है

3.1 नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) एक अलग बोडोलैंड बनाने की अपनी मंशा से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के लिए अवैध और हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहा है।

बोडो समुदाय कौन हैं

4.1 बोडो दरअसल ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। 1960 के दशक से वे पृथक राज्य की मांग करते आए हैं। राज्य में इनकी जमीन पर दूसरे समुदायों को अनाधिकृत प्रवेश और भूमि पर बढ़ता दबाव ही इनके असंतोष की वजह है।

4.2 1980 के दशक के बाद बोडो आंदोलन हिंसक होने के साथ तीन धाराओं में बंट गया। पहले का नेतृत्व नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) ने किया, जो अपने लिए अलग राज्य चाहता था।

4.3 दूसरा समूह बोडोलैंड टाइगर्स फोर्स (बीटीएफ) है, जिसने ज्यादा स्वायत्तता की मांग की और गैर-बोडो समूहों को निशाना बनाने का कोई मौका भी उसने नहीं चूका।

4.4 तीसरी धारा ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन यानी एबीएसयू का है, जिसने मध्यमार्ग की तलाश करते हुए राजनीतिक समाधान की मांग की।

4.5 1993 से पहले तक बोडो और मुसलमानों के रिश्ते इतने तल्ख नहीं थे। उसी वर्ष बीटीएफ ने दूसरी जनजातियों और मुस्लिमों को निशाना बनाना शुरू किया, और उसी के बाद असम में हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया।

4.6 बोडो अपने क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधन पर वर्चस्व चाहते थे, जो उन्हें 2003 में मिला। तब बोडो लिबरेशन टाइगर्स यानी बीएलटी ने हिंसा का रास्ता छोड़ बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट नामक राजनीतिक पार्टी बनाई।

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड

5.1 नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) एक सशस्त्र अलगाववादी संगठन है जो असम, भारत में बोडो लोगों के लिए एक संप्रभु बोडोलैंड प्राप्त करना चाहता है।

5.2 नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) का गठन 1986 में हुआ था। यह बहुत सी अवैध तथा हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है।

5.3 एनडीएफबी लोगों में आतंक फैलाने तथा अवैध वसूली जैसे कार्यों में संलग्न है। एनडीएफबी पर असम के गैर-बोडो लोगों की हत्या तथा उनकी संपत्ति को नष्ट करने का आरोप है। 1990 के दशक में एनडीएफबी को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया था।

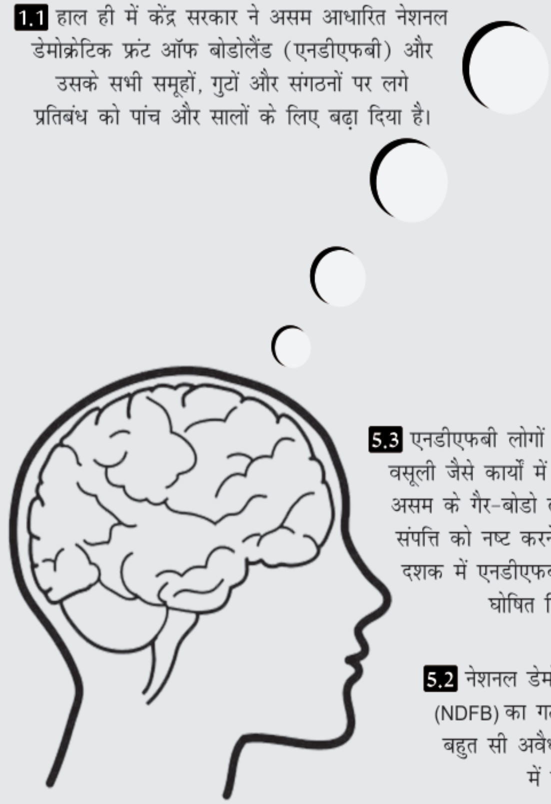

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक, 2019

सुर्खियों में क्यों

1.1 संसद ने 02 दिसंबर, 2019 को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक, 2019 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दी। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है।

आवश्यकता क्यों

2.1 ई सिगरेट का सेवन करने से व्यक्ति को डिप्रेशन होने की संभावना दोगुनी हो जाती है। एक शोध के मुताबिक जो लोग ई सिगरेट का सेवन करते हैं, उन्हें हार्ट अटैक का खतरा 56 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। वहीं लंबे समय तक इसका सेवन करने से ब्लड क्लॉट की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।

प्रमुख बिंदु

3.1 विधेयक के अनुसार, ई सिगरेट का भंडारण भी दंडनीय होगा तथा इसके लिये छह महीने तक की सजा या 50 हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।

3.2 विधेयक के अनुसार, इस कानून का पहली बार उल्लंघन करने वाले लोगों को एक साल तक की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके मुताबिक, दोबारा पकड़े जाने पर तीन साल तक की जेल या पांच लाख रुपये का जुर्माना, या दोनों लगाया जाएगा।

3.3 ई सिगरेट का उपयोग सक्रिय उपयोगकर्ता के लिये जोखिम वाला है। ई सिगरेट के घोल और उत्सर्जन को नुकसानदायक माना जाता है।

3.4 विधेयक में प्रावधान किया गया है कि इसमें प्राधिकृत अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के पैकेज रखे जाने वाले परिसर में प्रवेश करने तथा तलाशी लेने और ऐसे स्टाक को जब्त करने का अधिकार होगा।

3.5 यह विधेयक ऐसे वैकल्पिक धूम्रपान उपकरणों के निर्माण, उत्पादन, आयात, निर्यात, वितरण, परिवहन, बिक्री, भंडारण या विज्ञापनों को पूरी तरह संज्ञेय अपराध बनाता है।

ई-सिगरेट पर केंद्र सरकार

4.1 गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लोगों को, मुख्य रूप से युवाओं को ई-सिगरेट से होने वाले सेहत संबंधी खतरों का उल्लेख करते हुए इन उत्पादों पर रोक लगाने हेतु सितंबर 2019 में एक अध्यादेश जारी किया था। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही ई-हुक्के को भी प्रतिबंधित किया है।

ई-सिगरेट क्या है

5.1 ई-सिगरेट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इनहेलर होता है, जिसमें निकोटिन और अन्य रसायनयुक्त तरल भरा जाता है। ये इनहेलर बैट्री की ऊर्जा से इस लिक्विड को भाप में बदल देता है, जिससे पीने वाले को सिगरेट पीने जैसा अहसास होता है।

5.2 ऐसे उपकरणों को ईएनडीएस कहा जाता है, जिनका प्रयोग किसी घोल को गर्म कर एरोसोल बनाने के लिए किया जाता है। जिसमें विभिन्न स्वाद भी होते हैं। लेकिन ई-सिगरेट में जिस लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, वह कई बार निकोटिन होता है और कई बार उससे भी ज्यादा खतरनाक रसायन होते हैं।

5.3 इसके अलावा कुछ ब्रांड्स ई-सिगरेट में फॉर्मलडिहाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो बेहद खतरनाक और कैंसरकारी तत्व हैं।

अन्य देशों की स्थिति

6.1 भारत से पूर्व यह न्यूयॉर्क में भी बैन किया जा चुका है। यहां रहने वाले युवाओं में इस तरह की सिगरेट का चलन काफी बढ़ गया था जिसके कारण उनमें फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों की संख्या बढ़ गई।

6.2 इसके बाद यहां ई-सिगरेट को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। अमेरिका के मिशिगन के बाद न्यूयॉर्क सिटी दूसरा ऐसा स्टेट बन चुका है, जहाँ फ्लेवर्ड ई-सिगरेट पर बैन लगाया जा चुका है।

ऑटोमोटिव मिशन प्लान

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री ने ऑटोमोटिव मिशन योजना (2016-26) के बारे में लोकसभा को सूचित किया है।

1.2 गौरतलब है कि ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2026 में ऑटो सेक्टर में अतिरिक्त 6.50 करोड़ नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। यह जीडीपी के 12 फीसदी के बराबर होगी।

आवश्यकता क्यों

2.1 इस समय ऑटोमोटिव मिशन योजना की आवश्यकता है क्योंकि भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग एक मांग में कमी की वजह से संकट से गुजर रहा है।

2.2 एनबीएफसी के संकट और बाजार में तरलता के कारण ऑटोमोबाइल उद्योग प्रभावित हुआ है।

प्रमुख बिंदु

3.1 इस योजना का उद्देश्य भारत के आटोमोबाइल उद्योग को अभियांत्रिकी, वाहन निर्यात, विनिर्माण और वाहन कलपुर्जों के लिहाज से तीन शीर्ष देशों में शामिल करना है। पहला आटोमोटिव मिशन प्लान 2006-2016 के लिए शुरू किया गया था।

3.2 भारत सरकार और इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से तैयार ऑटोमोटिव मिशन प्लान (एएमपी) का विजन यह है कि 2026 तक भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और वाहनों व कलपुर्जों के निर्यात में दुनिया के शीर्ष तीन में शामिल होगी।

3.3 ऑटोमोटिव उद्योग शीर्ष रोजगार सृजक होगा जो 65 मिलियन अतिरिक्त रोजगार पैदा करेगा

3.4 ऑटोमोटिव उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की आधारभूत संचालक शक्ति होगा।

3.5 ऑटोमोटिव उद्योग का उद्देश्य वाहनों के निर्यात को 5 गुना और कलपुर्जों का निर्यात 7.5 गुना बढ़ाना है।

3.6 एएमपी-2016 की सफलता के लिए, ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए एक समन्वित और स्थिर नीति प्रणाली की आवश्यकता है।

3.7 विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने और इसमें सुधार करने तथा पर्यावरण सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशिष्ट हस्तक्षेपों की परिकल्पना है।

चुनौतियाँ एवं प्रयास

4.1 एएमपी-2016-26 तैयार करते समय सरकार ने भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का आकलन किया है। इन चुनौतियों में आउटपुट की सतत वृद्धि, निर्यात संबंधी मुद्दे, मुद्रा मूल्यह्रास, भीड़ और प्रदूषण, अपर्याप्त अवसंरचना विकास, वित्त और कराधान शामिल हैं।

4.2 भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के लिए एक निष्पक्ष और अनुमानित शासी माहौल सुनिश्चित करने के लिए एएमपी-2016-26 ऑटो क्षेत्र के लिए मुख्य नीतियों के मूल्यांकन पर मत स्पष्ट करता है, ताकि उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी विनियमों को समूचे राष्ट्र और केंद्र तथा राज्यों में एक साथ कार्यान्वित करने के लिए एक पैमाने में व्यापक रूप से तैयार किया जा सके।

आगे की राह

5.1 भारत की गतिशीलता पहलों की आधारशिला सार्वजनिक परिवहन को होना चाहिए। इसे परिवहन के अलग माध्यमों और भौगोलिकताओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

5.2 ये गतिशीलता सुरक्षित, किफायती और समाज के सभी वर्गों तक सुलभ होनी चाहिए। संकुलन यानी कंजेशन की आर्थिक और पर्यावरणीय लागतों पर एक नियंत्रण होना चाहिए।

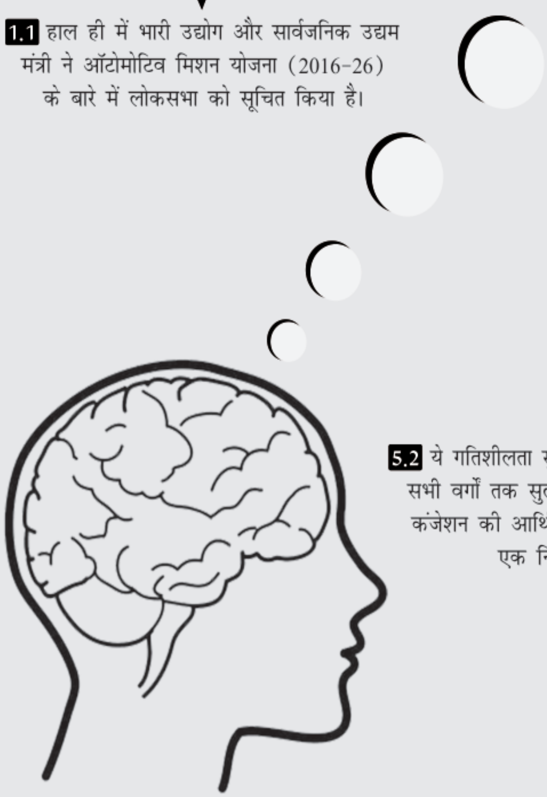

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. कार्टोसैट–3

प्र. कार्टोसैट-3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसे 'भारत की आँख' के नाम से जाना जाता है।
2. यह कार्टोसैट श्रृंखला का 10वाँ सैटेलाइट है।
3. यह एक ऐसा सैटेलाइट है जिससे अंतरिक्ष से भारत की जमीन पर नजर रखा जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः कार्टोसैट सीरीज का यह 9वां सैटेलाइट है। इस उपग्रह को पृथ्वी के ऊपर 509 किलोमीटर की ऊँचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा (Sun Synchronous Orbit) में स्थापित किया गया। 1 हजार 600 किलो का यह सैटेलाइट पाँच साल तक कक्षा में रहेगा। कार्टोसैट ऐसा सैटेलाइट है जिससे पृथ्वी की साफ तस्वीर ली जा सकती है। तस्वीर इतनी साफ होगी कि किसी व्यक्ति के हाथ में बंधी घड़ी का समय भी स्पष्ट दिख सकता है। कार्टोसैट-3 का मुख्य काम अंतरिक्ष से भारत की जमीन पर नजर रखना है। इस प्रकार कथन 2 गलत है, जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

2. वैश्विक उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, 2019

प्र. वैश्विक उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. बढ़े तापमान का ही परिणाम है कि कुल वैश्विक GHG उत्सर्जन 55.3 $GtCO_2e$) हो गया है।
2. जी 20 देशों का कुल उत्सर्जन में 78 प्रतिशत हिस्सा है।
3. रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक 4°C तक तापमान बढ़ने के आसार हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (b)

व्याख्याः पेरिस जलवायु के तहत यदि बिना शर्त वाली सभी मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर लिया जाता है तो भी इस सदी के अंत तक तापमान 3.2°C तक बढ़ने का अनुमान है, जोकि पहले ही 1.1°C बढ़ गया है। इससे जलवायु पर व्यापक एवं घातक परिणाम होंगे। जी 20 देशों का कुल उत्सर्जन में 78% हिस्सा है जबकि चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा भारत मिलकर 55 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार कथन 3 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

3. वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट, 2020

प्र. वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट, 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है।
2. दुनिया की 96.5% जनसंख्या अब भी उसी देश में रह रही है, जहाँ वह पैदा हुई थी।
3. विदेशों में रह रहे देशवासियों द्वारा भेजी गयी रकम प्राप्त करने वाले देशों में भारत पहले स्थान पर बना हुआ है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (a)

व्याख्याः संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन (International Organization for Migration) द्वारा वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट, 2020 (Global Migration Report, 2020) जारी की गयी। यह रिपोर्ट प्रत्येक दो वर्ष में जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 96.5% जनसंख्या अब भी उसी देश में रह रही है, जहाँ वह पैदा हुई थी। विदेशों में रह रहे देशवासियों द्वारा भेजी गयी रकम प्राप्त करने वाले देशों में भारत पहले स्थान पर बना हुआ है। भारतीय प्रवासियों ने साल 2018 में करीब 78.6 अरब डॉलर की राशि देश में भेजी जिसे औसतन हर प्रवासी भारतीय से 3.15 लाख रुपये मिलते हैं। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

4. केन–बेतवा लिंक परियोजना

प्र. केन-बेतवा लिंक परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत केन नदी पर मध्य प्रदेश के दोधन में बांध बनाया जाना है।
2. इनमें पन्ना टाइगर रिजर्व, पर्यावरण मंजूरी, पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान से जुड़े मुद्दे, राज्यों के बीच विवाद, फसलों के वर्तमान पैटर्न पर पड़ने वाला प्रभाव आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः केन नदी मध्य प्रदेश स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और 427 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना में मिल जाती है। वहीं बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और 576 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। यह परियोजना तीन दशक से भी अधिक पुरानी है। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत केन नदी पर मध्य प्रदेश के दोधन में बांध बनाया जाना है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

5. बोडोलैंड विवाद

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का गठन 1986 में हुआ था।
2. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) एक अलग बोडोलैंड बनाने की अपनी मंशा से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के लिए अवैध और हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहा है।
3. बोडो मेघालय में बसी एक जनजाति है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में केंद्र सरकार ने असम आधारित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) और उसके सभी समूहों, गुटों और संगठनों पर लगे प्रतिबंध को पांच और सालों के लिए बढ़ा दिया है। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) एक सशस्त्र अलगाववादी संगठन है जो असम, भारत में बोडो लोगों के लिए एक संप्रभु बोडोलैंड प्राप्त करना चाहता है। बोडो दरअसल ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। 1960 के दशक से वे पृथक राज्य की मांग करते आए हैं। राज्य में इनकी जमीन पर दूसरे समुदायों को अनाधिकृत प्रवेश और भूमि पर बढ़ता दबाव ही इनके असंतोष की वजह है। इस प्रकार कथन 3 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

6. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक, 2019

प्र. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ई-सिगरेट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इनहेलर होता है।
2. विधेयक के अनुसार, ई सिगरेट का भंडारण भी दंडनीय होगा तथा इसके लिये छह महीने तक की सजा या 50 हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः संसद ने 02 दिसंबर, 2019 को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक, 2019 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दी। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक के अनुसार, इस कानून का पहली बार उल्लंघन करने वाले लोगों को एक साल तक की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके मुताबिक, दोबारा पकड़े जाने पर तीन साल तक की जेल या पांच लाख रुपये का जुर्माना, या दोनों लगाया जाएगा। ई-सिगरेट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इनहेलर होता है, जिसमें निकोटिन और अन्य रसायनयुक्त तरल भरा जाता है। ये इनहेलर बैट्री की ऊर्जा से इस लिक्विड को भाप में बदल देता है, जिससे पीने वाले को सिगरेट पीने जैसा अहसास होता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

7. ऑटोमोटिव मिशन प्लान

प्र. ऑटोमोटिव मिशन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ऑटोमोटिव उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की आधारभूत संचालक शक्ति होगा।
2. ऑटोमोटिव उद्योग का उद्देश्य वाहनों के निर्यात को 5 गुना और कलपुर्जों का निर्यात 7.5 गुना बढ़ाना है।
3. एनबीएफसी के संकट और बाजार में तरलता के कारण ऑटोमोबाइल उद्योग प्रभावित हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री ने ऑटोमोटिव मिशन योजना (2016-26) के बारे में लोकसभा को सूचित किया है। गौरतलब है कि ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2026 में ऑटो सेक्टर में अतिरिक्त 6.50 करोड़ नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। यह जीडीपी के 12 फीसदी के बराबर होगी। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जननायक जनता पार्टी को किस राज्य का राज्य दल का दर्जा दिया गया है?

–हरियाणा

2. अंगद वीर सिंह बाजवा किस खेल से जुड़े हुए हैं?

–शूटिंग

3. The Legacy of Militancy in Punjab: Long Road to Normalcy पुस्तक के लेखक कौन हैं?

–दोना सूरी

4. शिस्तुरा सिंग्काई किस प्रकार की प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है?

–मछली

5. अक्कितम को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, वे किस भाषा से जुड़े हुए हैं?

–मलयालम

6. किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में वैश्विक जलवायु तथा पर्यावरण आपातकाल घोषित किया?

–यूरोपीय संघ

7. किस IIT ने गाँधीपीडिया का निर्माण करने का निर्णय लिया है?

–IIT खड़गपुर

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. महारत्न कंपनियाँ क्या हैं? महारत्न के दर्जे हेतु आवश्यक मानदण्डों की चर्चा करें।

2. कार्टोसेट-3 क्या है? भारत की आँख के नाम से इसे क्यों पुकारा जा रहा है? चर्चा करें।

3. केन-बेतवा लिंक परियोजना का संक्षिप्त वर्णन करते हुए बताएँ कि इस परियोजना का विरोध क्यों किया जा रहा है?

4. बोडा समुदाय कौन हैं? हाल ही में सरकार ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड पर पुन: प्रतिबंध लगा दिया है, प्रतिबंध के कारणों व प्रभावों का वर्णन करें।

5. सरोगेसी विनियमन विधेयक, 2019 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें।

6. भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में गिरावट के दौर से गुजर रही है। ऐसे कौन से कारक हैं जिसके कारण जीडीपी लगातार गिर रही है?

7. भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों का वर्णन करते हुए बताएँ कि भारत श्रीलंका के सहयोग से हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कैसे कम कर सकता है?

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. सऊदी अरब 2020 में जी–20 की अध्यक्षता करेगा

सऊदी अरब, अरब जगत का पहला देश बन गया है जिसे जी-20 की अध्यक्षता मिली है। मानवाधिकारों के रिकॉर्ड को लेकर वैश्विक स्तर पर आलोचना का सामना करने के बाद यह देश विश्व मंच पर अपना स्थान पुनः प्राप्त करना चाह रहा है। तेल से समृद्ध राष्ट्र ने उदारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है जिसमें महिलाओं को ज्यादा अधिकार देना भी शामिल है। लेकिन असहमति को दबाने और पिछले वर्ष पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर इसे कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा।

जी-20 की अध्यक्षता सऊदी अरब को जापान से मिली है जो अगले वर्ष 21-22 नवम्बर को अपनी राजधानी में वैश्विक शिखर सम्मेलन में विश्व के बड़े नेताओं की मेजबानी करेगा। आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी (एसपीए) ने कहा, ''सऊदी अरब ने जी-20 की अध्यक्षता हासिल की। 2020 में रियाद में शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।''

सऊदी के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब जी-20 की अध्यक्षता में ओसाका के कार्य को आगे बढ़ाएगा और बहुस्तरीय सम्मति को बढ़ावा देगा।'' उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहमति को आकार देने के इस ''अद्वितीय अवसर'' की प्रशंसा की। एजेंसी ने कहा कि सऊदी अरब शिखर सम्मेलन से पहले 100 से अधिक कार्यक्रमों एवं सम्मेलनों का आयोजन करेगा जिसमें मंत्रीस्तरीय बैठक भी शामिल है।

इस शिखर सम्मेलन का एजेंडा ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और श्रम सहित वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को कवर करना है। यह शिखर खास तौर पर स्थायी और संतुलित विकास करने और नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए प्रभावी नीतियों को विकसित करने का लक्ष्य रखेगा।

उल्लेखनीय है कि सामूहिक रूप से, जी-20 देश दुनिया की दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिखर सम्मेलन में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के साथ-साथ अन्य मेहमान देशों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के नेता भी शामिल होंगे। सऊदी अन्य जी-20 देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने और शिखर सम्मेलन के एजेंडा मदों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है।■

2. इंडिया करप्शन सर्वे–2019

इंडिया करप्शन सर्वे-2019 के अनुसार राजस्थान और बिहार के क्रमशः 78% तथा 75% लोगों ने रिश्वत देने की बात स्वीकार की है, जबकि दक्षिण भारत में तेलंगाना ने पहला स्थान हासिल किया है। यह सर्वेक्षण अक्टूबर, 2018 से नवम्बर, 2019 के बीच 'लोकल सर्किल' नामक सोशल मीडिया फर्म तथा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत के 20 राज्यों के 248 जिलों से 81,000 से अधिक लोगों ने अपनी राय दी।

मुख्य बिंदु

- राजस्थान ने सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान हासिल किया है, सर्वे में शामिल होने वाले 78% लोगों ने रिश्वत देने की बात स्वीकार की है।
- बिहार सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर है, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 75% लोगों ने रिश्वत देने की बात स्वीकार की है।
- उत्तर प्रदेश तथा झारखण्ड को इस सूची में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, दोनों राज्यों के 74% लोगों ने रिश्वत देने की बात स्वीकार की है।
- इस सूची में पांचवें स्थान पर तेलंगाना है, तेलंगाना के 67% लोगों ने रिश्वत देने की बात स्वीकार की है।
- पंजाब और कर्नाटक को इस सूची में छठवां स्थान प्राप्त हुआ है, पंजाब और कर्नाटक के 63% नागरिकों ने रिश्वत देने की बात स्वीकार की है।
- इस सर्वेक्षण के अनुसार केरल, गोवा, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली देश के सबसे कम भ्रष्ट राज्य हैं।

विदित हो कि 24% नागरिकों ने पिछले 12 महीनों में कई बार रिश्वत देने की बात स्वीकार की एवं 27% ने कहा कि उन्होंने एक या दो बार रिश्वत का भुगतान किया है। रिश्वत देने के लिए भर्ती होने वाले उत्तरदाताओं में से 35% ने कहा कि उन्होंने नकदी में ऐसा किया है। इसके अलावा, 44% नागरिकों ने कहा कि उन्होंने कम्प्यूटरीकरण वाले कार्यालय में रिश्वत का भुगतान किया, जबकि 16% ने कहा कि उन्होंने कार्यालय में एक कार्यात्मक सीसीटीवी प्रणाली होने के बावजूद रिश्वत का भुगतान किया। कुल उत्तरदाताओं में से 48% ने आरोप लगाया कि उनकी राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पिछले 12 महीनों में कोई कदम नहीं उठाया है।

उत्तरदाताओं में से 49% ने कहा कि संपत्ति पंजीकरण और भूमि संबंधी मामलों में रिश्वत पिछले वर्ष की तरह ही बनी हुई है। ■

3. एसपीजी (संशोधन) विधेयक, 2019

हाल ही मे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) कानून में संशोधन को संसद ने अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने गृह मंत्रालय की तरफ से लाए गए इस विधेयक को चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही इसे पास कर चुकी है।

उल्लेखनीय है कि इस विधेयक में केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार (जो उनके साथ आधिकारिक निवास पर रहते हों) को एसपीजी सुरक्षा देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त किसी भी विशेष व्यक्ति को यह सुविधा नहीं दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री पद से हटने के पांच साल बाद उनसे भी यह सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संशोधन शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एसपीजी अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाना था।

विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम (एसपीजी अधिनियम) भारत के प्रधानमंत्री और उनके अपने परिवार के सदस्यों को 'निकटस्थ सुरक्षा' उपलब्ध करवाता है। एसपीजी अधिनियम साल 1988 में लागू हुआ था। इस सुरक्षा समूह अधिनियम को पहले भी साल 1991, साल 1994, साल 1999 और साल 2003 में संशोधित किया जा चुका है।

एनडीए सरकार ने साल 2003 में एसपीजी एक्ट में संशोधन किया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री को ऑफिस छोड़ने वाले दिन से स्वतः सुरक्षा मिलने वाली अवधि को दस साल से कम करके एक साल कर दिया था। इस विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा लेने वाला व्यक्ति सुरक्षा कवर हेतु मना भी कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है, जब उसे कोई खतरा न हो। अगर सुरक्षा लेने वाले व्यक्ति को हल्का सा भी खतरा होता है तो उसके लिए सुरक्षा लेना अनिवार्य हो जाता है।

एसपीजी के बारे में

विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) देश की एक सशस्त्र सेना है। यह सेना देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों सहित उनके नजदीकी परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करती है।

सेना की इस यूनिट की स्थापना साल 1988 में संसद के अधिनियम 4 की धारा 1(5) के अंतर्गत की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री, उनका परिवार तथा वर्तमान प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य चाहें तो अपनी इच्छा से एसपीजी की सुरक्षा लेने से मना कर सकते हैं।

एसपीजी कमांडो के पास अत्याधुनिक रायफल्स, संचार के कई अत्याधुनिक उपकरण, अंधेरे में देखने हेतु चश्मे, बुलेटप्रूफ जैकेट, गलव्स आदि होते हैं। इनके पास अत्याधुनिक वाहन भी होते हैं। ■

4. वैश्विक समावेशी समृद्धि सूचकांक, 2019

हाल ही में जारी विश्व के पहले ग्लोबल प्रोस्पेरिटी एंड इंक्लूजन सिटी सील एंड अवार्ड् (PICSA-global Prosperity and Inclusion City Seal and Awards) सूचकांक जारी हुआ। इस सूचकांक में आर्थिक एवं सामाजिक समावेश के लिहाज से विश्व के शीर्ष 113 शहरों में भारत के बंगलुरु, दिल्ली और मुंबई को भी शामिल किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- विश्व का पहला समावेशी और समृद्धि सूचकांक 2019 उत्तरी स्पेन के बिल्बाओ में जारी किया गया।
- इस सूचकांक में दुनिया भर के 113 शहरों को शामिल किया गया है।
- इस सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और तीसरे स्थान पर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को रखा गया।
- वैश्विक समावेशी समृद्धि सूचकांक में भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया है।
- इस रैंकिंग में बंगलुरु को 83वां स्थान, दिल्ली को 101वां स्थान और मुंबई को 107 वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- इस सूची में समावेशी समृद्धि का आकलन केवल आर्थिक वृद्धि के आधार पर नहीं बल्कि आबादी में उसके विवरण के आधार पर भी किया गया है।
- इस अध्ययन में कहा गया है कि समृद्धि के परंपरागत उपायों को आर्थिक सफलता का आकलन करने का सही मानक नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि दुनिया के शीर्ष सबसे धनी शहरों का समावेशी समृद्धि में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। अमीर शहरों में लंदन सूची में 33वें और न्यूयॉर्क सिटी 38वें स्थान पर हैं।
- फोर्ब्स की 2019 की सूची के अनुसार मुंबई भी दुनिया के दस सबसे अमीर शहरों में आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के कई शहर इस सूचकांक में निचले स्थानों पर हैं। इससे पता चलता है कि इन शहरों के समक्ष गरीबी और असमानता की बड़ी चुनौतियां हैं। ■

5. अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस

प्रत्येक साल 02 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मानव तस्करी को समाप्त करने और मनुष्यों के शोषण के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी नवीनतम जानकारी के अनुसार, चालीस मिलियन से अधिक लोग आधुनिक गुलामी के शिकार हैं। आधुनिक गुलामी की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन इसे ऋण बंधन, मानव तस्करी, जबरन श्रम और जबरन विवाह माना जाता है। यह मूल रूप से उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां कोई शोषण, हिंसा और दुरुपयोग का अनुभव करता है।

मुख्य तथ्य

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की जानकारी के अनुसार, लगभग 40.3 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी के शिकार हैं। इस आंकड़े में जबरन शादी में 15.4 मिलियन और मजबूर श्रम में 24.9 मिलियन लोग शामिल हैं।

- संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि आधुनिक गुलामी के शिकार 4 में से 1 बच्चे हैं।
- ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2016 के मुताबिक, विश्व भर की तुलना में भारत में गुलामों की संख्या सबसे अधिक थी। यहाँ लगभग 18.3 मिलियन लोग आज भी दासता की बेड़ियों में बँधे हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट के अनुसार, वयस्कों का सबसे बड़ा हिस्सा 24 प्रतिशत घरेलू श्रमिकों के रूप में कार्यरत है, इसके बाद निर्माण क्षेत्र 18 प्रतिशत, कृषि एवं मछली पकड़ने 11 प्रतिशत तथा विनिर्माण क्षेत्र 15 प्रतिशत का स्थान आता है।

अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के बारे में

अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के शोषण विषय पर हुए सम्मेलन में 02 दिसंबर 1929 को पहली बार मनाया गया था। इस दिन गुलामी के परंपरागत रूपों जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरदस्ती शादी तथा सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों को सेना में जबरदस्ती भर्ती से सम्बंधित विषयों पर विचार विमर्श के साथ सफल परिणाम प्राप्त करने की दिशा में सार्थक कदम उठाने पर जोर दिया जाता है। ■

6. स्पाइक मिसाइल

हाल ही में भारतीय थल सेना ने इजरायल निर्मित टैंक रोधी 'स्पाइक' मिसाइलों का मध्य प्रदेश के महू में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

इस मिसाइल के जरिए दुश्मन के टैंकों और बंकर को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है। 'स्पाइक मिसाइल' चौथी पीढ़ी की मिसाइल है जो 4 किमी की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है।

'स्पाइक' को जम्मू-कश्मीर में उत्तरी कमान के युद्ध क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा। इससे पाकिस्तान के साथ लगी देश की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।

इजरायल ने सेना को 'आपातकालीन खरीद' तंत्र के तहत 280 करोड़ रुपये के सौदे में कुल 210 मिसाइलों और 12 लॉन्चरों की आपूर्ति की थी। इससे पहले भारत ने यह सौदा रद्द कर दिया था। बताया जा रहा है कि यह बहुप्रतीक्षित सौदा भारतीय वायुसेना के बालाकोट में आतंकी शिविरों पर हवाई हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के बाद हुआ था।

चौथी पीढ़ी की स्पाइक मिसाइल की एक और खासियत यह है कि इस मिसाइल को दागने के बाद बीच रास्ते में ही दूसरे लक्ष्य की ओर मोड़ा जा सकता है।

भारत 33वां देश है जो इस मिसाइल का इस्तेमाल करने जा रहा है। अब तक स्पाइक की 5 हजार मिसाइलें दागी जा चुकी हैं जिसमें से 95 प्रतिशत ने अपने लक्ष्य को भेदा है। अब तक भारत दूसरी पीढ़ी की फ्रांस निर्मित मिलान-2 मिसाइल का इस्तेमाल करता रहा है। ■

7. हॉन्गकॉन्ग मानवाधिकार और लोकतंत्र अधिनियम

हॉन्गकॉन्ग में लोकतंत्र समर्थकों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए अमेरिकी संसद ने सर्वसम्मति से एक कानून पारित किया है जो ट्रंप प्रशासन को इस बात का आकलन करने की शक्तियां प्रदान करेगा कि क्या इस अहम वैश्विक आर्थिक केन्द्र में राजनीतिक अशांति की वजह से इसे अमेरिकी कानून के तहत मिले विशेष दर्जे में बदलाव लाना उचित है अथवा नहीं।

इस बिल में कहा गया है, 'हॉन्गकॉन्ग चीन का हिस्सा है लेकिन इसकी कानूनी और आर्थिक व्यवस्था बहुत हद तक चीन से अलग है।'

सालाना समीक्षा के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं चीन हॉन्गकॉन्ग की नागरिक स्वतंत्रता का हनन तो नहीं कर रहा और हॉन्गकॉन्ग में नियमों के तहत ही शासन चल रहा है या नहीं। अमरीका इस बात पर भी नजर बनाए रखेगा कि हॉन्गकॉन्ग की स्वायत्ता बरकरार रहे ताकि उसका विशेष व्यापारिक दर्जा बना रहे।

अन्य चीजों के अलावा हॉन्गकॉन्ग को मिले विशेष व्यापारिक दर्जे का मतलब ये है कि वो मेनलैंड चाइना के खिलाफ किसी भी अमरीकी पाबंदी या व्यापार शुल्क से प्रभावित न हो।

विधेयक के मुताबिक अमरीका उन सभी हॉन्गकॉन्ग के लोगों को अमरीकी वीजा लेने की अनुमति देगा, जो अहिंसक प्रदर्शन का हिस्सा रहे हैं। हॉन्गकॉन्ग में इस साल जून में मेनलैंड चाइना को प्रत्यर्पण की अनुमति देने वाले एक प्रस्तावित कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का रूप ले चुका है। इस क्रम में वहाँ कई बार हिंसक विरोध प्रदर्शन भी देखे गए हैं। कई बार पुलिसकर्मियों पर हमले भी हुए हैं और पुलिस ने गोलियाँ भी चलाई है। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन-2019

- केन्द्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के मानेसर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) में नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन-2019 का उद्घाटन किया।
- यह सम्मेलन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इसमें भारत सहित 15 देशों के ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों ने 120 तकनीकी शोध पत्र प्रस्तुत किये।
- आईसीएटी द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों की श्रृंखला में नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन, 2019 अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। इससे देश में 125 वर्षों से उपयोग किए जाने वाले आईसी ईंजन का उचित विकल्प पाने में लाभ मिलेगा।
- यह सम्मेलन वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार नये प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर फोकस है। नुजेन जेनरेशन मोबिलिटी, हरित, सुरक्षित तथा किफायती होगी।
- सम्मेलन के विषयों में ई-मोबिलिटी, हाइड्रोमोबिलिटी, कनेक्टेड व्हीकल तथा आईटीएस शामिल किए गए हैं। प्रदर्शनी में वाहन तथा उपकरण बनाने वाली दो सौ से अधिक कंपनियां अपने उत्पाद प्रस्तुत करेंगी।
- सम्मेलन में लाइव टेस्ट डिमॉन्सट्रेशन, प्रशिक्षण सत्र, पैनल, चर्चा तथा टेस्ट ट्रैक डिमॉन्सट्रेशन भी आयोजित किया गया। सम्मेलन में कनेक्टेड मोबिलिटी, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वैकल्पिक ईंधन, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियों, हाइड्रोजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन आईसी ईंजन जैसी भविष्य की वाहन टेक्नोलॉजी दिखाई गयी।

2. भारत और चिली के मध्य दोहरे कराधान निवारण अनुबंध

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान की समाप्ति तथा आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन तथा निवारण के लिए भारत और चिली के मध्य दोहरे कराधान निवारण अनुबंध (डीटीएए) और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है।
- डीटीएए दोहरे कराधान को समाप्त करने में मदद करेगा। इस अनुबंध से अनुबंध करने वाले राज्यों के बीच कराधान अधिकारों का स्पष्ट आवंटन ब्याज, रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के शुल्क के बारे में स्रोत राज्यो में कर दरों के निर्धारण के माध्यम से निवेश प्रवाह बढ़ाते समय दोनों देशों के निवेशकों और व्यवसायों को कर निश्चितता उपलब्ध होगी।
- यह अनुबंध और प्रोटोकॉल जी-20 ओइसीडी बुनियादी अपवंचन लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) परियोजना के न्यूनतम मानकों और अन्य सिफारिशों को लागू करेगा। एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण प्रस्तावना पाठ के समावेश से इस अनुबंध में बीईपीएस परियोजना के अनुसार सरलीकृत सीमा लाभ अनुच्छेद के साथ दुरूपयोग निरोधी प्रावधान से इन कर नियोजन रणनीतियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी जो कर नियमावली में अंतरों और असंतुलन का दोहन करती हैं।
- मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस अनुबंध और प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। इसका कार्यान्वोयन और कामकाज वित्त मंत्रालय की देखरेख में होगा।

3. मानव तस्करी रोकने के लिए भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय सहयोग

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने मानव तस्करी रोकने, पीड़ितों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर भारत और म्यांमार के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।

पृष्ठभूमि

- मानव तस्करी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जटिलता बन गई है। मानव तस्करी की जटिल प्रकृति की वजह से घरेलू, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे निपटने के लिए

बहुआयामी रणनीति की जरूरत है। मानव तस्करी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सख्त जरूरत है।

- भारत और म्यांमार के बीच सीमा नियंत्रण एजेंसियों और संचार के विभिन्न संगठनों के बीच सहयोग मानव तस्करी रोकने और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का एक प्रभावी साधन हो सकता है।

समझौता ज्ञापन का उद्देश्य

- दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध को और मजबूत करना एवं मानव तस्करी को रोकने, पीड़ितों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना।
- मानव तस्करी के सभी रूपों को रोकने के लिए सहयोग बढ़ाना और तस्करी के शिकार लोगों को सुरक्षा एवं सहयोग प्रदान करना।
- दोनों देशों में मानव तस्करों और संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ त्वरित जांच और अभियोजन सुनिश्चित करना।
- आप्रवासन एवं सीमा नियंत्रण सहयोग को मजबूत करना और मानव तस्करी रोकने के लिए संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के साथ रणनीति का क्रियान्वयन।
- मानव तस्करी रोकने की कोशिशों के तहत कार्य समूह/कार्यबल का गठन करना।
- मानव तस्करों एवं तस्करी के शिकार लोगों के आंकड़े जुटाना और भारत एवं म्यांमार के तय केंद्र बिंदुओं के जरिए सूचना का आदान-प्रदान करना।
- दोनों देशों से जुड़ी एजेंसियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना।
- तस्करी के शिकार लोगों के बचाव, उन्हें छुड़ाना और स्वदेश वापस भेजने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय करना और उसका पालन करना।

4. भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता ज्ञापन

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने भारत और सऊदी अरब के बीच नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों और प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है।

पृष्ठभूमि

- अवैध नशीली दवाइयों की बिक्री एक वैश्विक अवैध व्यापार बन गई है। नशीले पदार्थों का बड़े स्तर पर उत्पादन और विभिन्न सरल मार्गों खासकर अफगानिस्तान के जरिए इसका प्रसार बढ़ने से युवाओं के बीच इसका उपभोग ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है जिसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और समाज का अपराधीकरण बढ़ा है।
- नशीले पदार्थों की बिक्री से दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बगावत और आतंकवाद के लिए धन मुहैया होता है।

लाभ

- समझौता ज्ञापन से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण सम्मेलन द्वारा परिभाषित नशीली दवाइयों, नशीले पदार्थों एवं प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री एवं तस्करी रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा।
- समझौता ज्ञापन के तहत नशीली दवाइयों के उत्पादकों, तस्करों एवं अवैध विक्रेताओं की संदिग्ध गतिविधियों, आग्रह करने पर एनडीपीसी की अवैध बिक्री के विवरण और नशीली दवाइयों संबंधित आरोप में गिरफ्तार विक्रेताओं के वित्तीय हालात से संबंधित जानकारियां साझा करने का प्रावधान है।
- समझौता ज्ञापन के तहत नशीली दवाइयों, नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के आरोप में गिरफ्तार दूसरे देश के नागरिकों के विवरण के साथ अधिसूचित करने का और गिरफ्तार व्यक्ति को दूतावास संबंधी मदद मुहैया कराने का प्रावधान है।
- समझौता ज्ञापन के तहत दोनों में से किसी भी देश के अंदर बरामद की गई नशीली दवाइयों, नशीले पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण और नशीली दवाइयों एवं नशीले पदार्थों के बारे में आंकड़ा/सूचना साझा करने का प्रावधान है।

5. सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग

- केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने घोषणा की कि 15 जनवरी, 2020 से देश भर में सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी जाएगी।
- इसके लिए उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी और कार्यान्वयन के लिए एक वर्ष का समय दिया जाएगा, ताकि निजी उद्यमियों द्वारा सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की मांग वाले स्थानों पर नए परख और हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित किए जाएं।
- आभूषणों के खुदरा विक्रेताओं को अपना मौजूदा स्टॉक समाप्त करने के लिए एक साल का समय दिया गया है।
- हॉलमार्किंग से गांवों और छोटे शहरों में उन गरीबों को लाभ

होगा जो सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता का पता नहीं लगा पाते हैं।

- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम 2016 में केंद्र सरकार द्वारा स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए धारा 14 और धारा 16 के तहत प्रावधानों को सक्षम किया गया है।
- इससे सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की बिक्री करने वाले सभी जौहरियों के लिए बीआईएस (BIS) के साथ पंजीकृत होना और केवल हॉलमार्क वाले आभूषणों और कलाकृतियों को बेचना अनिवार्य हो जाएगा।
- बीआईएस अधिनियम 2016 को 12 अक्टूबर 2017 से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया और बीआईएस हॉलमार्किंग विनियम 2018 को अधिसूचित किए गए थे और 14-8-2018 से प्रभावी किए गए।
- बीआईएस अप्रैल 2000 से सोने के गहनों के लिए एक हॉलमार्किंग योजना चला रहा है। 31 अक्टूबर 2019 तक देश भर के 234 जिलों में 877 परख और हॉलमार्किंग केंद्र हैं और अब तक 26,019 जौहरियों ने बीआईएस पंजीकरण कराया है।
- बीआईएस हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के बाद अगर कोई सर्राफा कारोबारी नियमों की अनदेखी करता है तो एक साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माने के तौर पर सोने की कीमत का पाँच गुना तक चुकाने का प्रावधान भी किया गया है।

6. मित्रशक्ति-7 युद्धाभ्यास : 2019

- 'मित्र शक्ति' युद्धाभ्यास के सातवें संस्करण का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के हिस्से के तौर पर तैनाती के दौरान भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच अंतर सक्रियता एवं परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। यह युद्धाभ्यास 01 दिसंबर से पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में शुरू हुआ।
- इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के तहत शहरी और ग्रामीण परिवेश में उग्रवाद-रोधी एवं आतंकवाद-रोधी अभियानों के दौरान उप इकाई स्तर के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंध बनाना और उनको बढ़ावा देना है।
- यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सैन्य सहयोग और आपसी मेलमिलाप के क्षेत्र में भारत-श्रीलंका संबंधों की ताकत को भी दर्शाता है, जो अंतर सक्रियता और परिचालनात्मक तैयारियों को निखारने के लिए महत्वपूर्ण है।
- इस संयुक्त अभ्यास को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की वर्तमान गतिशीलता को व्यावहारिक एवं व्यापक चर्चा और सामरिक अभ्यास के माध्यम से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का प्राथमिक फोकस फील्ड क्राफ्ट, बैटल ड्रिल्स और प्रक्रियाओं के साथ ही निर्बाध अंतर सक्रियता के साथ संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता पर भी रहेगा।
- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश होने के नाते इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को संयुक्त अभियान, संयुक्त सैन्य एवं राजनयिक जुड़ाव के माध्यम से अत्यधिक लाभ होगा।
- इसी वर्ष मार्च-अप्रैल में मित्रशक्ति युद्धाभ्यास के 6वें संस्करण का आयोजन श्रीलका के दियातलावा, बदूला में किया गया था।

7. जल शक्ति एवं आपदा प्रबंधन पर सम्मेलन

- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), तमिलनाडु एवं केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकारों के सहयोग से 30 नवम्बर से लेकर 01 दिसंबर, 2019 तक जम्मू में जल शक्ति और आपदा प्रबंधन पर केन्द्रित 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' नाम से दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- सम्मेलन के दौरान केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शासन के सफल नवाचारों पर आधारित ई-पत्रिका के विशेष अंक 'मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस' को जारी किया।
- इसके साथ ही भारत सरकार के लोक शिकायत पोर्टल सीपीजीआरएएमएस और जम्मू-कश्मीर के आवाज-ए-अवाम पोर्टल के एकीकरण का भी शुभारंभ किया।
- इस सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान सर्वसम्मति से एक 'सहयोग संकल्प' स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन के संकल्प में यह स्वीकार किया गया कि भारत सरकार और इसमें हिस्सा ले रही तमिलनाडु सरकार और केंद्र शासित राज्य जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख निम्नलिखित सहयोग करेंगे-
  - 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम के तहत जल शक्ति एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सूचनाओं को साधा करके विविधता में एकता की परिकल्पना को बढ़ावा देना।
  - बेहतर निगरानी और दोनों सरकारों के बीच एक गहरे

एवं संरचित मेलमिलाप के जरिये जल शक्ति एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में आपसी मुद्दों को सुलझाने के लिए ठोस प्रयास करना।

- जल शक्ति और आपदा प्रबंधन से संबंधित परस्पर सहमति के विषयों पर युग्मित सरकारों के बीच वर्ष भर एक के बाद एक क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना। इनमें से पहला सम्मेलन डीएआरपीजी द्वारा वर्ष 2020 में चेन्नई में अयोजित किया जाएगा।
- इसमें केंद्र शासित राज्य जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के अधिकारी जल शक्ति एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों एवं प्रगति रिपोर्ट को पेश करेंगे।
- जल संचयन, कृषि जल की खपत को कम करना, शहरी बाढ़ को रोकना और नदियों के कायाकल्प के लिए तकनीकी विशेषज्ञता को साझा करना।
- युग्मित सरकारों के लाइन डिपार्टमेंटों के बीच समझौता ज्ञापनों (एमओयू) से जरिये जल शक्ति एवं आपदा प्रबंधन के लंबी अवधि के मेलमिलाप के क्षेत्रों में काम करना।
- दस्तावेजीकरण एवं प्रसार के संदर्भ में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और अनुभवों को साझा कर सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना।
- इसमें सम्मेलनों की कार्यवाही के जरिये डीएआरपीजी के जर्नल 'मिनिमम गर्वनमेंट, मैक्सीमम गवर्नेस' में जल शक्ति एवं आपदा प्रबंधन के विषय पर विशेष प्रकाशन करना शामिल है।

❍❍❍

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. भारत-पाकिस्तान

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कुछ मुद्दे सदैव ही विवाद का विषय बने रहें हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या कश्मीर समस्या है, इसके अतिरिक्त नदी-जल सम्बन्धी विवाद, आतंकवाद का मुद्दा आदि दोनों देशों के मध्य विवाद एवं तनाव का कारण बने हुए हैं।
- कश्मीर के स्वामित्व का मुद्दा दोनों देशों को और अलग करता है। पाकिस्तान कश्मीर को मुख्य मुद्दा बताता है। भारत सरकार ने जब से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया है तब से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में काफी तनाव देखा गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को औपचारिक तौर पर समाप्त कर दिया है।
- कुछ अन्य द्विपक्षीय मतभेद के वातावरण भी विद्यमान हैं। जैसे- तुलबुल परियोजना, सरक्रीक, सियाचिन आदि।
- भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा दुनिया में शायद एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ दोनो देशों के सैनिक ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों के बीच रायफलें ताने, मशीनगनों, मोर्टारों और तोपखानों के साथ एक-दूसरे के सामने खड़े हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य जमावड़े वाली जगह है।

- 1947 में रेडक्लिफ लाइन के आधार पर तैयार की गयी और बनायी गयी सीमा, जो पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे से विभाजित करती है, विभिन्न शहरी इलाकों से लेकर निर्जन रेगिस्तान के विभिन्न इलाकों से होकर जाती है। आगे चल कर यह सीमा अरब सागर में, पाकिस्तान के मनोरा द्वीप से मुंबई के हार्बर के मार्ग पर चलती हुई दक्षिण पूर्व तक जाती है।
- भारत और पाकिस्तान के बीच स्वतंत्रता के बाद से, दोनों देशों के बीच कई संघर्ष और युद्धों को देखा जा चुका है, और यह दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक है। भारत द्वारा लगभग 50 हजार खम्बों पर 150,000 तेज रोशनी वाले बल्ब स्थापित किये गये हैं।
- बांग्लादेश सीमा की तरह ही भारत-पाक सीमा पर भी कोई भौगोलिक रूकावट नहीं है। यह विविधतापूर्ण भू-भाग, जैसे-रेगिस्तान, दलदल, मैदानी इलाके, बर्फ से ढकी पहाड़ियों से होकर गुजरती है तथा गांवों, घरों और कृषि भूमि के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है जो इसे अत्यंत झिरझिरा बनाते हैं।
- सीमा का झिरझिरापन, तस्करी, ड्रग्स व हथियारों की तस्करी एवं घुसपैठ को बढ़ाता है। हेरोइन और नकली भारतीय मुद्रा सीमा से तस्कर होने वाली दो प्रमुख वस्तुएं हैं। वहीं दूसरी ओर केसर, कपड़ा और पारा इत्यादि पाकिस्तान से तस्कर होने वाली कुछ अन्य वस्तुएं हैं।
- भारत-पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ तथा सीमा पार अपराधों के प्रयास को रोकने के लिए, सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर 2043.76 कि.मी. तक तेज रोशनी की व्यवस्था करने की मंजूरी प्रदान की थी जिसमें से 1943.76 कि.मी. का कार्य पूरा हो चुका है और शेष हिस्से संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।

2. भारत-चीन

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत-चीन सीमा 3488 कि.मी. लम्बी है और पाँच भारतीय राज्यों जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश से गुजरती है। चीन के पास जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र का लगभग 38,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त तथाकथित चीन-पाकिस्तान समझौता, 1963 जिसमें पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिग्रहित जम्मू-कश्मीर के 5180 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को चीन को सौंप दिया।
- चीन, अरूणाचल प्रदेश में भारतीय क्षेत्र के 90,000 वर्ग कि.मी. और भारत-चीन सीमा के मध्य क्षेत्र के लगभग 2000 वर्ग कि.मी. पर अपना दावा करता है। बीजिंग अरूणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है बल्कि वह इस राज्य को अपने नक्शे पर दिखाता है।
- चीन और भारत के मध्य सीमा को कभी आधिकारिक रूप में सीमांकित नहीं किया गया हैं। दोनों देशों के मध्य सीमा के पूर्वी भाग पर चीन की स्थिति संगत है। किसी भी चीनी सरकार ने मैकमोहन रेखा को मान्यता प्रदान नहीं की है। चूंकि भारत और चीन की स्थितियों का अंतर काफी व्यापक है, इसलिए दोनों देशों के लिए एक सहमति पर पहुंचना काफी कठिन है।

3. भारत-बांग्लादेश

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत की तरफ से भारत-बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल (2216.7 कि.मी), असम (263 कि.मी.), मेघालय (443 किमी.), त्रिपुरा (856 कि.मी) और मिजोरम (318 कि.मी.) से होकर गुजरती है। इस संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी, नदी तटीय पर्वतीय और जंगल के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र की जनसंख्या काफी अधिक है और सीमा तक खेती की जाती है।
- असीमांकित भू-भाग, परिक्षेत्र और प्रतिकूल अधिकृत क्षेत्र, भारत और बांग्लादेश के सीमा रक्षक बलों के बीच वैमनस्व का कारण होते हैं।
- भारत-बांग्लादेश सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने इस सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य प्रारंभ किया है। भारत-बांग्लादेश सीमा अत्यधिक सुभेद्य है और सीमा पार की अवैध गतिविधियों और बांग्लादेश से भारत में हो रहे अवैध आप्रवासन पर रोक लगाना चनौतीपूर्ण कार्य रहा है।
- भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4096.7 कि. मी. है इसमें से 3,006.48 (लगभग) किमी. सीमा भौतिक अवरोध से कवर की गई है और शेष 1,090 कि.मी. सीमा भौतिक और गैर-भौतिक अवरोधों से कवर की जाएगी।

4. भारत-म्यांमार

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत और म्यांमार दोनों पड़ोसी है इनके संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं। भारत की म्यांमार के साथ 1643 कि.मी. लंबी सीमा है। जिसमें अरूणाचल प्रदेश (250 कि.मी.), नागालैण्ड (215 कि.मी.), मणिपुर (398 कि.मी.), और मिजोरम (510 किमी) ऐसे राज्य हैं, जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है।
- भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। 1643 कि.मी. में से, 1472 कि.मी. के सीमांकन का कार्य पूरा हो गया है।
- भारत-म्यांमार के बीच एक मुक्त आवाजाही व्यवस्था विद्यमान है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, पहाड़ी जनजातियों का प्रत्येक सदस्य, जो या तो भारत का नागरिक है अथवा म्यांमार का नागरिक है और जो भारत-म्यांमार सीमा (आईएमबी) के किसी भी ओर 16 कि.मी. के भीतर किसी क्षेत्र का सामान्य निवासी है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध और प्रभावी परमिट प्रस्तुत करने पर आईएमबी पार कर सकता है।
- म्यांमार का नागरिक भारत में ऐसे क्षेत्र, जो भारत-म्यांमार सीमा से 16 कि.मी. के भीतर है, में आवाजाही कर सकता है और 72 घंटों तक रह सकता है।

5. भारत-नेपाल

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत और नेपाल की 1,751 कि.मी. खुली सीमा है। अवैध एवं राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा खुली सीमा के दुरूपयोग को रोकना और इस सीमा पर सुरक्षा में सुधार करना मुख्य चुनौतियाँ हैं। इस सीमा पर सीमा रक्षक बल (बीएसएफ) के रूप में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 31 बटालियनें तैनात की गई हैं।
- सीमा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक चिंता वाले मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता को सफल बनाने के लिए, भारत और नेपाल की सरकारों ने गृह सचिव स्तर की वार्ता और संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल के रूप में संस्थागत तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के जिला पदाधिकारियों के स्तर पर सीमा जिला समन्वय समितियों का तंत्र भी है।
- सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर उत्तराखण्ड (173 कि.मी.), उत्तर प्रदेश (640 कि.मी.) और बिहार (564 कि.मी.) राज्यों में 1,377 कि.मी. सामरिक सड़क के निर्माण एवं उन्नयन का अनुमोदन प्रदान किया है। भारत-नेपाल सीमा पर 126.41 कि.मी. सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

6. भारत-भूटान

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत और भूटान के बीच तनाव का एक प्रमुख क्षेत्र भारत सरकार के विरूद्ध विद्रोह करने वाले चरमपंथियों द्वारा भूटान की जमीन को बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाना और वहाँ इनकी अवैध उपस्थिति है।
- 699 कि.मी. लम्बी भारत-भूटान सीमा पर सुरक्षा वातावरण में सुधार करने के लिए, सीमा चौकसी बल के रूप में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को तैनात किया गया है।
- भारत और भूटान के बीच अच्छे संबंध के एक इतिहास के बावजूद द्विपक्षीय सीमा से जुड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं और भारत-भूटान सीमा पर तस्करी आज भी जारी है जिससे कि दोनों देशों के बीच संबंध अधर में हैं।
- भारत एवं भूटान की भूराजनीतिक स्थिति ऐसी है कि इनकी निर्भरता हमेशा एक दूसरे पर बनी रहेगी। भारत को चाहिए कि एक बड़ा पड़ोसी होने के नाते बड़े दिल से भूटान की मदद करे। इससे भूटान में संवृद्धि आएगी साथ ही पारस्परिक निर्भरता और अधिक बढ़ेगी। खासतौर पर ऐसे राजनीतिक हालात में जबकि एक अन्य पड़ोसी देश बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में चीन के कुछ अधिक करीब आया है, वैसे में भूटान जैसे पड़ोसी देश का विश्वस्त मित्र बने रहना अत्यंत ही आवश्यक है।

7. भारत-श्रीलंका

महत्वपूर्ण तथ्य

- पाक जलडमरूमध्य, तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जलसंयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है।
- भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक चूना पत्थर से बने द्वीपों की रामसेतु नामक एक श्रृंखला है जो इस खाड़ी को पाक खाड़ी से पृथक करती है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था।
- हिन्द महासागर विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक एवं ऊर्जा मार्ग है। अत: हिन्द महासागर की महत्ता को देखते हुए विश्व महाशक्तियाँ इस क्षेत्र में अपना-अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास करती रहती है।
- महाशक्तियों की इस क्षेत्र में उपस्थिति एशिया विशेषकर दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया के लिये सामरिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। अत: इस क्षेत्र को शान्तिक्षेत्र (Indian Ocean Peace Zone) में परिवर्तित किए जाने पर भारत और श्रीलंका दोनों ही सहमत है, परन्तु यहाँ भी दोनों के बीच दृष्टिकोण में अंतर है।

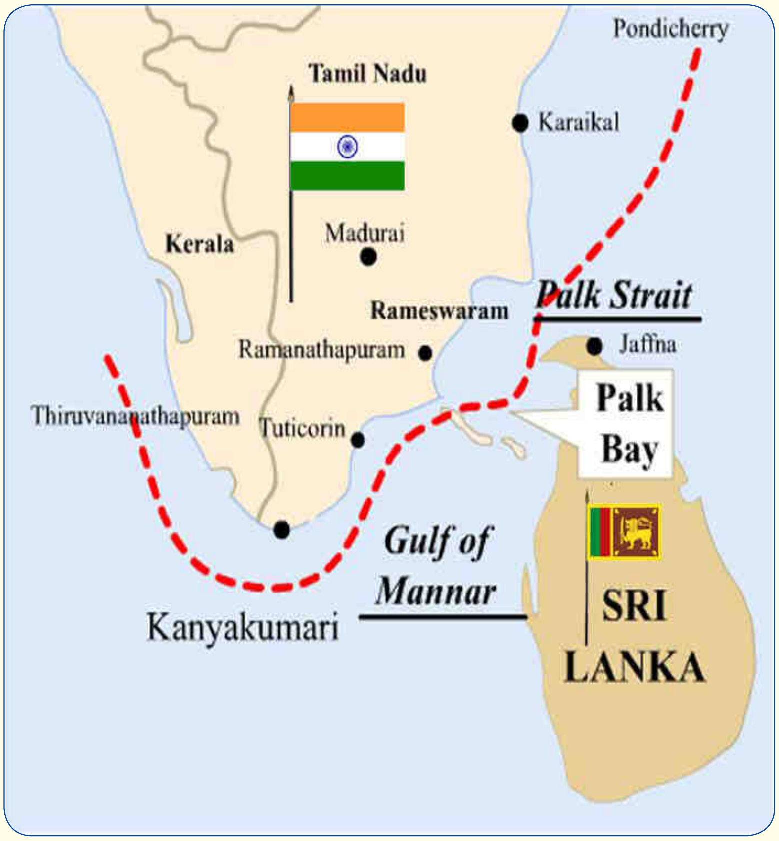

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

सिविल सेवा परीक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड
करेंट अफेयर्स के लिए ध्येय आईएएस आपके समक्ष प्रस्तुत करता है

परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी करेंट अफेयर्स से जुड़ी तमाम
महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ध्येय आईएएस यूट्यूब चैनल को

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

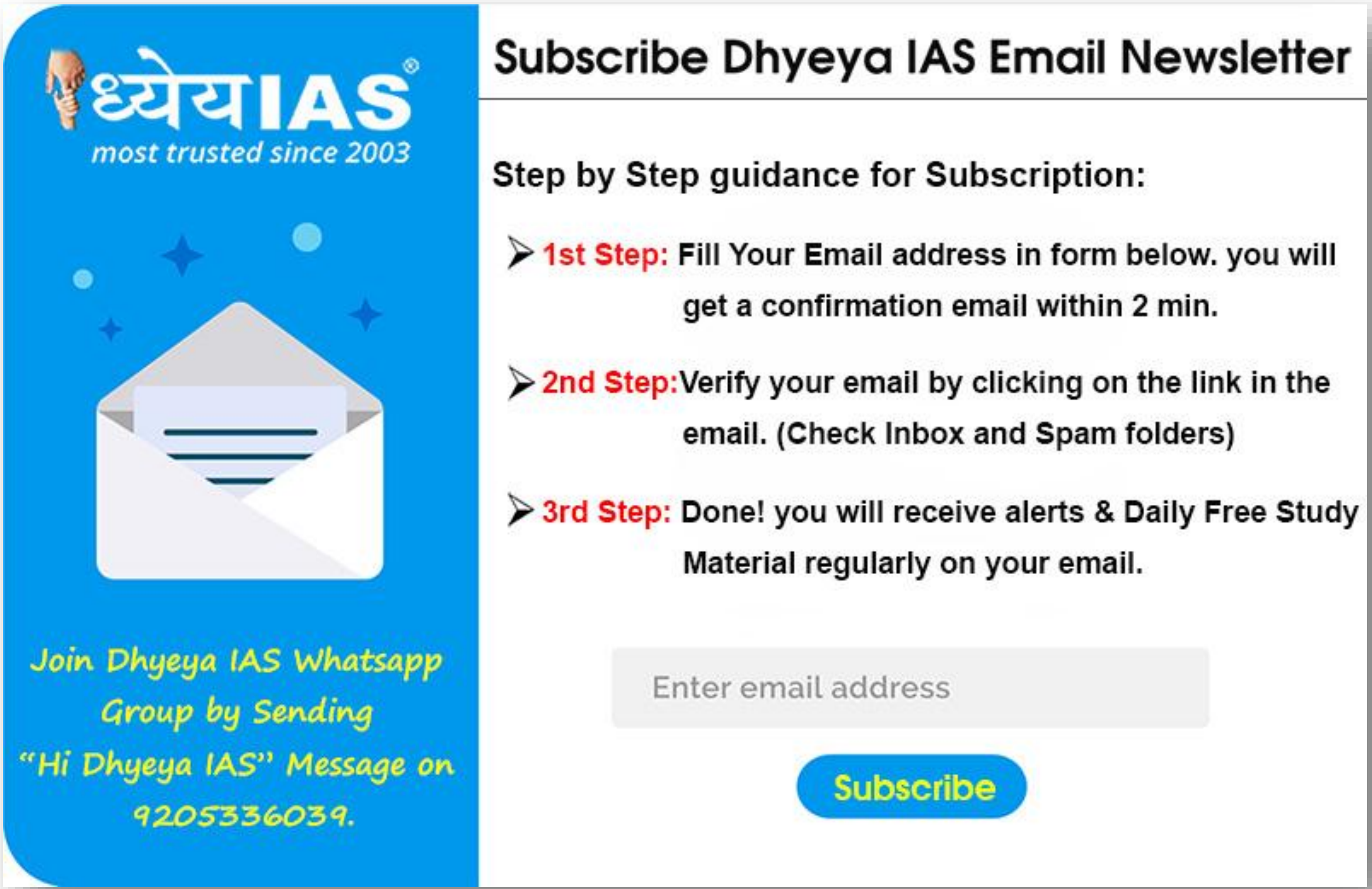

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400